हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 05 अप्रैल, 2018 को माननीय अध्यक्ष, डॉ. राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

05.04.2018/1100/जेके/डीसी/ 1

<u>प्वाइंट ऑफ ऑर्डर</u>

श्री जगत सिंह नेगीः सर, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर। हमारे जो मैटर्ज़ थे उन पर चर्चा नहीं हुई।

अध्यक्षः नेगी जी बता देता हूं, आप बैठिए। माननीय सदस्य ने दो विषय रखे थे। परिसर के अन्दर झंडे इत्यादि ले कर आना, उसके लिए बाकायदा मीटिंग करके सुरक्षा कर्मियों और विधान सभा के सभी लोगों को हिदायत दे दी गई है।

दूसरा विषय आपने रखा था कि बजट के दौरान बजट स्पीच को परमिशन देना। उसके लिए विशेष रूप से मेरे द्वारा लाइव टैलिकास्ट की परमिशन E.TV को दी गई थी, परन्तु सदन के अन्दर से क्योंकि परमिशन नहीं है तो लाइब्रेरी में जो टी0वी0 है, वहां से पिछली बार भी उनको परमिशन दी थी, वहीं से परमिशन दी गई। वहीं से माननीय मुख्य मंत्री जी का सोशल मीडिया श्री किशोर जी देखते हैं, उनको भी परमिशन दी गई थी। वह परमिशन मेरे द्वारा ही दी गई थी, उसकी लिखित कॉपी मैं आपको सप्लाई कर दूंगा।

05.04.2018/1105/SS-DC/1

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, क्या ये परमिशन वन साइडिड रहेंगी कि रूलिंग पार्टी की परमिशन्ज़ होंगी और जो इस तरफ बोलेंगे, उनकी नहीं होगी? अभी ये फोटो खींच रहे हैं, रोजाना मुख्य मंत्री जी की फोटो इश्यु कर देते हैं। --(व्यवधान)--संसदीय कार्य मंत्री जी, ऐसा नहीं है। विधान सभा नियम-कानून से चलती है। आप इसे वन साइडिड नहीं चला सकते कि आप लगातार रूलिंग पार्टी की फोटो जारी करते रहें। यहां पर आप (माननीय अध्यक्ष) भी बैठे हैं और ऑपोजिशन के लोग भी बैठे हैं, कोई व्यवस्था तो आपको देनी पड़ेगी। कोई व्यवस्था तो होगी, यह कोई वन साइडिड नहीं है कि आप रूलिंग पार्टी के फोटो रोज़ जारी करते जाओ। यह विधान सभा है, न कि किसी मेले की फोटो हो रही हैं या किसी मंच की फोटो हो रही हैं या किसी कार्यक्रम की फोटो हो रही हैं। यह विधान सभा का मसला है।

संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जो यहां पर परम्पराएं रही हैं पिछले अनेकों वर्षों से क्वैश्चन आवर फोटो और विडियोग्राफी होती है। यह कोई नयी बात नहीं है। 18 दिसम्बर, 2017 से पूर्व केवल मात्र एक ही फोटो यहां से जाती थी जिसमें पूर्व मुख्य मंत्री दिखाई देते थे या कभी-कभी संसदीय कार्य मंत्री उसमें दिखाई दे जाते थे। अब कोई नयी परम्परा नहीं बदली है। चीफ मिनिस्टर बदला है। रूलिंग पार्टी बदली है तो उसमें अगर फोटो आ जाती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें सी0एल0पी0 के लीडर को कोई बहुत ज्यादा आपत्ति होनी चाहिए। अगर कोई नयी व्यवस्था करनी है तो उसके लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, फोटोग्राफर बजट के दिन प्रवेश करते हैं अन्यथा फोटोग्राफर नहीं आते हैं। बजट के डे पर परमिशन होती है। आप इस हाउस का रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप और हम इस हाउस के गवाह रहे हैं कि सिर्फ बजट के दिन फोटो आती है, न कि रोज़ाना यहां से फोटो खींचकर एकतरफ़ा फोटो जारी करते रहें। विपक्ष के लोग किस बात के लिए यहां आए हैं? विपक्ष का कोई अधिकार है। विपक्ष को आप ऐसे नहीं दबा सकते। एकतरफ़ा चीज़ नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय, हाउस की पब्लिसिटी में कोई न्यायसंगत तरीका होना चाहिए। सिर्फ बजट सैशन में मुख्य मंत्री जी का फोटो होता है। --(व्यवधान)--वीडियोग्राफी बनती है, फोटोग्राफी नहीं होती है। ऐसा एकतरफ़ा नहीं होगा। अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम बाहर चले जाते हैं।

05.04.2018/1105/SS-DC/2

अध्यक्षः प्लीज़, एक मिनट बैठिये। --(व्यवधान)--

संसदीय कार्य मंत्रीः पिछले 10 वर्षों से मैं भी देख रहा हूं कि आपके पब्लिक रिलेशन का जो फोटोग्राफर है --(व्यवधान)-- आप (श्री मुकेश अग्निहोत्री) पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर थे और आपके आदेशों से यहां पर फोटो लेता था। --(व्यवधान)--

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः पब्लिक रिलेशन का यहां कोई रोल नहीं है। यह सदन है और दोनों पक्षों से चलेगा। अगर आप नहीं चाहते तो हम बाहर चले जाते हैं। आप एकतरफ़ा सदन चलाओ। --(व्यवधान)--

अध्यक्षः माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, एक मिनट। --(व्यवधान)--

संसदीय कार्य मंत्रीः आप अपने गिरेबान में झांकर देखिये। --(व्यवधान)--

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

अध्यक्षः प्लीज़। माननीय मुख्य मंत्री जी।

5.04.2018/1110/केएस/एचके/1

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 21 वर्षों से मैं इस सदन का चश्मदीद गवाह हूं। मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसे छोटे-छोटे विषय विपक्ष की ओर से उठाए जाए और उसके बाद वाक आउट किया जाए। मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने वाक आउट किया या क्या किया? मैं तो इनको कहना चाहता हूं, अभी हमारे मित्र की स्वीकार्यता उनके विधायक दल में कितनी है, मुझे मालूम नहीं है क्योंकि हम परिस्थितियों को देख रहे हैं। जिस तरह का इनका फ्लोर कॉर्डिनेशन इस पूरे विधान सभा के बजट सत्र के दौरान देखा वह तार-तार हुआ पड़ा है । उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, यह इनकी पार्टी का विषय है मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इनको हमारे फोटो पर भी आपत्ति हो रही है। ऐसा आज से पहले इस माननीय सदन में कभी नहीं हुआ। मैं 21 वर्षों का इस विधान सभा का चश्मदीद गवाह हूं। इस प्रकार के छोटे-छोटे विषय उठाकर ये अपना कद और छोटा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री सदन का नेता होता है। वह एक दल का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता। उस हैसियत से विधान सभा के अंदर किसी प्रश्न के उत्तर में हमको जवाब देना होता है। अगर उस दौरान हमारा कोई फोटो आ जाए उस पर इस तरह की घोर आपत्ति करना और ऐसी परिस्थिति निर्मित कर देना कि सदन से उठकर बाहर चले जाना, यह तो ऐसी परिस्थिति बन गई है कि छोटा बच्चा अगर बाजार जाता है और उसको खिलौने की दुकान दिखाई देती है, कोई खिलौना पसन्द आ जाता है तो वह रोना शुरू कर देता है और जब उसके माता-पिता कोशिश करते हैं कि उसको आगे ले जाएं और उसको

खिलौना नहीं खरीदते तो वह जमीन पर लेट जाता है। उसी तरह से इनकी भी जमीन पर लेटने वाली परिस्थति लग रही है। ये लोग एक तरह से सड़क पर लेट गए हैं। इन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान फोटोग्राफर अलाउड नहीं होता। 20-21 वर्षों से हम भी देख रहे हैं, जब प्रश्नकाल शुरू होता है, स्टिल फोटोग्राफर भी उपलब्ध होता है और विडियो कैमरा वाला भी उपस्थित रहता है। आखिरकार वह एक महत्वपूर्ण समय होता है और उन क्षणों को भी अगर हम कैमरे में कैद नहीं करेंगें, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगें तो विधान सभा की इस

5.04.2018/1110/केएस/एचके/2

सारी प्रोसिडिंग का औचित्य क्या है? यह बजट सत्र आज समापन की ओर है । इसका आज अन्तिम दिन हैं। आज के दिन मैं अपने विपक्ष के मित्रों से ऐसी अपेक्षा नहीं कर रहा था। जहां पुलिस पर चर्चा का अवसर दिया गया है और जहां भी इनको जो लगता था, आपकी ओर से कोई कमी नहीं रही। आपको हमेशा जब भी लगा कि समय देना चाहिए, आपने समय दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, यह भी हमने देखा कि जब भी हम यहां बोलने के लिए खड़े होते हैं, आपकी इजाज़त के बिना विपक्ष के हमारे मित्र, विशेषतौर पर मुकेश जी, जो उस दल के नेता हैं, खड़े हो कर बोलना शुरू कर देते हैं। जब स्पीकर लैग्ज़ पर हैं उसके बावजूद भी ये बोलना शुरू कर देते हैं। जब मुख्य मंत्री को आपने अलाउ किया होता है, उसके बावजूद भी बोलना शुरू कर देते हैं, रुकते नहीं। मुझे लगता है कि यह इनकी फ्रस्ट्रेशन है। हताशा और निराशा का दौर अभी तो शुरू ही हुआ है। आने वाले समय में बड़ा लम्बा दौर चलेगा और मुझे नहीं मालूम कि ये उसके बाद क्या करेंगें? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस माननीय सदन की गरिमा रखने का हम सभी का दायित्व है। सभी माननीय सदस्य उस दृष्टि से गम्भीर हैं। जिस बात को ले कर इन्होंने आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन चाही थी, जो इन्होंने प्रश्न खड़े किए थे, उनका जवाब आपने दे दिया और मुझे लगता है कि उसके बाद कोई और बात बननी नहीं चाहिए थी।

इतना ही मैं कहना चाहता हूं। जिस प्रकार से इस सदन का इन्होंने मज़ाक बना कर रखा है, मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं।

5.4.2018/1115/av/hk/1

अध्यक्ष : आज जिस प्रकार की घटना अभी इस मान्य सदन में हुई है यह चिन्ताजनक है। बजट सत्र आज समाप्ति की ओर है और प्रतिपक्ष के सभी साथियों को लगातार सर्वाधिक समय दिया गया। उसमें चाहे किसी प्रश्न की बात हो या किसी प्रकार की चर्चा की बात हो। एक-एक दिन में नियम 62 के अंतर्गत चार-चार चर्चाएं देना, ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि मैं भी इस मान्य सदन में पिछले 20 साल से हूं। हर किसी को समय और बोलने का मौका देने के पश्चात भी इस प्रकार की बात तथा विशेष तौर पर स्पीकर चेयर के प्रति जिस प्रकार से बात की गई है यह घोर निन्दनीय है और मैं इसकी पूरी तरह से भर्त्सना और निन्दा करता हूं।

5.4.2018/1115/av/hk/2

प्रश्न काल आरम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या : 85

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी अपना प्रश्न करेंगे।

(कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं किया गया।)

5.4.2018/1115/av/hk/3

प्रश्न संख्या : 117

श्री राकेश सिंघा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से तीन बातें जानना चाहूंगा। लिखित उत्तर के तहत जो फिगर दर्शाई गई है यह बहुत ही डिस्टर्बिंग है।

इसमें डिस्टर्बिंग यह है कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। यह जो मिसिंग है, यह सिम्पली मिसिंग नहीं है। यहां पर महिला के साथ केवल अत्याचार ही नहीं हुआ है बल्कि अत्याचार करने के बाद हत्या की गई है और उसके बाद उसकी बोडी को गायब किया गया है। पहली बात यह है कि क्या हमारे पास इस बारे में जानकारी है कि यह जो मिसिंग है यह सिम्पल मिसिंग है या हत्या है? दूसरी बात, हमने गुड़िया हैल्प लाइन शुरू की है लेकिन कहीं ऐसा न हो कि यह गुड़िया हैल्प लाइन हैंग हो जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें बहुत सी सूचनाएं ऐसी मिल रही है कि यह गुड़िया हैल्प लाइन चलती ही नहीं है। आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं से सम्बंधित जो भी शिकायत इस गुड़िया हैल्प लाइन में दर्ज नहीं हो पाती है उसके लिए सीधे तरीके से क्या आपको सम्पर्क किया जा सकता है या नहीं? आपने जब गुड़िया हैल्प लाइन शुरू की थी तो ऐसा मालूम होता था कि आपकी सरकार इस बारे में बहुत सैंसिटिव थी। अगर यह हैंग हो जाती है तो आपकी ही जिम्मेवारी बनती है कि इसके लिए कोई और रास्ता निकाला जाए। तीसरा प्रश्न, यह जो अभी तक गायब है, इसकी हकीकत पता करने के लिए क्या आप किसी लैवल की जांच करेंगे जिससे कि हकीकत सामने आए? So that it can see the day of the light कि इनके साथ हुआ क्या है, कैसे गायब हुई है, कैसे दिनदिहाड़े हिमाचल की धरती से महिलाएं गायब हो रही है। यह लगातार बढ़ता जा रहा है, it is increasing. अगर आप आंकड़े देखें तो सन् 2017 की शॉकिंग फ़िगर्ज़ हैं। इसका आंकड़ा वर्ष 2015 में 45 से बढ़कर आज 112 हो गया है। ये मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं।

5.4.2018/1120/TCV/YK-1

प्रश्न संख्याः 117.. क्रमागत्

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सचमुच में हिमाचल प्रदेश एक छोटा-सा प्रदेश है और बाकी राज्यों की तुलना में एक शान्तिप्रिय प्रदेश है तथा देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ये

सारी चीजें जब हम देखते हैं, उस दृष्टि से जो माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी ने बात कही है, ये जो फ़िगर्ज़ दी है, यह सचमुच में हमारे लिए एक बहुत सुखद संदेश नहीं देती है। यह पीड़ा का विषय है। लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये फिगर्ज़ आपने 2015, 2016 और 2017 तीन वर्ष की दी है। इन तीन वर्षों में 18 केस मर्डर के अनट्रेस गये हैं और 214 कंप्लैंट्स मिसिंग वूमैन की है। उस दृष्टि से हमारे लिए यह विषय थोड़ा परेशान करने वाला है, ये निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये आंकड़ा पूर्व सरकार का है। हमारी सरकार को तीन महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है और तीन महीने के कार्यकाल में हमने डे-वन से इस विषय को बहुत गम्भीरता से लिया है। हमने हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पर आम जन-मानस का विश्वास बहाल करने की कोशिश की है। ताकि जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, उसमें कमी आये। उसको सरकार के माध्यम से हम रोकने की क्या कोशिश कर सकते हैं, वह एक दूसरा विषय है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने 'गुडिया हैल्पलाइन' की जो बात की है, ये उस दिशा में एक प्रयास है। हमारे पास यही एक मैकेनिज़म नहीं है। पुलिस विभाग कार्रवाई करने, मामला दर्ज़ करने और उसकी जांच करने का काम तो यथावत् कर ही रहा है। उसमें हमने एक और कदम आगे बढ़ाकर उस दिशा में एक प्रयत्न किया है। आपने कहा कि ये गुडिया हैल्पलाइन हैंग हो जाएगी। अभी तक तो ऐसी परिस्थिति नहीं आई। लेकिन ये बात भी ठीक है, आपने अपनी चिन्ता जताई है। हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा एरिया दूर-दराज़ का है, जहां कम्युनिकेशन की अभी भी दिक्कत हैं। कई जगह मोबाइल नहीं चलता है और कई जगह कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है, जिसके माध्यम से हम मामलों को तुरन्त दर्ज़ कर सकें। लेकिन इसके बावजूद भी हम गुडिया हैल्पलाइन के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इसे टैक्नोलॉजी की दृष्टि से और बेहतर क्या किया जा सके, वह विषय भी हमारे सामने खुला है। लेकिन

5.4.2018/1120/TCV/YK-2

इसके साथ हमारे सामने जो एक स्थापित व्यवस्था है, पुलिस विभाग की, उस विभाग को चुस्त-दुरुस्त करने की दृष्टि से हमने अनेक स्तर पर कदम उठाने के लिए पहल की है। जहां तक आपने पर्टिकुलरली मिसिंग वूमैन की फ़िगर का ज़िक्र किया है, उसके बारे में मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। जब कोई माइनर लड़की मिसिंग होती है, हमने कई बार इस बात को देखा है कि परिवार के लोग एक सोशल स्टिगमा होने की वज़ह से उस मामले को पुलिस में तुरन्त दर्ज़ नहीं करते हैं। थोड़ी देर तक अपने स्तर पर छानबीन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सोशल स्टिग्मा होने के बाद उस परिवार को एक अलग परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। जो दुःखद होती है। ये उसकी एक वज़ह है और

05-04-2018/1125/NS/YK/1

प्रश्न संख्याः 117 ----क्रमागत

मुख्यमंत्री -------जारी।

इतना ही कहना चाहता हूं कि वे मिसिंग रिपोर्ट करते हैं और एफ0आई0आर0 नहीं कर पाते हैं। इस बात के लिए उनके परिवार के लोग जोर से आग्रह करें। इस बात के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मिसिंग रिपोर्ट दर्ज़ की जाती है और फिर छानबीन का प्रोसैस शुरू किया जाता है। यह सब होता है। लेकिन अगर कोई मेज़र मिसिंग होता है तो इस मामले में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज़ होती है। क्योंकि माईनर की बात ऐसी है कि कई बार ऐसा हुआ है कि रिपोर्ट दर्ज़ कर देते हैं और बाद में जब बच्चा मिल जाता है तो परिवार के लोग खुद ही कहते हैं कि इसमें रिपोर्ट छोड़ दीजिये। आप एफ0आई0आर0 या मामला मत दर्ज़ कीजिये। यह मामला रिकॉर्ड का एक हिस्सा बन जायेगा। फिर एक अलग-सी परिस्थिति पुलिस वालों के सामने खड़ी हो जाती है। यह एस्पैक्ट या सामाजिक दृष्टिकोण भी देखने का एक विषय बन जाता है। लेकिन जहां तक आपने कहा है कि हमारी सरकार इस सारे मामले में गम्भीर प्रयत्न/प्रयास कर रही है और हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि ये घटनायें कम हों। जहां भी इस प्रकार की घटना हो और वहां पर कार्रवाई की दृष्टि से जो करने की आवश्यकता होगी, वहां सरकार गम्भीरता से इन विषयों को लेगी

और गम्भीरता से जांच करके जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है, वह कार्रवाई करेगी।

05-04-2018/1125/NS/YK/2

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री साहब मेरे ख्याल से थोड़ा-सा मिसगाईड हो रहे हैं। मिसिंग रिपोर्ट का पहला प्रोसीज़र क्या है? जो भी मिसिंग है, आप रिपोर्ट करेंगे तो यह डेली डायरी में चढ़ जायेगी। तपदीश शुरू होगी और तपदीश में संभव है कि FIR (First Information Report) में चार्ज़िज लग जायेंगे और यह शुरू हो जायेगा। मान लो मिसिंग लड़की है या औरत है, अगर घर लौट आती है तो ट्रेस हो गई है। यह तो फिर रिकॉर्ड से उड़ गया और यह मिसिंग में नहीं आयेगा। मिसिंग तो यह है कि अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री साहब ऐसा संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जवान लड़कियों का लव अफेयर हो जाता है और शादी हो जाती है तो वे ट्रेस हो गईं। ये ऐसे केस नहीं हैं। These cases are those जहां पर लड़की या वुमैन को गायब कर दिया गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह मर्डर में इसलिए शामिल नहीं होता है। क्योंकि जो स्टेट, पुलिस और समाज़ की सीरियसनैस है, उसको ट्रेस करने के लिए यह नहीं हो पाता है। सिर्फ कोशिश की जाती है, लेकिन यह हो नहीं पाता है। इसलिए इसके बारे में क्लीयर जानकारी मुख्यमंत्री साहब को इस सदन में रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो गायब हो गये have you closed the chapter. ये तो वर्ष 2017 में गायब हुये हैं। Should not be our Police, should not the States make efforts to trace them , यह है मेरी चिन्ता और यह सबकी चिन्ता होनी चाहिए। मेरी ही चिन्ता नहीं होनी चाहिए। This should be a concern for everyone. क्योंकि यह बढ़ रहा है। जब तक प्रशासनिक तौर पर और सामाजिक तौर पर मैं कह रहा हूं कि यह मेरी भी जिम्मेवारी है और हम सबकी जिम्मेवारी है। That efforts must be there. Simply यह कहना कि इसका कारण कुछ और है। यह हमारे अफसरान को शोभा नहीं देता है कि एक ऐसे संकेत देना कि यह किसी और वज़ह से है। The reality is this the women are a victim and we have to protect it. That is the reality.

05-04-2018/1125/NS/YK/3

मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा-सी इसमें कोरैक्शन करना चाह रहा हूं। जो माईनर होती है, उसमें मामला IPC Section 364 में दर्ज़ होता है और मेज़र में वे मिसिंग रिपोर्ट दर्ज़ करते हैं। माननीय सदस्य ने ठीक बात कही है कि मिसिंग रिपोर्ट में तपदीश के दौरान अगर कोई नहीं मिलता है तो फिर आगे भी इसमें एफ0आई0आर0 हो सकती है। लेकिन primarily इसमें मिसिंग रिपोर्ट होती है। जहां तक आपन बात कही है और आप जो शंका ज़ाहिर कर रहे हैं तो कुछ मामले इस प्रकार के आते हैं, जिस तरह की बात मैं करने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात को शायद आप अन्यथा ले गये हैं। हमारा अभिप्राय यह नहीं है।

05.04.2018/1130/RKS/AG-1

प्रश्न संख्याः 117...जारी

माननीय मुख्य मंत्री.... जारी

हमारा अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति समाज में रहता है उसके सामने सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं और जिन बातों के ऊपर वह सोचता, विचारता है कि मेरे लिए समाज में कोई स्टिगमा न लग जाए। उस दृष्टि से मैंने कुछ विषयों का जिक्र किया। लेकिन उसका अभिप्राय यह नहीं है। नेशनल लैवल की हम बात करें या दूसरे राज्यों के साथ हम तुलना करें जैसे हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा है, उनकी तुलना में हिमाचल प्रदेश में मिसिंग क्राइम रेट बहुत कम है। अगर मैं इसकी फिगर दूं तो यह काफी लम्बी फिगर है। फिर भी आपने जो कंसर्न शो किया है, यह हमारा भी उसी प्रकार का है। हम सरकार की ओर से इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी मामला चाहे वह मेज़र है, माइनर है, महिला से संबंधित है, पुरुष से संबंधित है, कहीं भी मिसिंग रिपोर्ट होती है, उसमें पुलिस विभाग को मामले की तहकीकात के लिए अंतिम स्थिति तक पहुंचना चाहिए। लेकिन कोशिश तो यही होती है। जो आपने बात कही है इस बात का हम निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। आने वाले समय में इसके बारे में जो भी कदम

उठाने के लिए आपके पास सुझाव हैं, उनका जिक्र आप कर सकते हैं। लेकिन सरकार इन तमाम विषयों पर गंभीर है और गंभीरता के साथ काम करेगी। जितने भी मिसिंग केस है, इन तमाम केसों में जांच चल रही है। कई जगह हम निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाए हैं। मुझे लगता है कि हम समयानुसार निष्कर्ष में पहुंचने की स्थिति में होंगे। फिर भी यह हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए एक गम्भीर विषय है। यह जो फिगर है यह सचमुच में हमको परेशान करने वाली है। इसके लिए और गम्भीर प्रयत्न करने की आवश्यकता है और हमारी सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ऐसे मामले में कतई ढील न दी जाए।

05.04.2018/1130/RKS/AG-2

<u>प्रश्न संख्याः499</u>

श्री अर्जुन सिंहः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में 48 लोगों के अवैध कब्जे दर्शाए गए हैं। जिसमें से 26 लोगों के कब्ज़े हटा दिए गए हैं और शेष 22 लोगों के कब्जे उस भूमि पर हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप मुझे इन 48 लोगों की सूची उपलब्ध करवाएंगे? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यह भूमि बहुत बहुमूल्य भूमि है। वर्तमान में इस भूमि की क्या स्थिति है?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न यह पूछा है कि इस भूमि में 48 अवैध कब्ज़ाधारी थे। वर्ष 2011 में पी.पी. एक्ट के अंतर्गत एस.डी.एम. ने इनको बेदखली के आदेश दिए। उसके बाद डिवीजनल कमिश्नर की अदालत में अपील की गई और वहां से मामला खारिज हुआ। अब 26 लोगों के कब्जे हटा दिए गए हैं और 22 अवैध कब्जाधारी शेष हैं। <u>जिन 26 लोगों के कब्जे हटा दिए गए हैं और जो शेष 22 अवैध कब्जाधारी हैं उनकी सूची माननीय सदस्य जी को उपलब्ध करवा दी जाएगी</u>। दूसरा, आपने पूछा कि वर्तमान में इस भूमि की क्या स्थिति है? अध्यक्ष महोदय, यह भूमि बस अड्डा प्राधिकरण के नाम पर नहीं है। इस का नाम नगरोटा सुरियां है ।

05.04.2018/1135/बी0एस0/ए0जी0-1

प्रश्न संख्याः499 .....जारी

वन मंत्री जारी

जो भूमि का स्टेटस है, मलकियत सरकार हिमाचल प्रदेश कब्जा लोक निर्माण विभाग के नाम पर ये भूमि दर्ज है। उसके साथ अब यहां पर बस अड्डा है, ये एच.आर.टी.सी. के द्वारा नहीं बनाया गया ये लोक निर्माण डीविजन कांगड़ा है उसने इसे 1994 में बनाया है। अभी इसकी स्थिति के बारे में यह है कि भूमि गैर मुमकिन बस अड्डा दर्ज कागज़ात माल है । यह वर्तमान में इसकी स्थिति है।

श्री अर्जुन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो नगरोटा-सुरियां भूमि है, बहुत ही बहुमूल्य है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में इन्होंने वहां नगरोटा-सुरियां में बस अड्डे के लिए 50 लाख रुपये देने की घोषणा की है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में परिवहन विभाग वहां पर बस अड्डा बनाने की व्यवस्था करेगा ?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी जो मैंने पहले कहा मलकियत सरकार हिमाचल प्रदेश कब्जा लोक निर्माण विभाग है। हम माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि ज्वाली में बस अड्डा बनाने के लिए अन्य भूमि नहीं है। ये भूमि बस मेनेजमैंट ऑथोरिटी के नाम स्थानांतरित हो तब इसका हल हो सकता है और हम धन भी उपलब्ध करवाएंगे, आपका बस अड्डा भी बना करके देंगे।

05.04.2018/1135/बी0एस0/ए0जी0-2

प्रश्न संख्याः 500

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट) : माननीय अध्यक्ष जी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गैहरा में जुलाई, 2016 को एक बहुत बड़ा डंगा जो मुख्य भवन को स्पोट करता है, वह गिर गया। उस डंगे की लम्बाई लगभग 80 फुट है और ऊंचाई 15 फुट के करीब है। अध्यक्ष महोदय, इस डंगे के महत्व को देखते हुए मैं पूर्व सरकार से लगातार दो वर्ष तक अनुरोध करता रहा कि इसके लिए बजट का प्रावधान करिए, क्योंकि यह पाठशाला के मुख्य भवन को स्पोर्ट कर रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने 3 महीनों के भीतर ही इसके लिए 46,54,431/- रूपये का प्रावधान किया और अब टैंडर भी हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस डंगे के गिरने के क्या कारण रहे, ताकि हम उन कारणों को पहले ही प्लग करें, जो अन्य डंगा लगना है वह न गिरे। दूसरा आपने कहा है कि इस कार्य को 6 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। अब 6 महीनों में तो बरसात भी आ जाएगी, फिर यह कार्य पूरा नहीं होगा। क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि यह डंगा बरसात के आने से पहले लग जाएगा?

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने स्वयं ही अपने प्रश्न में कहा है कि वर्षा के कारण डंगा गिरा है । राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गैहरा के पाठशाला का प्रांगण, प्रांगण में बना मंच, प्रांगण का डंगा, डंगे से लगी रेलिंग और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत एच.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्माणाधीन भवन का 80 फुट लम्बा व 15 फुट ऊंचा डंगा था, जो बारिश के आने से गिर गया और इसके निर्माणाधीन भवन के पिलर भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो इसकी जांच भी करा ली जाएगी कि किन कारणों से ये गिरा है। हमने प्रशासनिक स्वीकृति भी इस डंगे की दे दी है और 15 लाख रूपया लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया है। उसके फरवरी, 2018 में हमने टेंडर भी कर दिए हैं और हम कोशिश करेंगे कि यह 6 महीने के अंदर पूरा कर दें। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पैसे के कारण डंगे का कार्य न रूके। तकनीकी कारणों से, वर्षा इत्यादि से समय अधिक लगता है तो उसके लिए माननीय सदस्य से एक्सटेंशन चाहेंगे।

05.04.2018/1140/डीटी/डी0सी0-1

प्रश्न संख्याः 501

श्री नरेन्द्र बरागटाः अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यामंत्री जी और मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं और धन्यावद भी करना चाहता हूं। अभी आपने कैबिनेट में जो 100 पोस्टें एच0डी0ओ0 की हैं, this will go long way. और आपने काफी समय के बाद किया है, इसके लिए मैं प्रदेश के वागबनों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रोसैसिंग प्लांट है, हमने इसमें डेविएशन किया था। केवल मात्र परवाणू में जो पंलाट था, वही पूरे प्रदेश को देखा करता था। हमें यह लगा कि एक ऐसा processing plant जो 'State of Art' अधुनिक तकनीक से सज़ा हो और वह सेब वाली बैल्ट में लगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता और गर्व भी है कि मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, जहां हिमाचल में सेब और अन्य फलों की सबसे ज्यादा पैदावर होती है। चयन किया गया,उसका शिलान्यास भी किया गया और इसके लिए पैसे का प्रबन्ध भी किया गया। लेकिन दुःख की बात यह है कि राजनीतिक द्वेष के कारण से इसको स्टोप किया गया। इसके पीछे तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट था। नम्बर एक, सेब का बी0 और सी0 का जो ग्रेड होता है, जिसको समर्थन मूल्य देते हैं, वह परवाणू जाता है और जाते-जाते सड़ जाता है। यह सेब बैल्ट के अन्दर था, फ्रैश माल वहां जाता और वह प्रोसैस होता, उसके वाई प्रोडक्ट बनते, उसमें स्थानीय लोगो को भी फायदा होता और सरकार को भी जो फ्रेट देना पड़ता है, सेब बैल्ट से ले करके परवाणू तक, वह भी बच जाता। दोनों तरफ से इसका लाभ होने वाला था। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसको आगे नहीं बढ़ाया गया और यह क्षेत्र जहां पर इसको किया गया था, यह ऐसी जगह था, जहां से कोल्ड स्टोरेज़ नजदीक है। अगर कोई जरूरत पड़ी तो आप इसमें भी इसको रख सकते हैं, जो उत्पाद इसके बाद बनते हैं। अध्यक्ष महोदय, साथ में इसमें जो ट्रेफिक जाम की समस्या होती है, आपने भी देखा होगा। जब सेब का सीज़न होता है, छैला से ले करके ठियोग, ढली से ले करके शिमला से ले करके यानी जब तक यह डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता है, गाड़ियां इतनी हो जाती हैं कि

आम लोगों को इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं बहुत अधिक समय नही लेते हुए जो यहां उत्तर दिया गया है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रोसैसिंग प्लांट के

लिए कैबिनेट में चर्चा हुई और क्या बोर्ड में इसको स्वीकृती मिली हुई है? अध्यक्ष महोदय, बोर्ड में इसके लिए 15 करोड़ रूपये की राशि आबंटित भी थी। क्या यह पैसा drop हुआ है या यह पैसा कहीं डायवर्ट हुआ है? मैं इसमें जाना भी नही चाहता हू और मुझे इसका उत्तर भी नहीं चाहिए। लेकिन यह मुझे लगता है कि विभाग की तरफ से लिखित रूप से मिसगाईड करने का प्रयास किया गया है। जिसकी अगर आप चाहें तो अपने स्तर पर इसकी चांच कर सकते हैं। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। अन्त में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रोसैसिंग प्लांट बहुत ही आवश्यक है और मुझे पता है कि आप खुद बागवान हैं और आप बागवानों का दर्द समझते हैं। क्या आप इस प्रोसैसिंग प्लांट को बानने के लिए, अगर पैसे की कमी है, जैसा आपने उत्तर में दिया है। यह ठीक है कि एच0पी0एम0सी0 के पास पैसे की कमी होती है और अगर वह पैसा दिया गया है तो वह कहां डायवर्ट हुआ है? वैसे मुझे इस बात का पता है कि कहां डायवर्ट हुआ है। लेकिन ऑफिशयली अगर इसका अंसर ठीक आता तो मैं इसको नहीं पूछता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक चल रहा है, उससे कुछ पैसा ले करके क्या इस प्रोसैसिंग प्लांट को शुरू कर सकते हैं? ताकि जो लोन वेवर के लिए आपके माध्यम से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। APEDA से आपको पैसा मिल सकता है। अगर पांच साल में ऐसा नहीं किया होता तो अभी तक यह प्रोसैसिंग प्लांट बन करके तैयार हो जाता। और नहीं Horticulture Technical Mission तो है आपके पास। उसमें अगर आप कोशिश करेंगे तो इसमें भी पैसा आ सकता है। साथ में भारत सरकार की प्रोसैसिंग की मिनिस्ट्री है। उसमें आप पैसा ले सकते हैं। इसलिए मैं आपसे सदन के अंदर आश्वासन चाहता हूं कि क्या हम इस प्रोसैसिंग प्लांट को शुरू कर पायेंगे और अगर यह शुरू होता है तो लोग कब इससे लाभान्वित होंगे? मैं आपसे ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

05/04/2018/1145/RG/DC/1

प्रश्न सं.-501---क्रमागत

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय श्री नरेन्द्र बरागटा जी इस माननीय सदन के एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। इनके पास पहले बागवानी विभाग भी रहा है और ये स्वयं भी एक प्रगतिशील बागवान के रूप में हैं। इन्होंने ठीक कहा कि फल शिमला जिले के दूर-दराज के क्षेत्र जैसे करसोग, सिराज इत्यादि में पैदा होते हैं और कुल्लू में भी काफी फल पैदा होते हैं और प्रोसेसिंग प्लांट्स वहां से सैंकड़ों मील दूर बनाए जाते हैं। सेब विशेष करके क्योंकि इनका प्रश्न विशेषकर सेब और उसके प्रोसेसिंग प्लांट से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय, जो हमारा दागी सेब होता है और जो मार्केट में भेजने योग्य नहीं होता, उसको हम फिर एम.आई.एस. के माध्यम से खरीदते हैं। कई दिनों तक वह सड़क के किनारे बोरियों में पड़ा रहता है। उसके पश्चात जब गाड़ियां उपलब्ध होती हैं, तो उनको ट्रकों में भरते हैं और आज तो ऐसी स्थिति है कि गाड़ियां इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि हमें भी सचिवालय से यहां पहुंचने में ही एक-एक घण्टा लग जाता है और अगर 5-6 किलोमीटर के लिए एक घण्टा लगे, तो जब सेब का सीजन होता है, तो उस समय इससे भी गंभीर समस्या होती है। जैसा मैंने कहा कि कई दिनों तक सड़क के किनारे सेब पड़ा रहता है फिर जब वह गाड़ियों में लोड किया जाता है, तो गाड़ी वाला भी ऐसा सोचता है कि मैं अब इसको ऊपर तक ही लोड कर दूं और ऐक्स्ट्रा लोड डाल लूं। इस प्रकार से बहुत सा सेब गाड़ियों में खराब हो जाता है और जब वह परवाणु में पहुंचता है, तो उसमें से अधिकतर सेब खराब हो जाता है। जबकि हम यहां पूरे सेब की कीमत देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मानना बिल्कुल ठीक है और सरकार भी इस ओर गंभीर है। यह फैसला 28 सितम्बर, 2012 को लिया गया था कि प्रगतिनगर में एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है और इसके लिए एच.पी.एम.सी. की जो चेन्नई में जमीन थी उसको लगभग 17,03,00,000/-रुपये में बेचा गया और सोचा गया कि वहां से जो पैसा आएगा, उसको इस प्लांट के लिए खर्च किया जाएगा। उस समय माननीय श्री बरागटा जी मंत्री थे और विधिवत रूप से इस प्लांट का इन्होंने शिलान्यास किया था। लेकिन शिलान्यास करने के उपरांत चुनाव आए और चुनाव एक ऐसी स्थिति होती है कि

मतदाताओं ने लोकतंत्र में फैसला लेना होता है। उस समय जो मतदाताओं ने फैसला लिया और फैसला इस प्रकार से हुआ कि सरकार

05/04/2018/1145/RG/DC/2

की अदला-बदली हो गई। जब सरकार की अदला-बदली हो गई, तो उससे क्या हुआ कि जिस उद्देश्य को लेकर इन्होंने उस प्लांट को लेकर जो एक योजना बनाई थी उसके मुताबिक उस 17,03,00,000/-रुपये को वहां खर्च करना था। लेकिन सरकार के बदलते ही मन्शाएं बदलीं और उसके साथ-साथ प्राथमिकताएं भी बदल गईं। हमारी सरकार की प्राथमिकता को कूड़ेदान में डाल दिया और आने वाली सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं शुरू कर दीं कि एच.पी.एम.सी. के जो अधिकारी एवं कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी देनदारियां देनी हैं, वे पहली दी जाएंगी और उसमें से कुछ लोग न्यायालय में चले गए। तो न्यायालय से ही फैसला हुआ कि यह जो पैसा वहां से आया है इस राशि से इनकी देनदारियां चुकता कर दी जाएं। जो थोड़ा-बहुत बचा, उस समय क्योंकि एच.पी.एम.सी. भी घाटे में थी इसलिए कुछ वहां लगा दिया और एक ऐसी स्थिति आ गई कि जिस मन्शा को लेकर यह काम शुरू किया गया था और एक बहुत अच्छी मन्शा थी,

05.04.2018/1150/जेके/एचके/1
प्रश्न संख्याः 501:-----जारी-----

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः-----जारी-----

लेकिन धन होते हुए भी उसको दूसरी जगह खर्च करने के कारण यह सारा कुछ अभी तक ठण्डे बस्ते में पड़ा हुआ है। मैं, माननीय सदस्य की भावना की कद्र करता हूं। हम कोशिश करेंगे आदरणीय ठाकुर जय राम जी की अध्यक्षता में सरकार बनी है। पैसे के लिए हम लगातार प्रयासरत्त हैं, चाहे वह भारत सरकार से लेना पड़े या किसी और जगह से लेना पड़े। हम कोशिश करेंगे। मैं, बरागटा जी को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हम

कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हमें किसी फंडिंग एजैंसी से कहीं से भी पैसा उपलब्ध होगा निश्चित तौर पर आपकी इन भावनाओं को, आपकी इस मंशा को हम पूरा करेंगे।

श्री नरेन्द्र बरागटाः अध्यक्ष महोदय, बहुत ही विस्तार से माननीय मंत्री जी ने ज़वाब दिया है। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि प्राथमिकताएं भले ही बदली हो, लेकिन ठाकुर जय राम जी की अध्यक्षता में और जहां आप जैसे बागवान खुद मंत्री हो, मुझे विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में यह पहला ऐसा कदम होगा जिसमें हम प्रोसैसिंग को ले करके आगे बढ़ेंगे। आपने ठीक कहा कि कुल्लू है, मण्डी है और अन्य क्षेत्र भी है । हमने प्रयास किया था कि सब्जी को इसमें ड्राई करके उसका भी साथ-साथ काम किया जाए। यह 17 करोड़ के बजाय लगभग 60 करोड़ रूपए का बनना था। मुझे आपका धन्यवाद करना है कि आपने दूध का दूध, पानी का पानी किया है। हमें तो यह लगता है कि एच0पी0एम0सी0 की पेमैंट तो अभी भी होनी होगी। उस वक्त भी इनकी पेमैंट होने को थी लेकिन हैरानी की बात यह है कि यदि वह पैसा सैलरी में लगा दिया जाए और बागवानों का असली विषय पीछे छोड़ दिया जाए तो मैं इसमें दुख प्रकट करना चाहता हूं। मैं इसमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता लेकिन जैसे आपने कहा और मैंने चार एजैंसी के नाम आपको दिए, आपको पता है कि पैसा आ सकता है और अगर आप गम्भीरता से इसको करेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता

05.04.2018/1150/जेके/एचके/2

होगी। आप वहां आ करके भूमि पूजन भी करें और उसका काम भी शुरू करवाएं, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा है कि अभी तो सरकार को बने हुए तीन महीने हुए हैं। इन तीन महीनों के अन्दर भी हमने अनेकों प्रयास शुरू किए हैं। जो हमारे प्रयास हैं उन प्रयासों के फलस्वरूप मुझे उम्मीद है कि हम खरे उतरेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि जैसे ही किसी एजैंसी के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से या किसी

अन्य जगह से हमें कोई भी राशि प्राप्त होगी निश्चित तौर से केवलमात्र यहां ही नहीं बल्कि जैसे मैंने कहा, जहां कोई फल पैदा किया जाता है उसका प्रोसैसिंग युनिट वहां से सैंकड़ों मील दूर न बनें। उसमें एक तो कैरेज़ कम्पोनेंट पड़ता है।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी पूरा विषय आ गया है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी तसल्ली नहीं हुई है। कैरेज़ कम्पोनेंट पड़ता है। कैरेज़ कम्पोनेंट पड़ने के साथ-साथ हमारे पैसे ज्यादा लगते हैं। धन्यवाद।

05.04.2018/1150/जेके/एचके/3

प्रश्न संख्याः 502

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अध्यक्ष जी, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है। यह बहुत ही इमेज़िग इन्फोर्मेशन है। एक बहुत बड़ा इम्बेज़लमेन्ट केस ट्रायल का ऊना डीविज़न में हुआ था जिसमें इनिशियली 24 लोगों की इन्वॉल्वमैंट पाई गई लेकिन हैरानी इस बात की है कि सेन्टर रूल्ज़ के तहत उनमें से 8 लोगों को माइनर पनिशमैंट दे कर उनको वहां से बहाल कर दिया है। मैं, माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो ये 24 लोग इसमें शामिल थे उनमें से कितने लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज़ हुई है, अगर हुई है तो क्या वह चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि यह टोटल इम्बेज़लमेन्ट केस कितने लाखों, करोड़ों का था?

05.04.2018/1155/SS-HK/1

प्रश्न संख्याः 502 क्रमागतः

श्री नरेन्द्र ठाकुर क्रमागतः

इससे आगे बढ़कर जिन लोगों ने जिस कुर्सी पर बैठकर यह गबन किया और उन्होंने इसको माना है। उनकी कंफैशनल स्टेटमैंट है कि हमने यह काम किया है। उनकी उसी जगह पर दोबारा पोस्टिंग करके उनको एक और लाइसैंस दे दिया है कि आपने यह काम किया, आप फिर उसी जगह पर दोबारा ये काम करें। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो सैंसटिव पोस्टों पर घोटाला करने के बाद लोग बैठे हैं क्या इनको वहां से हटाया जायेगा? मैं इतना आश्वासन माननीय मंत्री जी से चाहूंगा। इसमें 24 लोगों की इंवोल्वमैंट है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एफ0आई0आर0 कितने लोगों के खिलाफ हुई है?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक, नरेन्द्र ठाकुर जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। लेखा परीक्षक के अधिकारियों के द्वारा जब विभिन्न डिपों का लेखा-परीक्षण किया गया तो ऊना क्षेत्र के भण्डार में 1.4.2006 से ले करके 18.3.2014 तक परीक्षण किया गया। जिसमें कुल 50,64,517 रुपये का गबन पाया गया। हमीरपुर से सामान चलता गया लेकिन ऊना के डिपो तक वह सामान पहुंचा ही नहीं। इस घोटाले में जो सामान इंवोल्व था, उसमें विभिन्न चीज़ें थीं। टायर, ट्यूब, इंजन ऑयल, ग्रीस, पेंट, बल्ब, बैटरी, एसिड, वाशिंग ब्रश इत्यादि डिपो तक पहुंचे ही नहीं थे। उसके पश्चात् 21.5.2015 को पुलिस स्टेशन ऊना में एफ0आई0आर0 दर्ज़ हुई, जिसका नम्बर 145/2015 था। जिसमें इनके अतिरिक्त कुछ छोटे कर्मचारी, टैम्पू चालक और दुकानदारों का नाम दर्ज करवाया गया। उसमें आई0पी0सी0 की धारा 406, 409, 467, 468, 471 व 420 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज की गई। अभी यह मामला ऊना की अदालत में चल रहा है और 9.5.2018 को चार्ज फ्रेम करने के लिए लगा है। माननीय विधायक जी ने यह जानना चाहा है कि इसमें कितने अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई। इसमें पहले तो 8 अधिकारियों के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। जिसमें 6 अधिकारियों को पैनल्टी डाली गई और दो के मामले विचाराधीन हैं। उनके अतिरिक्त ऊना व हमीरपुर के 24 में से 14 कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई गई। लेकिन उनमें से 7 कर्मचारियों को वार्निंग दे करके नोटिस वापिस लिया। 7 कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जा रही

05.04.2018/1155/SS-YK/2

है। 7 कर्मचारियों को नियम-16 के अन्तर्गत आरोपित किया गया है। मैं माननीय सदस्य को एक बात का विश्वास दिलवाता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ठाकुर जय राम जी की सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरैंस के लिए कृतसंकल्प है। **जो-जो अधिकारी उसमें संलिप्त रहे और सैंसटिव पोस्ट पर लगे हैं तो उनको बदला जायेगा।** मुझे यहां पर यह बताते हुए संकोच नहीं है कि (1) श्री एच0के0 बहल, उप-मण्डलीय प्रबंधक हैं जो रिटायर हुए हैं। (2) श्री दलजीत सिंह, उप-मण्डलीय प्रबंधक, हमीरपुर; श्री अनूप राणा, क्षेत्रीय प्रबंधक, हमीरपुर; श्री विवेक लखनपाल, आर0एम0 नालागढ़; श्री अनिल मलयान, अनुभाग अधिकारी, धर्मशाला; श्री राजेश जोशी, मंडी; राजेन्द्र कुमार; उत्तम चंद; सुरेश कुमार; सुरजीत कुमार यानी जो भी इनमें से इन सैंसिटिव पोस्ट पर हैं, जिन पर एफ.आई.आर. हुई है, उनको वहां से हटाया जाएगा, यह मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं।

5.04.2018/1200/केएस/वाईके/1

प्रश्न संख्या 502 जारी----

श्री सुख राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, इन्होंने जवाब दिया कि नालागढ़ में कोई घोटाला नहीं हुआ, ऊना में टायरों का घोटाला हुआ है। मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी एच.आर.टी.सी. के डिपो हैं, उनमें जितने भी स्पयेर पाट्र्स पिछले पांच सालों में परचेज़ किए गए हैं, उन सभी की जांच होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जितनी एच.आर.टी.सी. की बसें हैं, उससे दोगुनी बसें प्राइवेट हैं और उससे ज्यादा ट्रक हैं। हम जो स्पेयर पाट्र्स परचेज़ करते हैं वह प्राइवेट वालों से दोगुनी कीमत पर परचेज़ करते हैं। इसलिए अगर इसकी प्रॉपर छानबीन करेंगें तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का घोटाला सामने आएगा। इसलिए एक निष्पक्ष टीम बनाकर इसकी जांच करवाने का क्या माननीय मंत्री जी, आप आश्वासन देंगें?

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य श्री सुखराम जी ने चाहा है, निश्चित रूप से, हमने ज़ीरो परसेंट टॉलरेंस कहा है । दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करवाता हूं कि ऐसी इन्क्वायरी करने का हम विचार करेंगें और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगें।

प्रश्नकाल समाप्त

5.04.2018/1200/केएस/वाईके/2

स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

अध्यक्षः अब सचिव, विधान सभा, उन विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

सचिवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

1. हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 1); और

2. हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 2) ।

5.04.2018/1200/केएस/वाईके/3

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार;
ii. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार;
iii. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार;
iv. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार;
v. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राजस्व क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश सरकार; और
vi. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

अध्यक्षः अब बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगें।

5.04.2018/1200/केएस/वाईके/4

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17;

(ii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व और उसके अनुपालन) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/438 दिनांक 24.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.03.2017 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से जनरेशन को बढ़ावा देना और टैरिफ निर्धारण के लिए नियमों और शर्तों) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/428 दिनांक 31.03.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.04.2017 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत लोकपाल के नियम एवं शर्तें) आदेश 2014 और हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (लोकपाल शिकायत निवारणफोरम ओम्बड्समैन) विनियम, 2013 के विनियमन30 के उप-विनियमन(4)A जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/Secy/609/B/SK/RM2017-142-146 दिनांक 18.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.06.2017 को प्रकाशित;

5.04.2018/1200/केएस/वाईके/5

(v) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व और उसके अनुपालन) विनियम, 2010 के तहत वित्त वर्ष 2017-18 में वित्त वर्ष 2016-17 में आरपीओ के संबंध में अधिशेष/कमी के अनुकूलन/अक्षय ऊर्जा के समायोजन के लिए अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/438 दिनांक 17.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.07.2017 को प्रकाशित;

(vi) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 26 के तहत एक अनुशासनकारी कार्यालय के रूप में सदस्य हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की नियुक्ति के लिए अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/52 का 2001 दिनांक 27.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.11.2017 को प्रकाशित;

vii. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों से जनरेशन को बढ़ावा देना और टैरिफ निर्धारण के लिए नियमों और शर्तों) विनियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/428 दिनांक 16.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.11.2017 को प्रकाशित;

viii. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व और उसके अनुपालन) (चौथे संशोधन) विनियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/438 दिनांक 06.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.12.2017 को प्रकाशित;

ix. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004 के अन्तर्गत राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) के पुनः गठन के संबंध में अधिसूचना संख्याः एचपीईआरसी/B(32)-1/2018 दिनांक 11.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.01.2018 को प्रकाशित; और

5.04.2018/1200/केएस/वाईके/6

x. हिमाचल प्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2008 के तहत ग्रिड कोड समीक्षा समिति के गठन के लिए अधिसूचना संख्याःएचपीईआरसी/H(1)-10/2014-2600-2604 दिनांक 16.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.02.2018 को प्रकाशित ।

((ii) से (x) तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम हैं)

अध्यक्षः अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रेडियोग्राफर, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःस्वास्थ्य-ए-बी(2)-46/2015 दिनांक 15.11.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.11.2017 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य शिक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःस्वास्थ्य-ए-ए(3)-1/99 दिनांक 21.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.08.2017 को प्रकाशित;

5.04.2018/1200/केएस/वाईके/7

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, फार्मासिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःस्वास्थ्य-ए-ए(3)-13/2010 दिनांक 16.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.12.2017 को प्रकाशित;

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग, लोक विश्लेषक एवं रसायन परीक्षक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःस्वास्थ्य-ए-ए(3)-12/201 दिनांक 06.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.11.2017 को प्रकाशित; और

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःस्वास्थ्य-ए0-ए0(3)-5/2015 दिनांक 14.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.12.2017 को प्रकाशित ।

5.04.2018/1200/केएस/वाईके/8

<u>मुख्य मंत्री द्वारा वक्तत्य</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जिला शिमला के चिड़गांव में हुई लड़की की हत्या के संदर्भ में वक्तव्य देंगें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन को बहुत ही दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि एक दुखद घटना शिमला जिला के चिड़गांव में एक लड़की की हत्या हुई है। आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से यह खबर प्रकाशित हुई है। उसके संदर्भ में अपना वक्तव्य देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, दिनांकः 03.04.2018 को श्री बिहारी लाल, सुपुत्र श्री जैसी राम, निवासी गांव मिणी, डाकघर गवारू, तह0 चिड़गावं, जिला शिमला ने थाना चिड़गावं में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांकः 30.03.2018 को वह अपनी पत्नी के साथ बगीचे में काम करने के लिए मसली गया था तथा शाम को घर वापिस आ गया। रात लगभग साढ़े दस बजे उसकी बेटी सरिता अपने कमरे में गई तो कमरे में उसकी दूसरी बेटी संगीता नहीं थी। थोड़ी देर बाद सरिता को संगीता का फोन आया कि पृथ्वी राज, पुत्र केदार सिंह, निवासी गांव थनवाड़ी, तह0 चिड़गांव तथा काजल पुत्री, राजू नेपाली जो शक्ति नगर रोहडू में रहता है, ने उसका अपहरण कर लिया है।

5.4.2018/1205/av/yk/1

मुख्य मंत्री------- जारी

शिकायतकर्ता के बयान पर अभियोग संख्या 19/18, दिनांक 3.4.2018, धारा 364 व 34, भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत थाना चिड़गांव में पंजीकृत किया गया है। अन्वेषण के दौरान दिनांक 3.4.2018 को मृत्तिका का शव बरामद किया गया। मृत्तिका का पोस्ट मोर्टेम आई0जी0एम0सी0, शिमला में करवाया गया, एफ0एस0एल0 जुन्गा से विशेषज्ञों की टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और पृथ्वी राज को गिरफ्तार कर लिया गया है जिससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। अभियोग का आगामी अन्वेषण जारी है।

5.4.2018/1205/av/yk/2

<u>शिक्षा मंत्री द्वारा</u> <u>वक्तव्य</u>

अध्यक्ष : अब माननीय शिक्षा मंत्री 'अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती' योजना पर अपना वक्तव्य देंगे।

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मान्य सदन को एक महत्वपूर्ण विषय से अवगत करवाना चाहता हूं। जैसे कि माननीय सदस्यों को पता है कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में ऐनरोलमैंट घटती जा रही है और पिछले पांच सालों में सरकारी स्कूलों में लगभग 22 प्रतिशत बच्चे कम ऐनरोल हुए हैं। सभी माननीय सदस्यों से माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विषय पर सुझाव भी मांगे थे। सरकारी स्कूलों में बच्चों के घटते पंजीकरण के कारणों का पता लगाने हेतु राज्य शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सोलन द्वारा एक सर्वेक्षण करवाया गया। बच्चों के अभिभावकों का प्राइवेट स्कूलों के प्रति बढ़ते आकर्षण का कारण सामाजिक व मनोवैज्ञानिक भी है। तथ्य यही है कि हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उपलब्धि हासिल की है उन उपलब्धियों में सरकारी स्कूलों, सरकारी नीतियों एवं सरकारी शिक्षकों का योगदान सबसे बढ़कर है। इस मान्य सदन के सदस्यों की सामूहिक चिन्ता शिक्षा के इस सार्वभौमकीय दौर में भी शास्त्रों के अनुसार संस्कार दिए जाने बारे रही है ताकि हम भविष्य की पीढ़ियों को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर सकें। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी विभूतियां अब तक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर उभरी है वे अधिकांश इन्हीं स्कूलों की उपज हैं। मेरा यह मानना है कि इस सदन में अधिकांश सदस्य भी इन्हीं सरकारी स्कूलों से तराशे गये हैं और अब सकारात्मक सरकारी नीतियों को बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें कुछ हटकर और आगे बढ़कर सरकारी स्कूलों के पुनर्त्थान में अपना योगदान देना होगा। हमारी सरकार ने इसी उद्देश्य को लेकर 'अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती' नामक एक वृहद कार्यक्रम की परिकल्पना इस बजट में प्रस्तुत की थी। मैं माननीय सदस्यों का बजट पारित करने के लिए व इस योजना का कार्यान्वयन करवाने के लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही, माननीय सदस्यों का उनके इस नैतिक दायित्व की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिन-जिन स्कूलों से पढ़कर ये आज यहां तक पहुंचे हैं उन स्कूलों की मैन्टरिंग की जिम्मेदारी वे अपने

5.4.2018/1205/av/yk/3

कन्धों पर लें। मैन्टरिंग से हम अपनी जड़ों से दोबारा भावनात्मक तौर पर जुड़ेंगे और यह जुड़ाव किसी भी संस्था के पुनर्त्थान के लिए सबसे बड़ा उत्प्रेरक होते हैं। स्कूलों की मैन्टरिंग के विचार के बाद मेरे ध्यान में ऐसे-ऐसे विद्वानों द्वारा हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने की बात आई है कि शिक्षा विभाग इस योजना द्वारा उपलब्ध जानकारी को डॉक्युमैंट भी करेगा। मैं इस मान्य सदन के प्रत्येक सदस्य का आह्वान करता हूं कि वे अपने उस स्कूल की जिम्मेदारी मैन्टरिंग द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए करें जहां से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। हमारी सरकार का प्रयास सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता और उस पूर्व प्रतिष्ठा को पाने की है जो कि वैश्विक बदलाव के चलते चकाचौंद में कहीं खो गई है। गुणवत्ता स्थाई होती है और इस स्थायित्व को हम इन सब प्रयासों से वापिस पायेंगे, मेरा ऐसा विश्वास आपके प्रयासों पर निर्भर है। धन्यवाद।

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक 2018 (2018 का विधेयक संख्या 7) पर विचार किया जाए।

5.4.2018/1210/TCV/YK-1

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाये।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाये।

Shri Rakesh Singha: Speaker, Sir, I was slightly surprised to see that this Bill is being brought before this House. मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अभी भी विनती करना चाहता हूं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप 2 बनाये, 4 बनाये या 5 बनाये, मुख्य मंत्री महोदय की जो इच्छा हो। लेकिन let us realize one reality. और मैं सोचता था कि आप जो कहते हैं, वह करेंगे। परन्तु अब मुझे शक हो रहा है। ---(व्यवधान)--- ये ईमानदारी की बात है। हम सीरियस फाईनैंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। मैंने आपको सुझाव दिया था और मैं सोचता था कि आप प्रदेश में पहले मुख्य मंत्री होंगे, जो इसको करेंगे। प्लानिंग की मीटिंग के समय मैंने कहा था कि आप 10 फीसदी अपना वेतन कम कीजिए, आपका मंत्रिमण्डल और विधायकगण भी अपना वेतन कम करेंगे। लेकिन आप तो यहां नये मंत्री बनाना चाहते हैं। हम इसको पेश में ऑनेस्ट नहीं है। अगर हम ऑनेस्ट होते तो पेश करते समय Objects and Reasons को सीधे लिख देते। ये 'पहला' लिखने की क्या ज़रूरत थी, पहले पैराग्राफ में "The Chief Whip and the Deputy Chief Whip are responsible for administering the whip etc. etc." और दूसरे पैराग्राफ़ में ये लिखना कि वेतन बढ़ौतरी की, सीधा लिख देते कि हमने कुछ लोगों का वेतन बढ़ाना है। We should not be dishonest. We should be honest in this House. और मैं समझता हूं कि आपकी कठिनाईयां होगी। रूलिंग पार्टी की ज्यादा कठिनाईयां होती है। बहुत-से लोगों को एडजस्ट करना होता है। लेकिन आप उस धारा के हैं, उस विचार के हैं और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं जिस तरीके से आपने इस हाउस के बाहर अपना इंप्रैशन बनाया है, संभवतः आप जब ऐसा-ऐसा करेंगे, वह जो बहुत-से लोगों की आपके प्रति एक आउटलुक है कि आप कुछ देंगे, वह सारी ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता

हूं कि प्लीज़ इस बिल को विदड्रा कर दीजिए। मैं ये भी समझता हूं, आपने रूलिंग पार्टी के लिए दे दिया, इनको (विपक्ष) भी दे दो। जब देना ही है, तो इनको भी दे दो और बराबरी हो जाएगी। ---(व्यवधान)--- I will not accept it. जब करना है तो दोनों तरफ का करो, जिससे वॉकआउट भी कम होंगे।

भारद्वाज जी आप बहुत समझदार है, सीरियस बात कह रहा हूं withdraw it. वह आज हिमाचल प्रदेश की जनता को एक करैक्ट संकेत जाएगा। अगर आप इसको प्रैस करेंगे मैं समझता हूं न हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए अच्छा होगा, न ही इस हाउस के लिए अच्छा होगा। आप नई परम्परा बना रहे हैं जो अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूं देश में ये कहीं नहीं है। ---(व्यवधान)--- अगर 7 जगह है तो 8वीं जगह भी कर लो, अगर आप करना चाहते हैं। इतना कह कर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

5.4.2018/1210/TCV/YK-3

श्री हर्षवर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने ये जो बिल पेश किया है, इसमें चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप बनाने का प्रावधान किया गया है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2004 में जब NDA की सरकार थी,

05-04-2018/1215/NS/AG/1

श्री हर्षवर्धन चौहान -------जारी।

उस वक्त की देश की जो राजनीतिक स्थिति होती थी कि कैबिनेट या जो मंत्रिमंडल हुआ करता था, वह विधायकों की भी आधी संख्या का मंत्रिमंडल हुआ करता था। मगर उस वक्त restriction की गई कि पोलीटिक्ल पोस्टों पर कंट्रोल किया जाये और पार्लियामैंट में एक बिल लाया गया जिसमें इसको कंट्रोल किया गया है। उस हिसाब से हिमाचल प्रदेश में 12 मंत्री बनेंगे। अभी जो यह बिल है, यह उस बिल को बाईपास करने का एक रास्ता है। चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप आपने कैबिनेट मिनिस्टर से कर दिया है। आपने कोशिश की है

और हम समझ सकते हैं कि पोलिटिक्ल सिस्टम में राजनीतिक दबाव होता है, एम0एल0एज़0 का दबाव होता है और जो मंत्री बनने से छूट गये हैं, उनको एडज़स्ट करना पड़ता है। आपकी यह पोलिटिक्ल कम्पल्शन है। मगर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आप जो बिल क्रियेट कर रहे हैं या इस सदन में जो बिल लाये हैं, इसमें भी ऑफिस ऑफ प्रोफिट लगेगा। It will attract Office of Profit. कांस्टिच्यूशन में सिर्फ विधायक उस पोस्ट पर आ सकता है जो कांस्टिच्यूशनल पोस्ट हो। विधायक कांस्टिच्यूशनल पोस्ट पर आ सकता है। Any post which is created by an executive order, MLA cannot hold that post. यह जो पोस्ट आप क्रियेट कर रहे हैं, यह भी एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप की पोस्ट कोई पार्लियामैंट के एक्ट या कांस्टिच्यूशन में नहीं है। चीफ विप और डिप्टी चीफ विप की पोस्ट by precedent है। यह पहले से ले करके परम्परा आ रही है, जैसे चीफ पार्लियामैंटरी सेक्रेटरी थे। यह कहीं कांस्टिच्यूशन में तो था ही नहीं। मगर कोई कानून भी नहीं था। लेकिन एक परम्परा थी कि हमने सी0पी0एस0 बनाने हैं। आपने हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक पेटिशन की थी और हमने उसको झेला है। अध्यक्ष महोदय, अब तो लेटैस्ट दिल्ली वाले केस में पार्लियामैंट सक्रेटरीज़ को अनसीट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग की जज़मैंट है, उस पर स्टे दिया हुआ है। माननीय भारद्वाज जी, इस आधार पर स्टे दिया है कि आपने उनको सुनने का समय नहीं दिया है। क्योंकि आपके Election Commission of India वाले जो थे, उनको जल्दी थी। वे गुज़रात से थे और रिटायर हो रहे थे, इसलिए उनको जल्दी थी। इसलिए उन्होंने वह जज़मैंट जो है बगैर विधायकों को समय दिये बिना सुन ली है। हम नहीं चाहते कि हमारे जो दो विधायक हैं, वे सदन से बाहर जायें। आप माननीय बरागटा और माननीय ध्वाला जी का नाम ले रहे हैं। ये दोनों काबिल व्यक्ति हैं और हम नहीं चाहते हैं कि ये दोनों इस

05-04-2018/1215/NS/AG/2

सदन से बाहर जायें। अध्यक्ष महोदय, आप जो करेंगे और हम मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे कि आप सोच समझ कर करें। एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक मैसेज़ जो बाहर ज़नता में जाता है कि हम बातें करते हैं कि हमें कटौती करनी चाहिए। This is an example what we are doing. मैं सिंघा जी की बात से सहमत हूं कि हम क्या कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री

जी तो नये मुख्यमंत्री और ईमानदार हैं और लोगों को इनसे बहुत आशायें और आकाक्षायें थी कि जो पुरानी और गलत परम्परायें हैं, यह उनको खत्म करेंगे। लेकिन आप यह तो नयी परम्परा शुरू करने जा रहे हैं। अभी यहां पर ठीक कहा है कि आप ऑब्जैक्टिवज़ लिख रहे हैं। ऑब्जैक्टिव तो आप सीधे लिखो कि यह हमारी पोलीटिक्ल कम्पल्शन है। आप यह घूमा-फिरा करके क्यों लिख रहे हैं कि मेनेज़मैंट करना है, को-ऑर्डिनेशन करना है और मज़ेदार बात आप लिख रहे हैं "The Chief Whip and the Deputy Chief Whip keep in close touch with the Whips of the other parties also on the matters concerning the business in the House". मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष का भी तो विप, चीफ विप और डिप्टी चीफ विप है। जो काम सत्ता पक्ष के विप ने करना है, वही काम हमारे विप ने भी करना है। अगर आपके चीफ विप और डिप्टी चीफ विप को कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर का स्टेट्स चाहिए तथा उसके बिना वे काम नहीं कर सकते तो हमारे भी चीफ विप और डिप्टी चीफ विप को भी वही स्टेट्स चाहिए क्योंकि फंक्शनिंग तो सेम है। चीफ विप और डिप्टी चीफ विप का काम तो हाउस के अंदर है, बाहर तो कोई काम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अमेंडमैंट भी दिया है। हमने यानि कांग्रेस पार्टी ने एक नीतिगत फैसला किया है कि हम इसके विरोध में हैं। जो ये पोस्टें क्रियेट की जा रही हैं, एक बैकडोर एंटरी की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अमेंडमैंट दी है, मैं उस अमेंडमैंट को वापिस लेता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस बिल को वापिस लें।

05-04-2018/1215/NS/AG/3

अध्यक्षः अब श्री मुकेश अग्निहोत्री जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, कल भी हमने अपनी पार्टी का स्टैंड माननीय मुख्य मंत्री जी को स्पष्ट कर दिया था और आज भी हम इनसे यही कहना चाह रहे हैं कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। इस फैसले को टाल दें और अभी इस बिल को वापिस ले लें। अगर आप इसको पास करना चाहते हैं तो पहले इसको सलैक्ट कमेटी को भेज दें।

05.04.2018/1220/RKS/DC-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री... जारी

आप इतने जल्दी इस बारे में फैसला न करें। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने दबाव के कारण एक ही बार में 12 मंत्री बना दिए । अब मंत्री बनाने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इसलिए भी कुछ लोगों का दबाव होगा। अखबारों में श्री रमेश चंद ध्वाला जी और श्री नरेन्द्र बरागटा जी का नाम आया है। इनके फोटो भी छपे हुए हैं। इनका स्टेटस पहले ही आउट हो गया। शायद इसकी जानकारी आपने पहले ही दे दी है या पता नहीं पत्रकारों की अपनी सोच है। लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर आप बिना विभाग के बना रहे हैं; वे कहां बैठेंगे, इनके दफ्तर कहां होंगे? आप कह रहे हैं कि ये हमारे साथ सम्पर्क करेंगे। हमारे साथ ये क्या सम्पर्क करेंगे? हमारे लिए तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ही काफी है। क्योंकि आपने "in principle" स्टैंड ले लिया कि मैं फिजूलखर्ची के खिलाफ हूं। आप कह रहे हैं कि हमने सी.पी.एस. नहीं बनाए। यह आप सी.पी.एस. का वाया-मीडिया ही निकाल रहे हैं। अब आप बताओ उपाध्यक्ष के रैंक का क्या होगा? आप मुख्य सचेतक को कैबिनेट रैंक में ले रहे हैं। नम्बर-2 में उपाध्यक्ष होगा जोकि मिनिस्ट ऑफ स्टेट है। क्या आप उपाध्यक्ष के रैंक का पुनः निर्धारण करेंगे या वे भी कैबिनेट रैंक में जाएंगे? मुख्य सचेतक जोकि पार्टी का आदमी है उसे आप संविधान में उपाध्यक्ष से ऊपर कैसे बिठा सकते हैं? यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोस्टे हैं और ये इनके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप एडजैक्टिव ऑर्डर से तो बना लेंगे परन्तु आप संविधान को बाई-पास नहीं कर सकते। हमने कल भी कहा था कि आप इस पर विचार करें। आपने इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इनको मंत्रियों की तर्ज पर वेतन-भत्ता मिलेगा। इनको मंत्रियों की तर्ज़ पर कोठियां और अन्य सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा निःशुल्क यात्रा, मोटर कार कर्ज, अग्रिम कर्ज, गृह निर्माण कर्ज, मुफ्त टैलीफोन ये सारी सुविधांए आप कैबिनेट मंत्री के तर्ज पर इनको देने जा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो यह पहला सदन होगा जिसमें 14 कैबिनेट मंत्री होंगे। वैसे करने को तो सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं। मध्य प्रदेश में 5 बाबों को ही राज्य मंत्री का स्टेटस दे दिया गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल हमारे माननीय सदस्य, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी ने जो मंदिर की एनक्रोचमैंट का मसला उठाया, उसमें माननीय मंत्री जी ने बाबा जी और मंदिर की पूरी महिमा मंडित कर दी। हम

पूछ रहे हैं कि क्या वह मंदिर अवैध कब्जे में है या वहां पर होटल चल रहा है? इन्होंने पता नहीं क्या-क्या उपदेश दे दिए।

05.04.2018/1220/RKS/DC-2

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया आप बिल पर बोलिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय मंत्री जी हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। एक साधारण प्रश्न है कि मंदिर में अवैध कब्जा है। अदालतों ने कहा है कि कब्जे हटाओ। (...व्यवधान...)।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया आप बिल पर बोलिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमारा यह आग्रह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि क्या हमारे उपाध्यक्ष कैबिनेट रैंक में होंगे? (...व्यवधान...) अगर मुख्य सचेतक कैबिनेट रैंक में है तो हमारे माननीय उपाध्यक्ष जोकि पिछड़े इलाके से आते हैं, दूर-दराज इलाके से आते हैं, इनको कैबिनेट रैंक क्यों नहीं दिया जा रहा है? विधान सभा की अपनी एक हाइरार्की है और ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनके ऊपर किसी को बिठा दें। इसलिए हम आपसे यह चाहेंगे कि इस बिल को वापिस लिया जाए। आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए और इस बिल को सलैक्ट कमेटी को भेजा जाए। क्योंकि इस के बहुत दूरगामी नतीजे हैं। हमारी पार्टी का "in principle" स्टैंड है कि We oppose this Bill.

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री विक्रमादित्य सिंह जी अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

05.04.2018/1225/बी0एस0/डी0सी0-1

श्री विक्रमादित्य सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक युवा विधायक होने के नाते माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता कि जो नई परंपरा सरकार द्वारा लाई जाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी को इस चीज से बचने की आवश्यकता है। इसलिए भी बचने की आवश्यकता है because the BJP claims itself to be a Party with a difference. अगर उनका ये proclamation है, इसको माननीय प्रधान मंत्री जी भी बड़ी गम्भीरता पूर्वक हर स्टेज पर रखते हैं। think this is a very wrong precedent which a Government is trying to set. मैं भी political history का विद्यार्थी रहा हूं और मैंने ये चीजें पढ़ी है कि कई चीजें by convention होती है। जिसका रूल बुक में कहीं मेंशन नहीं होता but things which have been going on by convention और जो ये Chief Whip है उसी दयरे में आता है। they should not be given any privilege which brings them above the set precedent of the Government.चाहे वे संवैधानिक पोस्ट हैं चाहें वे और अधिकारी गण हैं । इस चीज को हमें निश्चित तौर पर बड़ी गम्भीरतापूर्व सोचने की आवश्यकता है। दूसरा में इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीति जो है यह 'game of perception'. लोग इससे लारजर मैसेज क्या ले रहे हैं। अब जगह-जगह पर जिस दिन से मुख्य मंत्री जी की सरकार बनी उन्होंने यह मैसेज दिया कि हम वी.आई.पी. कल्चर को प्रदेश के अन्दर खत्म करना चाहते हैं और आप आज सिनियर नेताओं को कहीं-न-कहीं एडजस्ट करने के लिए एक जो प्रथा शुरू हुई है। It should not only be seen in the context of the present Government. Once this precedent has been set it will be there for the times to come for the successive Governments. आप क्या प्रथा आज शरू कर रहे हैं। जो आने वाली पुश्तों को आने वाली सरकारों को एक मैसेज दे रहे हैं, इस चीज को हमें देखने की आवश्यकता है। जहां तक इसमें "Office of profit "की बात की गई, अध्यक्ष महोदय, आप ही के साथ हम दिल्ली गए थे और दिल्ली में बड़ी बी.जे.पी. की वरिष्ठ नेत्री मिनाक्षी लेखी जी, उन्होंने एक बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण दिया था कि किस तरह से जो हमारे विधायक गण हैं

उनको कैसे "Office of profit "से बचने की आवश्यकता है और उन्होंने यह भी कहा कि जो

05.04.2018/1225/बी0एस0/डी0सी0-2

बी.जे.पी. के विधायक हैं खासतौर से they should refrain from any of these lucrative posts that have been offered to them. It is not about the Rule not about the obligation but it is about self consciousness. कहीं-न-कहीं हमारे अंदर से consciousness हमको एलो नहीं करती है कि जब हम एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, चुनकर हम आए हैं तो केवल और केवल फायदे के लिए इस पोस्ट को स्वीकार करें, इसको भी देखने की आवश्यकता है। अंत में इतना ही कहूंगा कि एक कहावत है "with absolute power comes greater responsibilities" आपके पास पावर है पूर्ण बहुमत है मगर उस मेजोरिटी को आप ढंग से इस्तेमाल करिए। लोगों के हित में इस्तेमाल करिए, हम आपका समर्थन करेंगे परंतु but don't use that authority to benefit your colleagues and to benefit the people of the Ruling dispensation. That is my request to the Hon'ble Chief Minister otherwise it will set a very wrong precedent for times to come. Thank you very much.

05.04.2018/1225/बी0एस0/डी0सी0-3

श्री सुख राम : आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ऐसा लगता है कि जब आदमी इस तरफ (विपक्ष में) चला जाता है तो उसकी ज्ञान की तीसरी इन्द्री जाग जाती है। जब वह इस तरफ (सत्ता पक्ष) जाता है तो उस समय वह कुछ नहीं सोचता। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो तीसरी इंद्री जाग जाती है और वह बहुत ज्यादा ज्ञान वर्धक हो जाता है। इनको अपनी सरकार का समय याद करना चाहिए। इन्होंने सुनिए ध्यान से .....(व्यवधान)....सुनिए, पिछली सरकार के समय में सी.पी.एफ. के खिलाफ बहुत निर्णय आए, तब भी आपने 9

सी.पी.एस. बनाए और आदरणीय राम लाल ठाकुर जी बैठे हैं, इनको आपने कैबिनेट का दर्जा दे करके रखा था, हमारे मुसाफिर साहब को कैबिनेट का दर्जा दे करके रखा था, हमारे मित्र हर्षवर्धन जी है, इनको चेयरमैंन का दर्जा दे करके रखा और आदरणीय कुलदीप कुमार जी को चेयरमैंन का दर्जा दे करके रखा।

5.4.2018/1230/DT/HK/1

श्री सुख राम द्वारा----------जारी

और 40 से 45 बोर्ड के चैयरमैन और वाइस-चैयरमैन बनाए। उस समय प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब हुई लेकिन इसकी चिंता किसी ने नहीं की। हमारी सरकार ने 9 सी०पी०एस० नहीं बनाये हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि हम सी.पी.एस. नहीं बनायेंगे। जब आप विपक्ष की तरफ जाते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ जाता है। आज हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से गुज़र रहा है और इसके बारे में जो सच्चाई उस पर दिल से बात करनी चाहिए। जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। सारी बातें कहने से नहीं हो जाती है। आज शिक्षा के ऊपर चर्चा होनी है। फिर हम बतायेंगे कि कौन प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करना चाहता है। इसीलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो हम एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, चाहे यहां इस तरफ के लोग बैठे हैं या उस तरफ के लोग बैठे हैं वे अपनी अंतरआत्मा में झांक कर बोला करें। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।

5.4.2018/1230/DT/HK/2

अध्यक्षः अब माननीय सदस्या, श्रीमति आशा कुमारी जी अपने सुझाव देंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने बात कही है, मैं उसी के समर्थम पर बोलना चाहूंगी। मुख्यमंत्री महोदय, जो श्री सुख राम जी बोल रहे है कि हमारे 45 या 50 थे आप 100 बनाईये, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं न ही

कोई वित्तीय स्थिति की बात कर रही हूं। उसका आपने कैसे प्रबंधन करना है वो आप जाने। मगर इस सदन की मर्यादायें हैं। जो श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा कि की पार्टी की पोस्ट होती हैं। हमारे भी मुख्य सचेतक और उप सचतेक हैं। जो मार्क्सिस पार्टी राष्ट्रीय दल है, ये चाहे सिंगल है लेकिन ये भी अपनी पार्टी के सचेतक हैं। व्यवधान.....श्री महेंद्र सिंह जी आप जानते हैं कि हर पार्टी का सचेतक होता है। प्रश्न तो यह है कि जो श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने उठाया है उसमें डिप्टी स्पीकर कोई भी हो। वर्तमान में डिप्टी स्पीकर हमारे चंबा जिला से हैं। He has the rank of State Minister and the two MLAs' जिन्हें पता नहीं किसके साथ चर्चा करनी है, कहां बैठना है, क्या करना है, एक का कैबिनेट का रैंक होगा और एक का स्टेट मिनिस्टर का रैंक होगा, for what? He is the elected Speaker by the Hon'ble House. इनका इलैक्शन हुआ है । ये आपकी पार्टी ने अप्वॉइंट किया है। This is also a Party post जो हमारे सचेतक हैं। अध्यक्ष महोदय जो बात श्री हर्षवर्धन जी ने कही है इसका गहन चिंतन करना बहुत जरूरी है। Constitutional post अगर कोई नहीं होगी तो वह 'Office of Profit' में आता है। There are certain conventions. In India, we follow the procedures in the Parliament and in the Vidhan Sabha, which is followed by the House of Lords in London. House of Lords में जो मंत्री होते हैं उनके साथ लैजिस्लेटिव सैक्रेटरीज लगते हैं। This is the convention. Here you can also bring the law where you can make Legislative Secretaries. But this is absolutely strange thing that you are doing कि दो विधायक जो हैं उनको मंत्री को स्टेटस होगा और डिप्टी स्पीकर को मिनिस्टर स्टेटस का होगा। उनकी तनख्वाह उनसे कम होगी। He is a duly elected person

5.4.2018/1230/DT/HK/3

अध्यक्षः माननीय सदस्या,उपाध्यक्ष महोदय आपके पड़ोस में बैठे रहे हैं आप इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं?

श्रीमति आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। इससे पहले श्री जगत सिंह नेगी जी थे और उससे पहले बहुत सारे लोग थे। It is a question of convention, priority and propriety. और आपका जो है this is not the question of what you can do with brute majority. It is the question of your morality. Are you morally correct in doing this? Are you morally correct in bringing this legislation? श्री ध्वाला जी तो हमारे परम मित्र है। और मैंने पहले भी कहा कि श्री बरागटा जी हमारे मामे है। That is not the Issue.The issue remains that how can you do a thing like this. क्या आप ऐसा कर सकते हैं ? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मुख्यमंत्री महोदय इस बात के लिए तैयार हो जाये कि इसको सिलैक्ट कमैटी को भेजा जाये और इसको पूरा स्टडी किया जाये। उसके बाद फिर इस पर फैसला किया जाये।

05/04/2018/1235/RG/HK/1

----(**व्यवधान**-)-----
अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप बोलिए।
मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है।----(व्यवधान-)-----
श्री जगत सिंह नेगी : हम विधान सभा में किसलिए आए हैं, आप हमें बिल के ऊपर नहीं बोलने देते।
अध्यक्ष : आप लोग बिल के ऊपर एक-एक घण्टे बोले हैं और लगातार बोल रहे हैं। ----(व्यवधान-)-----आप बैठिए। मुख्य मंत्री आप बोलिए।
मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ----(व्यवधान-)-----
अध्यक्ष : अभी मुख्य मंत्री महोदय बोल रहे हैं। आप बैठिए। ----(व्यवधान-)-----

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गए)

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया आप बैठें, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।
मुख्य मंत्री : ठीक है, अध्यक्ष महोदय। आप लोग कभी तो दूसरों को सुन लिया करें।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : हमारे तो सारे सुन रहे हैं, आप अपने को कंट्रोल रखिए।
मुख्य मंत्री : ये कुछ भी नहीं सुन रहे, आप भी कुछ नहीं सुन रहे हैं।
श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, एक इशु पर डेलिब्रेशन चल रही है जो एक संवेदनशील मुद्दा है जिस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर देना है। होना तो वही है जो इन्होंने अपने बहुमत से करना है। संख्याबल इनके पास है, ये कुछ भी करें।
मुख्य मंत्री : आप भी इसमें सहयोग करें।
श्री मुकेश अग्निहोत्री : लेकिन कम-से-कम हमारे सदस्यों की इस पर आप राय तो सुन लें। यदि दो या पांच मिनट चर्चा और हो जाएगी, तो क्या हो गया? आपने करना वही है, जो आप मन में सोचकर आए हैं। लेकिन आप बात तो सुन लें कि हमारे सदस्या क्या कह रहे हैं?
अध्यक्ष : श्री मुकेश जी, मैं एक बात बहुत ही स्प्ष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि बजट सत्र समाप्ति की ओर है और मैं भी बीस वर्ष तक इसी सदन में इस ओर (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) रहकर चिल्ला-चिल्लाकर हाथ खड़े करता रहा। --(व्यवधान-)-आप लोग एक मिनट बैठिए और आज आप लोगों ने गैलरी में जाकर अध्यक्ष के खिलाफ नारे लगाए। -(व्यवधान-)तो ठीक है। श्री जगत सिंह नेगी जी दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

05/04/2018/1235/RG/HK/2

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट तो बहुत कम हैं क्योंकि यह एक बिल है।

अध्यक्ष : आप बीस मिनट में बोलिए।
श्री जगत सिंह नेगी : एक विधायक बिल या लेजिसलेशन के बारे में जो हमारा सबसे पहला काम है उसमें नहीं बोल सकता, तो मैं किस पर बोलूंगा?

अध्यक्ष : आप ज्यादा मत बोलिए, बिल पर बात कीजिए। मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे सब पता है, you have been a Deputy Speaker and how you were controlling the House, I know it.
Sh. Jagat Singh Negi : That doesn't mean that I should keep mum, I cannot do it. ----(व्यवधान-)-----बिल्कुल नहीं होगा। कोई नहीं होगा

----(व्यवधान-)-----
विधायक किसके लिए है? अगर बिल के ऊपर नहीं बोलेंगे, तो किसके ऊपर बोलेंगे?
----(व्यवधान-)-----
अध्यक्ष : आप अपनी बात बोलिए।
Sh. Jagat Singh Negi : There should be ----(interruption)-----
मैं बोलता हूं, एक मिनट।----(व्यवधान-)-----'सबका साथ, सबका विकास।'----(व्यवधान-)-----
श्री मुकेश अग्निहोत्री : यह सदन है, इस प्रकार से नहीं चलेगा। ----(व्यवधान-)-----यह गलत बात नहीं चलेगी।
अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

05/04/2018/1235/RG/HK/3

श्री जगत सिंह नेगी : यह माननीय मुख्य मंत्री जी की पार्टी का बहुत बड़ा नारा है और इस बिल के माध्यम से हो क्या रहा है कि 'सबका विनाश और भा.ज.पा. का विकास।'

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : कांग्रेस का विनाश।

श्री जगत सिंह नेगी : आप चुप रहिए, आप बीच में नहीं बोल सकते। आप चुप रहिए, मैं कभी आपके बीच में नहीं बोलता हूं। ----(व्यवधान-)----- why are you disturbing me? आपको क्या तकलीफ है? मुझे बोलने दीजिए, मैं भी चुना हुआ एक विधायक हूं। एक बात बहुत सत्य है कि 'अन्धा बांटे रेवड़ियां, मुड़-मुड़कर अपने को दे।' यह इस बिल में है। ----(व्यवधान-)-----बिल्कुल यह इस बिल में है।

माननीय अध्यक्ष जी, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान हमारे देश का है। इसको बनाने में महान लोगों ने बहुत योगदान दिया है। तीन-तीन, चार-चार साल लगे, संविधान के ऊपर चर्चाएं हुईं तब जाकर संविधान बना और उसमें पक्ष एवं विपक्ष की भूमिका तय की गई है। लोकतंत्र बिना विपक्ष के नहीं चल सकता। लेकिन आपने विपक्ष को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सबसे पहले आपने हमारे विधायक दल को ऐज़ अपोजीशन

पार्टी रिकौगनाइज़ नहीं किया।----(व्यवधान-)-----लेकिन जब राजा साहब माननीय मुख्य मंत्री थे

05.04.2018/1240/जेके/वाईके/1

श्री जगत सिंह नेगीः------जारी-------

10 आदमी आपके थे तब भी आपको रेकग्नाइज़ किया। आप भेदभाव की राजनीति करते हैं। आपकी संकीर्ण सोच के कारण यह हो रहा है। आज जो आप इस बिल को ले कर आए हैं, जैसे कि मुझसे पूर्व साथियों ने भी कहा, वाकई आप डिप्टी स्पीकर की पोस्ट की गरिमा को गिरा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को आप नीचे करके सचेतक को ऊपर बना रहे है? सचेतक भी किसका? मेजॉरिटी पार्टी का सचेतक। आपने इस बिल को बनाने से पहले क्या पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो सचेतकों के लिए कानून बनाया है, लीडर्ज़ ऑफ अपोजिशन या लीडर्ज़ ऑफ रेकग्नाइज्ड पार्टी, उसको पढ़ा है? उसमें सभी किस्म के लोगों को, चाहे वह 20 की मेज़ॉरिटी वाला है, चाहे 10 की मेज़ॉरिटी है, सभी सचेतकों को भी रेकग्नाइज़ किया गया है, सभी को सुख-सुविधाएं दी गई हैं। आपने केबिनैट का रेंक दे कर, आप इनको सुख-सुविधाएं देते परन्तु केबिनैट का रेंक नहीं देना चाहिए क्योंकि हाऊस के अन्दर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने हुए हैं उनसे ऊपर सचेतक कैसे जाएगा और वह भी मेज़ॉरिटी पार्टी का? यहां पर ठीक कहा गया कि आपके पास ब्रूट मेज़ॉरिटी है । ब्रूट मेज़ॉरिटी को अगर हिन्दी में कहे तो (***) बहुमत है। आप(***) गलत बिल यहां पर हमसे पास करवाने जा रहे हैं। आप इसके ऊपर सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं? .....(व्यवधान).....क्या यह कोई अनपार्लियामेंटरी है? ब्रूट का मतलब क्या होता है? ब्रूट का मतलब होता है (***) ब्रूट मेज़ोरिटी। अंग्रेजी में बोलो तो ठीक हिन्दी में बोलो तो आपको आफ़त है। आपको क्या तकलीफ़ है?(व्यवधान)

अध्यक्षः असंदीय भाषा को नोट न करें। .....(व्यवधान)..... आप अपनी बात बोलिए।

Shri Jagat Singh Negi: Hon'ble Speaker, Sir, this is not unparliamentary word. ब्रूट का मीनिंग आप डिक्शनरी में देखें। ब्रूट मतलब (***) (***) अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूं।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

05.04.2018/1240/जेके/वाईके/2

अध्यक्षः नेगी जी, एक मिनट। श्री नरेन्द्र बरागटा जी।

श्री नरेन्द्र बरागटाः अध्यक्ष महोदय, यहां सिर्फ नारे ही नहीं लग रहे हैं बाकी सारी बातें हो रही हैं। माननीय सदन में माननीय सदस्य हैं। दुनिया भर के आरग्युमैंटस देते हैं कि इसका सम्मान करना है? यानि कि इस तरह की भाषा का प्रयोग ऐसे लोग करेंगे जो कई दफा विधान सभा में आए हैं?। (***) का मतलब क्या है? ये तो आपको भी (***) कह रहे हैं। ये सबको ही (***) कह रहे हैं। क्या यहां पर (***) बैठे हुए हैं? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि (***) शब्द कार्यवाही से हटाया जाए। यह बहुत गलत है और यह अच्छा नहीं है इस तरह की बयानबाज़ी करना। सभी को ज़ानवर कह देना जो चुने हुए नुमाइंदे हैं। ये तो अपने आपको भी (***) कह रहे हैं।

अध्यक्षः इसका निर्णय मैं पहले ही दे चुका हूं। श्री जगत सिंह नेगी जी आप अपनी बात पूरी करे

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

05.04.2018/1240/जेके/वाईके/3

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा कि अंग्रेजी में अगर ब्रूट बोल दे तो आफ़त नहीं है और हिन्दी में आप ब्रूट का मीनिंग पूछ लीजिए ब्रूट का मतलब, मैंने आपको (***) नहीं कहा। मैंने मेज़ॉरिटी जो आपकी है, उसको कहा है। (व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, एक मिनट। नेगी जी, कई बार ऐसा होता है कि शब्दों के अर्थ जब भाषाएं बदलती है तो वह अर्थ कई बार शब्दार्थ में कष्टदायक होते हैं और उसके कारण इतिहास बदल जाते हैं। धर्म की इंगलिश रीलिजन नहीं है और रिलिज़न की हिन्दी धर्म नहीं है। उसके कारण पूरे देश में पिछले 80 साल से बवाल चला हुआ है। हर व्यक्ति का धर्म पूजा-पद्धति है। मेरी आपसे गुज़ारिश है, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप ब्रूट बोलिए क्योंकि इंगलिश में वह शब्द है। श्री जगत सिंह नेगी जी।

श्री हर्षवर्धन चौहानः अध्यक्ष जी, शब्द का जो मीनिंग हैं वह तो सोचने वाले पर भी निर्भर करता है कि उसकी सोच क्या है, उसको कैसे लेते हैं? (व्यवधान)

अध्यक्षः जगत सिंह नेगी जी, आप बोलिए।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, मैं अंग्रेजी वाला शब्द ही रखता हूं। अंग्रेजी में डॉग बोले तो अच्छा लगता है और हिन्दी में कुत्ता बोले तो अच्छा नहीं लगता है। मैं ब्रूट ही कहता हूं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए आप ऐसे-ऐसे बिल ला रहे हैं। इस बिल को आप वापिस लीजिए। इसको सलैक्ट कमेटी में भेजें। वहां पर चर्चा हो। वहां पर देखेंगे कि इसमें क्या कमी है? क्या आपने यह जो लक्ष्मण रेखा पार की है, उससे बाहर आपको लाया जाए, कैसे उसको किया जाए, इसको ठंडे दिमाग से सोचिए।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

05.04.2018/1245/SS-YK/1

अध्यक्षः श्री राम लाल ठाकुर जी, दो मिनट बोलिये।

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। परन्तु मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की परिस्थिति को समझता हूं। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो

अभी आप चीफ व्हिप और व्हिप के लिए सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं यह कहीं गले की हड्डी साबित होगा। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि आप यहां पर चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी और पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी नहीं बना सकते और मुझे याद है कि जब हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो जो हमारे चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी बने थे। उसमें लोग कोर्ट में गए थे और अध्यक्ष महोदय इसी माननीय सदन में फिर उसका तौर-तरीका बदलना पड़ा कि कभी भी किसी भी ढंग से उनको मिनिस्टर नहीं माना जायेगा। They will be helping the Hon'ble Ministers. अब दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ गया, उसमें भी और ज्यादा चीज़ें आ गईं। अब जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं कोई चेयरमैन नहीं बनाऊंगा। अखबारों में आ गया, एक सदस्य ने कहा कि मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। कई और के बारे में भी आया। जब मुख्य मंत्री बने थे तो उसके बाद क्या-क्या हुआ, सबको मालूम है। हम आपकी परिस्थिति को समझते हैं। आप मुख्य मंत्री हैं, आपने सरकार को चलाना है। लेकिन ऐसा तरीका मत ढूंढो, जिस तरीके के बाद कोई कानूनी दिक्कत खड़ी हो जाए। It will be an official profit post. कल को जो बाकायदा तौर पर ज्यूडिशरी स्क्रूटनी में जाते हैं तो फिर इन चीज़ों के बारे में उत्तर देने मुश्किल हो जाते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि इसके बारे में पुनर्विचार कर लिया जाए। इसे आप जल्दबाजी में पास न करें। यह न हो कि जो आपके गले की हड्डी बनी हुई है वह आगे को सब के गले की हड्डी बन जाए। आप अपने गले की हड्डी को निकालो लेकिन उसका तरीका ढूंढ लीजिए। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि ये जो चीफ व्हिप और व्हिप हैं ये सदन में कार्यवाही चलाने के लिए नहीं हैं। How will you justify their working in the Government? अगर आप इनको कैबिनेट और राज्य मंत्री का स्टेटस देंगे, आप उनकी वर्किंग से इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह भी एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। यहां पर हमारे भाई सुख राम जी ने कह दिया कि पिछली सरकार में चेयरमैन थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी चेयरमैन था। मुझे भी कोई डयूटी दी गई थी। हमने उसको चलाया। लेकिन इनको यह मालूम नहीं है कि जो चेयरमैन बने थे, उनको सैलरी नहीं थी। एक बार हमारे रंगीला राम राव जी जब कैबिनेट स्टेट्स के साथ पॉलिटिकल एडवाइजर बने। He was a Chairman. He was appointed with the Chief

05.04.2018/1245/SS-YK/2

Minister as his Political Advisor. तो उनको पत्रकारों ने पूछा कि आपकी तनख्वाह कितनी है। तो पता चला कि 17000 रुपये तनख्वाह है। वही फाइनेंस डिपार्टमैंट उस टाइम भी था और वही फाइनेंस डिपार्टमैंट आज भी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 17000 रुपये में एक चेयरमैन काम करता था, कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। 200 रुपये डेली टूअर पर जाने के लिए मिलता था, मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहूंगा। ये वे चेयरमैन नहीं थे, काम करने के लिए उनको पैसा नहीं दिया गया था। ये कहा गया था कि वे जिम्मेवारी से काम करेंगे लेकिन वे ऐसे चेयरमैन नहीं थे जिनको कैबिनेट स्टेट्स था। आज आप पॉलिटिकल आदमियों को कैबिनेट स्टेट्स देकर सैलरी दे रहे हैं। आज भी आपने पॉलिटिकल एडवाइजर, आदरणीय मुख्य मंत्री के एप्वाइंट कर रखे हैं they have been appointed with the salary. They have been appointed with all the facilities of the Hon'ble Minister. परन्तु वह वीरभद्र सिंह की गवर्नमैंट में नहीं था। यह मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहूंगा। आप एक इम्प्रैशन ले रहे हैं कि पहले इतने चेयरमैन थे। आप बना लो, आप क्यों नहीं बना रहे हैं? लेकिन कृपा करके जो बोर्ड और कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने थे उनको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं थे। उनको सिर्फ 17000 रुपये मिलता था। आज मैं कहना चाहूंगा कि आपने जितनों को बनाना है बना लो लेकिन इस प्रकार से नहीं होगा। मैं आपको कोई चुभने वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि अगर आपने चेयरमैन बनाने हैं तो उनको कौन रोक रहा है आप बना लो। लेकिन गलत परिपाटियों मत छेड़िये। मैं यह कहना चाहूंगा कि these are political posts, व्हिप और चीफ व्हिप हर पार्टी के द्वारा एप्वाइंटिड हैं उनको आप संवैधानिक पोस्टें नहीं मान सकते। They cannot be above then the Hon'ble Deputy Speaker. आप मुझे बताईये कि जब आपके चीफ व्हिप और व्हिप वहां पर बैठेंगे और आपकी जगह पर जब डिप्टी स्पीकर बैठेंगे you tell me how will you justify this post as he has been elected by the Vidhan Sabha? इसलिए मैं कहूंगा कि दोबारा से इसके बारे में सोच लिया जाए। इसको सिलैक्ट कमेटी को भेज दीजिए।

5.04.2018/1250/केएस/एजी/1

श्री राम लाल ठाकुर ... जारी...

कृपया जो आपके ये वाइट कॉलर जॉब वाले हैं, उनकी हर बात को मत मानो। ये आपको आगे के लिए दिक्कत खड़ी कर देंगें। ये बाहर जा कर खुश हो जाएंगे कि अच्छा हुआ मज़ा आ गया। हम ही है जो आपसे में लड़ते हैं। ये आपस में कभी नहीं लड़ते। इसलिए ये वाइट कॉलर वाले जो लोग हैं, ये जो आपको गैलरी से स्लिप दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, कृपया इस सलाह से भी बचो। मुख्य मंत्री जी, आप भले आदमी हैं, आप अपने दिमाग से काम लीजिए।

5.04.2018/1250/केएस/एजी/2

अध्यक्षः माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सुरेश भारद्वाज जी।

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक लाया गया है। मैं केवल इसके लीगल पक्ष के बारे में बोलूंगा। यहां पर चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरीज़ और सैक्रेटरीज़ के बारे में कहा जा रहा है । माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार में 9 या 11 चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरीज़, सैक्रेटरीज़ बने थे। माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी भी बनाए गए थे। वे बिना किसी निर्णय के बने थे इसलिए हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ और वहां से वह सैट-असाइड हुआ। उसके बाद उन्होंने दोबारा से रूल्ज़ बनाए । उनके अंदर उन्होंने चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी और सैक्रेटरी बाद में बनाए थे, वे चैलेंज नहीं हुए थे। (व्यवधान) मैडम आशा जी, आप तो सुनिए। आप तो बहुत डैमोक्रेटिक हैं। मेरी चेयरमैन रही हैं आप। (व्यवधान) मैं तो यह कह रहा हूं कि आपने यहां पर कोई एक्ट नहीं लाया था, एग्जैक्टिव ऑर्डर से बने थे। (व्यवधान) आप दिल्ली की बात कर रही हैं। दिल्ली में उन्होंने बिना किसी ऑर्डर के ही बिना किसी इंस्ट्रक्शन के बना दिए जिसे इलैक्शन कमिशन ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में मान लिया। इस कारण से वह डिसक्वालिफाई किया था लेकिन हाई कोर्ट ने उसमें अभी स्टे कर रखा है। उसके बाद आपने यहां पर कहा कि चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप की ये नई पोस्टें (व्यवधान) सुन लीजिए मुकेश जी। मैं कोई पोलिटिकल भाषण नहीं दे रहा हूं। वह माननीय मुख्य मंत्री जी देंगें। मैं सिर्फ यह कह

रहा हूं कि चीफ व्हिप का कन्सैप्ट हिमाचल प्रदेश में भी कोई नया नहीं है। राजस्थान में माननीय गहलोत जी की सरकार थी जब चीफ व्हिप और व्हिप को, जो यहां पर हम बिल लाये हैं, उनको पावर ऑर्डज़ के द्वारा दी है, आप वहां से इंस्ट्रक्शन्ज़ और रूल्ज़ मंगवा लें, वहां पर यह प्रावधान है। गुजरात, उड़ीसा, बिहार और झारखंड में यह प्रावधान है। वहां पर चीफ व्हिप और व्हिप इसी प्रकार से मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस है। डिप्टी चीफ व्हिप होगा तो वह मिनिस्टर ऑफ स्टेट का और अगर व्हिप को भी देंगें, व्हिप भी हो सकते हैं तो उनको डिप्टी मिनिस्टर का स्टेटस सभी जगह दिया गया है। सभी राज्यों में बने हैं और यह मैं रिकॉर्ड पर बोल रहा हूं आप सभी जगह से पता कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से भी आप अपने मैम्बर्ज़ की डिसक्वालिफिकेशन का जो हमारा

5.04.2018/1250/केएस/एजी/3

ऑलरेडी ऑर्डर है, उसमें यह पहले से ही वर्णित है कि Chief Whip and Political Advisor to the Chief Minister एग्ज़म्पट होंगें Office of Profit से । ये रूल हमने नहीं, आपने बनाए हुए हैं। चीफ व्हिप को डिसक्वालिफाई होने से आपने पहले ही एग्ज़म्पट कर रखा है। ऑफिस ऑफ प्रोफिट से आपने बाहर कर रखा है, हम पहली बार बाहर नहीं कर रहे हैं और हम जो चीफ व्हिप और (व्यवधान) मुकेश जी, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए । मुकेश जी, आप तो सी.एल.पी. के लीडर हैं ।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः आपने लिखा है, चीफ व्हिप हमारे चीफ व्हिप से बात करेंगें। तो हमारा चीफ व्हिप क्या डाउन ग्रेड हो कर उससे बात करेगा?

संसदीय कार्य मंत्रीः ऐसा है अध्यक्ष महोदय, माननीय सी.एल.पी. के नेता जब भी हाथ खड़ा करेंगें अध्यक्ष महोदय उनको हमेशा अलाउ करते हैं। यह आज तक की कन्वेंशन है और आज भी करेंगें लेकिन जब कोई दूसरा बोलता है (व्यवधान) तब कभी धूमल जी खड़े नहीं होते थे। उस लैवल पर जाइए आप।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः आप लोग तो हाऊस ही नहीं चलने देते थे। हमने तो हाऊस चलाया है। आपकी तरह नहीं किया कि 21 दिन हाऊस ही नहीं चला । हम आपकी तरह नहीं करते कि स्पीकर की कुर्सी के पास जा कर खड़े हो गए।

संसदीय कार्य मंत्रीः मुकेश जी, मैंने आपको कभी नहीं टोका । मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप अपनी बात करिएगा। हिमाचल प्रदेश में मैं जो बता रहा था, वह ऑर्डज़ आपने बना रखे हैं। उसी में पोलिटिकल एडवाइज़र जो चीफ मिनिस्टर का है और चीफ व्हिप को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर कर रखा है। यह नई बात हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से हमने पहली बार नहीं लाई है।

5.4.2018/1255/av/ag/1

शिक्षा मंत्री ------- जारी

यहां पर बहुत सारे कह रहे हैं कि ऐग्जैक्टिव ऑर्डर से कर रहे हैं। हम ऐग्जैक्टिव ऑर्डर से चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप को सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, ये पोस्ट्स लेजिस्लेचर के द्वारा क्रिएट हो रही है। इसके लिए हम यहां पर बाकायदा विधेयक लाए हैं और जो विधेयक यहां से पारित होगा वह गर्वनर महोदय के पास जायेगा, उसको असैंट मिलेगी। जब वह कानून बनेगा तो कानून बनने के बाद चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप को उसके मुताबिक सुविधाएं मिलेगी। मुझे लगता है, (---व्यवधान---) आप सारे हिन्दुस्तान के ऐक्ट को पढ़ लीजिए। (---व्यवधान---) मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार ही नहीं कर रही है। यह जहां-जहां पर बने हैं वहां विभिन्न पार्टियों की सरकारें हैं। कई राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उनके द्वारा ये बनाये गये हैं। इसको हिमाचल प्रदेश में केवल लीगेलाइज्ड रूप दिया जा रहा है। आपको इस लेजिस्लेचर की जो लेजिस्लेटिव कम्पीटैंस है उस पर एतराज क्यों हो रहा है? हां, आप अपनी बात कर सकते हैं परंतु आपने अपने संशोधन विद्ड्रा कर लिए हैं। आप बात कर सकते थे लेकिन आपने विद्ड्रा कर दी। आगे आप बात कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हर चीज (---व्यवधान---) देखिए, यहां पर

'लूट' जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। लोकतंत्र तो मैजोरिटी और माईनोरिटी के आधार पर ही चलता है। बहुमत हमारी पार्टी को मिला तो हम सत्ता पक्ष में बैठे हैं, हमें जब बहुमत नहीं था तो हम उस तरफ को बैठते थे। आपको इस बार बहुमत नहीं मिला तो इस बात को अब आप लोग अपने दिमाग से निकाल लीजिए और अब आप अपोजिशन में है। अब आप कन्स्ट्रक्टिव अपोजिशन कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा आप लोगों को इतना ज्यादा टाइम दिया जाता है जितना पहले कभी नहीं दिया जाता था। (---व्यवधान---) आप कहां पहुंच गये थे? आप अपने आपको सी0एल0पी0 का लीडर कहते हैं और आप तो ऐक्ट को छोड़कर कहीं बहुत दूर पहुंच गये। आप तो पिछले से पिछले कल जो बात हुई है, वहां पहुंच गये हैं।

5.4.2018/1255/av/ag/2

आप तो वहां जा रहे हैं।(---व्यवधान---) आपको तकलीफ इस बात की है कि आप यहां से क्यों गये, यह कोई तरीका नहीं है। (---व्यवधान---) मैंने आपको कभी बोलते हुए नहीं टोका। मैं बोल रहा हूं कि आप खड़े होकर के बोलिए, आप जो आर्गुमैंट देंगे हम उसको सुनेंगे। (---व्यवधान---) आप अपना प्वाईंट रख रहे हैं और हम अपना प्वाईंट रख रहे हैं। हमने कभी आपको प्वाईंट रखते हुए अपोज नहीं किया क्योंकि आप सी0एल0पी0 के नेता है इसलिए हम आपको कभी अपोज नहीं करते हैं। आप कम-से-कम अपने स्टेटस और इस मान्य सदन की परम्पराओं का ध्यान रखिए। (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यह ऐक्ट हिमाचल प्रदेश में पहली बार नहीं आया है। इन्होंने ही इसमें डिस्क्वालिफिकेशन से ऐग्जैम्प्शन कर रखी है। इसलिए यह बिल कानूनी और कन्स्टिच्यूशनल है और लेजिस्लेटिव कम्पीटैंस के अंदर लेजिस्लेचर इसको पास कर सकती है। मेरा माननीय मुकेश जी से भी निवेदन है कि इसको हम सब मिलकर पास करें ताकि आने वाले समय में हम इस पर काम कर सकें।

5.4.2018/1255/av/ag/3

अध्यक्ष : मानीय मुख्य मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस पर पूरी चर्चा हो गई। वैसे आमतौर पर जब बिल प्रस्तुत किया जाता है और उसमें बीच में जब चर्चा का दौर आता है तो अमूमन उन लोगों को प्राथमिकता के साथ समय दिया जाता है जिन्होंने अमैंडमैंट मूव की होती है। आपने इस स्पिरिट को ध्यान में रखा कि चुने हुए प्रतिनिधि के नाते हमारा मूल कार्य लेजिस्लेशन है। इसलिए सबका सुझाव आवश्यक है और सुझाव की दृष्टि से आप अपनी बात कहते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन किसी चीज का सीधा विरोध करना और वह भी बिना तर्क के करना;

5.4.2018/1300/TCV/DC-1

माननीय मुख्य मंत्री..... जारी ।

मैं इस बात को देख रहा था। विपक्ष की ओर से सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात कही। श्री राकेश सिंघा जी ने भी अपनी बात कही। अगर आप Spirit की बात करते तो आपकी बात समझ में आती कि इसका संदर्भ इस दिशा में है। लेकिन आप भटक कर कहीं और जगह चर्चा करने की कोशिश करते रहे। अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय कार्यमंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी ने बात कही कि हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, आंध्राप्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, त्रिपुरा और दिल्ली में भी मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का प्रावधान है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप इसका विरोध कर रहे हैं, वह करने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे सोचेंगे कि किस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से इस प्रदेश में खर्चे और कम किये जा सकते हैं । उन सारी चीजों पर हम विचार कर रहे हैं। आपके सुझाव भी बीच-बीच में आमंत्रित करते रहेंगे। हमारे माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन जी ने एक अमैंडमेंट मूव की थी, उनका कहना था कि उसमें प्रमुख विपक्षी दल शब्द जोड़ा जाये। आप अपने लिए तो मांग रहे हैं, लेकिन औरों के लिए विरोध कर रहे हैं। आप विपक्षी

दल के लिए मांग रहे हैं और उसी तरह से मांग रहे हैं, जिस तरह से यहां पर हम मांग रहे हैं। आप बहुत-सारी चीजों को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं। मुझे ऐसा लगता है। मैं आज कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आज हमारा इस बजट सत्र का अंतिम दिन है। आओ आगे बढ़े और आने वाले समय में कभी अगर दौर आएगा तो ये आपके भी काम आएगा। लेकिन ये दौर जल्दी नहीं आएगा। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । हमें इस बिल के पारण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।

5.4.2018/1300/TCV/DC-2

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

खण्ड-2 पर माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु और श्री हर्षवर्धन चौहान जी की तरफ से संशोधन आए हैं। माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी जो मौजूद नहीं है और माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने जो संशोधन दिये थे, वे इन्होंने वापिस ले लिए हैं।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6 और 7 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाये।

05-04-2018/1305/NS/DC/1

मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाये।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाये।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7) पारित हुआ।

इस मान्य सदन की बैठक दोपहर भोजन अवकाश के लिए 2.00 बजे (अपराह्न) तक स्थगित की जाती है।

05.04.2018/1405/RKS/HK-1

(माननीय सदन की बैठक भोजनावकाश के उपरान्त 2.05 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)।

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्याक 8) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्याक 8) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्याक 8) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्याक 8) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खंडशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार।

खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार।

खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

05.04.2018/1405/RKS/HK-2

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस(संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्याक 8) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्याक 8) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्याक 8) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018(2018 का विधेयक संख्याक 8) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश पुलिस(संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्याक 8) पारित हुआ।

अध्यक्षः अब माननीय शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सरदार वल्लभभाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सरदार वल्लभभाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सरदार वल्लभभाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

05.04.2018/1405/RKS/HK-3

माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी क्या आप इस बिल पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे?

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, "सरदार वल्लभभाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6) का जो बिल माननीय मंत्री जी ने यहां पर पेश किया है, मैं उस पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं परन्तु यह बधाई मैं बिल लाने के लिए नहीं दे रहा हूं। बधाई मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपने 'RUSA' को गले लगा दिया। 'RUSA' से आपने दोस्ती कर ली है। मैं इसलिए बधाई दे रहा हूं कि जिस 'RUSA' को आपने चुनावी मुद्दा बनाया था, पूरे प्रदेश के युवाओं को आपने गुमराह किया था, आज उस RUSA के भूत को आपने गले लगा लिया है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। मुझे लगता है कि वर्ष 2016 में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में जो कलस्टर यूनिवर्सिटी बनी थी, इस बिल में आपने उसकी कॉपी की है। इसमें सिर्फ 2-4 सैक्शन बढ़ा दिए हैं। बाकी इसमें कोई नई बात नहीं है। यह बिल बहुत ही बैडली ड्राफ्टेड है। आपको इसके बारे में समय मिला या न मिला, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसे पढ़ने में हमें बहुत ही कम समय मिला। क्योंकि आपने एक दिन पहले ही बिल दिया है। जहां पर यूनिवर्सिटीज बननी है, ऐसे महत्वपूर्ण बिल कम-से-कम एक सप्ताह पहले देने चाहिए ।

05.04.2018/1410/बी0एस0/वाई0के0-1

श्री जगत सिंह नेगी जारी

ताकि सभी माननीय सदस्यों को इसमें अपने विचार रखने का अवसर मिलता। अब इस यूनिवर्सिटी के बिल में यह अच्छी बात है कि रूसा के तहत आप इसे करने जा रहे हैं। आपको 55 करोड़ रुपये इसमें मिलना है वह भी 90/10 के रेशो में मिलना है। आपने 2 करोड़ रुपया इसमें सालाना रेंकरिंग के लिए रखा होगा। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या 55 करोड़ रुपये में इस क्लस्टर, जो यूनिवर्सिटी है इसके भवन और जो अन्य खर्चे है, क्या यह 55 करोड़ रुपये में पूरे हो जाएंगे? मुझे तो लगता है कि आज कोई यूनिवर्सिटी आपको स्थापित करनी है, उसका कैंपस बनाना हो और उसके साथ आपने जो कॉलेजिज बता रखे हैं, द्रंग का कॉलेज बता रखा है, सुन्दरनगर का कालेज बता रखा है। उनके कैंपस को आपने ठीक करना है। यह जो 55 करोड़ रुपया है, इससे यह कहां पूरा होने वाला है? बाकी की धनराशि आप कहां से लाएंगे। आप कहते हैं कि हम 2 करोड़ रुपये में सारी यूनिवर्सिटी चला लेंगे। इस पैसे में आप चांसलर, वाईस चांसलर, फिर इसमें रजिस्ट्रार, दुनिया भर की पोस्टें आप इसमें भरने जा रहे हैं । दूसरी श्रेणी की पोस्टें चाहे वह क्लास फोर है, चाहे क्लास थ्री है, उनकी भी संख्या कम नहीं होगी। माननीय मुख्य मंत्री जी क्या यह संभव है कि आप 2 करोड़ में इस यूनिवर्सिटी को चला पाएंगे? इसके बारे में मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं कि किस तरह से आप इस युनिवर्सिटी को चलाएंगे। दूसरी बात ये जो कलस्टर यूनिवर्सिटी है, इसमें आपने यह डीफाइन नहीं किया है कि कलस्टर की डेफिनेशन क्या है, इस बात को आपने लिखा ही नहीं है। इन्होंने तीन-चार कॉलेजिज की बात की है। अब मैं भी यही समझ रहा था कि तीन-चार कालेजिज का करेंगे। आगे जैसे-जैसे पढ़ते जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें और कालेजिज भी सम्मिलित हो सकते हैं। उसको आप इसके साथ जोड़ेंगे। जिस प्रकार से हिमाचल यूनिवर्सिटीज एक्ट बना है उसमें एक ज्यूरिस्डिक्शन दे रखा है। उसमें यह कहा गया है कि यह पूरे हिमाचल के लिए होगा और जो आपने कलस्टर यूनिवर्सिटी की बात की है उसकी आपने ज्यूरिस्डिक्शन की बात नहीं की है। केवल जो चार कालेजिज आपने नामांकित किए हैं, इसके अलावा बाकी कालेजिज इसमें ही शामिल होंगे या नहीं। इसके बारे में आप बिल्कुल

05.04.2018/1410/बी0एस0/वाई0के0-2

चुप हैं। इसलिए इसे मैं बैडली ड्राफटिड कह रहा हूं। आपका 100 दिन का टारगेट था, उसमें आपको कुछ दिखाना था। रूसा का पैसा पड़ा हुआ था, जल्दीबाजी में आपने श्रीनगर और जम्मू यूनिवर्सिटिज की किताब पकड़ ली और उसे आगे कर दिया । मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जल्दबाजी मत कीजिए अभी सौ दिन ही पूरे हुए हैं अभी तो पांच साल हैं। अब उसको सलेक्ट कमेटी में भेजिए, जहां पर हमारे सभी माननीय सदस्य बैठकर सही ढंग से विचार-विमर्श कर सकते हैं। जो कमियां इसमें रह गई हैं, उन त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं, अन्यथा बच्चा पैदा होने से पहले ही अपंग होगा, फिर आप विधान सभा में संशोधन लाते रहेंगे। मल्हम-पट्टी की बात करेंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। थोड़ा समय दीजिए ताकि सभी इसके ऊपर विचार कर सकें। आपको स्टडी भी करना है कि वाकई यह कलस्टर यूनिवर्सिटी भारत में कामयाब भी है या नहीं। फिर रूसा के खिलाफ आप कहेंगे। इसमें आपने एक बात यह कही है कि कन्स्टिचूअन्ट कालेज है। अब फिर आपने कन्स्टिचूअन्ट कालेज की डेफिनेशन नहीं दी है। कन्स्टिचूअन्ट की जो डेफिनेशन है वह भी इसमें होना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में 130 से ज्यादा कालेजिज हैं, क्या आप सभी 4-4, 5-5 कालेजिज की कलस्टर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कितनी कलस्टर यूनिवर्सिटज बनाएंगे? आप केवल मण्डी में क्यों बनाने जा रहे हैं? अब मैं अगर कहूं तो फिर यहां भी भेदभाव की बात है, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी मण्डी से हैं। आपने यह सारा कार्य जल्दबाजी में किया । मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको इसमें चिंतन करने की आवश्यकता है। इस यूनिवर्सिटी में किस तरह का पाठ्यक्रम होगा। क्योंकि आपको रूसा का पैसा तभी मिलेगा जब आप रूसा के नियमों का पालन करेंगे। हम भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, हम भी इसमें आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आप इसके लिए सहयोग दीजिए, धन्यवाद।

5.4.2018/1415/डी टी/वाई के/-1

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी।

श्री राकेश पठानिया : अध्यक्ष महोदय,जो आप कलस्टर ऑफ कोलजिज का बिल लेकर आए हैं उसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहूंगा। मैं माननीय ठाकुर जय राम की सरकार को भी बधाई देना चाहूंगा की इससे ऑटोनोमी का एक नया डैफिनेशन शिक्षा में आएगा। इस कलस्टर सिस्टम से इतनी ऑटोनोमी मिल जाएगी कि यह एक विश्वविद्यालय की तरह परफार्म करेगा। "रूसा" के कम्पैरिजन की जो चर्चा चल रही है, यह समैस्टर सिस्टम तो कई सालो से विश्वविद्यालय में चल रहा है। अब तो कम्पैरिजन यूनिवर्सिटी की वर्किंग और इन कलस्टर का होना है। यह बहुत वैलकम स्टैप है । हम चाहेंगे कि आप इसे अच्छे तरीके से इम्पलिमैंट करें और इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहेंगे।

5.4.2018/1415/डी टी/वाई के/-2

अध्यक्षः श्री मुकेशअग्निहोत्री जी।

श्री मुकेश अग्निहोत्री :अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि यह जो कलस्टर यूनिवर्सिटी है इनको ऊना और मण्डी में बनाने का फैसला हुआ था और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। हम आपको बधाई देते हैं कि आप यह बिल ले के आए। लेकिन ऊना की जो कलस्टर यूनिवर्सिटी है वह किस पाइप लाइन में है और उसके बिल का क्या होना वाला है? कृपया वह भी स्पष्ट करें।

5.4.2018/1415/डी टी/वाई के/-3

अध्यक्षः अब माननीय शिक्षा मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का धन्यावाद करूंगा। सी0एल0पी0 के लिडर माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी और हमारे माननीय राकेश पठानिया जी इन्होंने इस बिल पर जो अपने विचार सुझाव के रूप में दिए हैं। असल में यह जो यूनिवर्सिटी है यह हमारे दिमाग की उपज़ नहीं है। यह जनवरी, 2017 में जब माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, तब से ही यह विचार चल रहा था और इसकी ड्राफ्टिंग की तैयारी भी हो गई थी। इसमें जो कुछ कमियां थी उसमें हमने सुधार किया है। एक कॉम्प्रेहैंसिव बिल इस सदन में लाए हैं। शायद यह यूनिवर्सिटी पहले बन जाती लेकिन किन्हीं कारणों से यह बिल सदन में नहीं लाया गया। यह हमें नहीं मालूम है। क्योंकि शिक्षा में नये-नये प्रयोग हो रहे हैं। सारे हिन्दुस्तान में अलग-अलग प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं। उन प्रयोगों के तहत उच्चतर शिक्षा में भी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कलस्टर यूनिवर्सिटी का विचार आया है। केंद्र में जब कपिल सिब्बल जी, MHRD मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय से यह विचार चल रहा था। इसके लिए बहुत सारा पैसा रूसा, आर.एम.एस, एस.एस.ए. के तहत पूरे हिन्दूस्तान में विभिन्न प्रदेशों को दिया जा रहा है। आपकी बात ठीक है कि जो पैसा आया था यह चारों कॉलेज, जो इस कलस्टर के अंतर्गत हैं, उनमें से राजकीय बल्लभ भाई डिग्री कॉलेज लीड कॉलेज होगा और यहां पर यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। इसके अंतर्गत 3 और कॉलेज हैं। राजकीय महाविद्यालय बासा, राजकीय महाविद्यालय, द्रंग एट नारला और महाराजा लक्षमण सेन मैमोरियल कॉलेज, सुन्दरनगर है, जोंकि एक निजी कॉलेज है। ये इस कलस्टर यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं। बाकी जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज और रेजिडैंशियल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें कुछ अंतर है। सुंदर नगर में अलग डिपार्टमैंट्स रहेंगे। जैसे मैनेजमैंट स्टडी का डिपार्टमैंट अलग होगा। अलग-अलग डिपार्टमैंट अलग-अलग कॉलेजिज में दिए जाएंगे। इन चारों कॉलेजिज को पहले का पैसा मिला है, बाकी पैसा एक्ट बनने के बाद दिया जाएगा। मेरा निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश में भी शिक्षा के क्षेत्र में नये प्रयोग किए जाएं। मैंने सुबह भी कहा था कि सारे प्रदेश में एक्सपैंशन हुई है। लेकिन उसमें समयानुसार लोगों का रूझान भी बदलता है और लोग कई चीजों से ऊब जाते हैं

05/04/20181420/RG/YK/1

शिक्षा मंत्री-------जारी

या उनको उस प्रकार का सन्तोष प्राप्त नहीं होता है जैसे पहले हुआ करता था। इस दृष्टि से यह प्रयोग मण्डी में हुआ है। **ऊना के लिए आपने सुझाव दिया है, तो हम इसके लिए प्रयास करेंगे। निश्चति रूप से हम इसके लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्रयत्न करेंगे कि ऊना के लिए भी क्लस्टर विश्वविद्यालय मिल जाए।** बल्कि हम तो चाहेंगे कि बाकी स्थानों पर भी छोटे-छोटे क्लसटर्ज में अगर यह खुल सकता है, तो अच्छा है। क्योंकि जो हिमाचल विश्वविद्यालय है इससे ऐफिलियेट इन कॉलेजिज इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनको संभालना मुश्किल होता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सेमिस्टर सिस्टम की बात है, तो जो इसके प्रावधान हैं, हमने हमेशा इस बात का विरोध किया है कि कॉलेजिज में ऐनुअल सिस्टम के अलावा अगर सेमिस्टर सिस्टम चलाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश में वह चल नहीं सकता और 'रूसा' के बहुत सारे प्रावधान ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं हुए या उनका गलत ढंग से क्रियान्वयन हुआ है। इसलिए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन उसमें यदि अच्छी चीजों को ग्रहण किया जाए, तो हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और आपने इसके उद्देश्यों में भी देखा होगा कि चारों कॉलेजिज के जो रिसोर्सिज हैं, उनको पूल करके इस विश्वविद्यालय को हम चलाएंगे। एक नया प्रयोग मण्डी से प्रारम्भ हुआ है और यह मण्डी पहले आपने ही तय कर रखा था। शायद श्री अनिल शर्मा जी आपकी सरकार में पहले बात करते थे कि मण्डी के लिए कॉलेज आए। अब अच्छा हो गया है कि मण्डी ने इस सरकार के मन्तव्य को ऐनडोर्स किया है कि आप मण्डी को इगनोर करते रहे हैं। इसलिए अब मण्डी को लाईम-लाईट में आना चाहिए। इसलिए जो मण्डी का बड़ा वल्लभभाई कॉलेज है वहां इस विश्वविद्यालय को खोला जाए।

अध्यक्ष महोदचय, इसमें कोई गल्तियां होंगी। देखिए, यह बात नेगी जी को भी मालूम है कि बहुत सारी ड्राफ्टिंग विभागों में होती हैं, कानून और प्रशासनिक विभागों में ड्राफ्टिंग होती हैं, तो उसमें बहुत सारी गल्तियां भी रह जाती हैं। इसीलिए संशोधन का प्रावधान हर जगह रहता है। हमारे संविधान में भी कितने संशोधन हो चुके हैं। जो हमारा दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान माना जाता है, डॉ. अम्बेडकर ने जिसकी ड्राफ्टिंग की है, उसमें भी आज अनेक संशोधन हो चुके हैं। इस प्रकार से किसी भी कानून में अच्छाई के लिए हमेशा गुंजाइश रहती है और उस गुंजाइश के रहते यदि

05/04/20181420/RG/YK/2

संशोधन की आवश्यकता होगी, तो हम करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि अभी जितने आवश्यक हैं उतने ही अधिकारी हम वहां लगाएंगे। उससे ज्यादा हम नहीं लगाएंगे। जितने पद हमने स्वीकृत किए हैं उससे ज्यादा उसमें नहीं लगाएंगे और हमारा रेकरिंग ऐक्सपैन्डीचर उसके अंदर आ जाएगा। भविष्य में इसके वित्तीय संसाधनों का प्रावधान करेंगे और चारों कॉलेजिज के रिसोर्सिज की पूलिंग की जाएगी। हमें केन्द्रीय मानव संसाधान विकास मंत्रालय से इसमें जो मिल सकेगा, हम उसका भी प्रयत्न करेंगे कि हमें यह मिले और यह विश्वविद्यालय चले।

अध्यक्ष महोदय, मैं सभी से निवेदन करुंगा कि यह एक अनूठा और नया प्रयोग है जिसमें हम सब शामिल हैं क्योंकि यह कॉन्टीन्युएशन में है। आपने इसकी एक शुरूआत की और हम उसको यहां एक ऐक्ट के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए यह सबका मिला-जुला प्रयास है और इस मिले-जुले प्रयास को हम सब लोग सम्मलित एवं संगठित होकर इसको पारित करेंगे, तो एक अच्छा सन्देश प्रदेश और शिक्षा जगत में जाएगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इसमें अपने सुझाव दिए और इसकी चर्चा में भाग लिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि 'सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6)' पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 और 56 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

05/04/20181420/RG/YK/3

खण्ड 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,5 4,55 और 56 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड -1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6)' को पारित किया जाए।

05.04.2018/1425/जेके/एजी/1

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 6) पारित हुआ।

05.04.2018/1425/जेके/एजी/2

<u>गैर-सरकारी सदस्य कार्यः</u>

अध्यक्षः आज गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस है और एक विषय पिछले गैर-सरकारी सदस्य से in continuation में है, जिसमें श्री अनिरूद्ध सिंह जी द्वारा 08.03.2018 को प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था। इसमें चर्चा के लिए मेरे पास पांच नाम है जो उसी दिन से शेष आए हैं और इसके पश्चात माननीय वन मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। मेरी प्रार्थना है और जो सब-कमेटी ने निर्णय लिया है उसके अनुसार इन पांचों सदस्यों को पांच-पांच मिनट का समय दिया जाएगा और तत्पश्चात् माननीय वन मंत्री जी 20 मिनट में चर्चा का उत्तर देंगे। श्री राकेश पठानिया जी ने अपना नाम वापिस लिया है। श्री आशीष बुटेल जी का नाम मैं इसमें शामिल कर रहा हूं। अब श्री राजेन्द्र गर्ग जी, अनुपस्थित। अब श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी चर्चा में भाग लेंगे।

05.04.2018/1425/जेके/एजी/3

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प यहां पर श्री अनिरूद्ध सिंह, माननीय सदस्य ने रखा है, इसमें सिफारिश की गई थी कि प्रदेश में बंदरों द्वारा किसानों, बागवानों की फसलों को हो रहे नुकसान बारे ठोस नीति बनाई जाए, मैं उसके सन्दर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस विषय पर इस सत्र में काफी लम्बी-चौड़ी चर्चा हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली हमारी सरकार का जो पांच साल का कार्यकाल था उसमें भी हर सत्र में इस पर चर्चा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं यहां पर शिमला की बात करता हूं और दूसरे शहरों में भी शायद ऐसा ही होगा। शिमला शहर में बच्चों का, औरतों का आना-जाना, खास कर अगर उनके पास कोई सामान हो तो बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह से बन्दरों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है उससे आम आदमी को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं यहां विधान सभा परिसर के ज़वाहर सदन में रहता हूं। कई बार मैं सोचता हूं कि सुबह-शाम घूमनें के लिए निकलूं। लेकिन यहां गेट पर बन्दरों की बहुत ज्यादा तादाद होती है और फिर वापिस अपने कमरे में ही जाना पड़ता है। शाम 7.00 बजे की बात है। कुछ अंधेरा हो गया था, मैं सामान लेकर आ रहा था। मैंने सोचा कि अभी बन्दर नहीं होंगे और अपनी मस्ती में चला हुआ था और कहीं से बन्दर आया और उसने मुझसे सामान छुड़वा लिया। यह विधान सभा परिसर के गेट की ही बात है। शहर में भी इस तरह की कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शहर के बन्दरों और गांव के बन्दरों में काफी फ़र्क है। जो हमारे गांव में बन्दर है या जंगल में है वे इन्सान को देख कर डर जाते हैं। यह बात अलग है कि वे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फसलों को तो हर जगह नुकसान हो रहा है। कल 6.00 बजे के लगभग जब मैं शिमला के माल रोड़ में जा रहा था तो एक यंग कप्पल था वह सॉफ्टी खा रहा था, कहीं से बन्दर आया और दोनों से सॉफ्टी ले करके चला गया।

05.04.2018/1430/SS-AG/1

अध्यक्षः अनेक मंत्रिगण विराजमान हैं। संख्या पूरी है। आप (श्री विनय कुमार जी) बैठिये।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, बात संख्या बल की नहीं है। जिस मंत्री ने जवाब देना है, he is not there. Chief Minister is not there. गैलरी में कोई ऑफिसर भी नहीं है। इसलिए हम यह मामला आपके ध्यान में ला रहे हैं, फैसला तो आपने लेना है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज़ कंटीन्यू।

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः वही बात है, बोलूं किसको, कौन सुनने वाला है। न माननीय मंत्री महोदय हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज़ कंटीन्यू।

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः यह गम्भीर समस्या है। --(व्यवधान)--बोलना किसको? न माननीय मंत्री महोदय हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, बोलिये प्लीज़। आपका समय हो रहा है।

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः अध्यक्ष महोदय, बंदरों की शहरों में गम्भीर समस्या है। यह बहुत गम्भीर मसला है। इस बारे में काफी चर्चा हो गई है। यहां तक कि पिछले सत्र और इस सत्र में भी कई सुझाव आए। कहीं कलिंग की बात आई, कहीं एक्सपोर्ट की बात भी आई। जहां तक नसबंदी की बात है पिछली सरकारों ने भी इसके बारे में काफी प्रयास किया है। मेरा अपना निजी विचार है कि जो नसबंदी की बात है यह शायद इतना सक्सैसफुल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। कल-परसों मैं पेपर में पढ़ रहा था कि सरकार ने मथुरा से एक्सपर्ट टीम बुलाई है। शायद 700 रुपया प्रति बंदर उनको पकड़ने के लिए दिया गया है। मैं पेपर में भी पढ़ रहा था कि उनके हाथ भी शिमला के बंदर नहीं लग रहे हैं। शिमला शहर के बंदर बहुत चतुर हैं। इसी तरह इन बंदरों के आतंक से जहां इंसानों का नुकसान हो रहा है वहां हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खासकर हमारे बागवानी क्षेत्र में भी इसका आतंक पहुंच चुका है।

अध्यक्षः प्लीज़ वाइंड अप करें।

05.04.2018/1430/SS-AG/2

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः सर, मैं एक मिनट और लूंगा। इसके अलावा यहां पर बंदरों की बात आई, पशुओं की बात आई। बाकी एक महत्वपूर्ण विषय और है कि आजकल हमारे बागवानों को एक समस्या चमगादड़ों की है। जैसा की आप सभी जानते हैं कि चमगादड़ों को दिन को दिखाई नहीं देता और रात को वे झुंड में हज़ारों की संख्या में चलते हैं। खासकर सेब सीज़न में शाम के समय जैसे अंधेरा शुरू होता है तो वे हज़ारों के झुंड में

चलते हैं। वे खाते कम हैं लेकिन ज्यादा नुकसान बैठकर करते हैं। उस पर मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसके बारे में कुछ उपाय करें ताकि हमारे बागवानों को राहत मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

05.04.2018/1430/SS-AG/3

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री आशीष बुटेल जी। --(व्यवधान)--

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। मंत्री महोदय सदन में उपस्थित नहीं हैं, हम किसको सुनाएं। कौन जवाब देगा? हमें इसके ऊपर आपकी व्यवस्था चाहिए। सरकार इस पर गम्भीर नहीं है। ये चर्चा करना नहीं चाहते।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, आप इस सरकार को ढंग से फटकार लगाओ। सदन में चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, मिनिस्टर नहीं हैं, अफसर नहीं हैं। अब आप पर ही हमारा दारोमदार है।

अध्यक्षः आप सुना भी तो मुझे ही रहे हैं। माननीय आशीष बुटेल जी।

श्री आशीष बुटेलः अध्यक्ष महोदय, आपके ज़रिये पालमपुर की जो बंदरों की समस्या है मुझे लगता है कि वह माननीय मंत्री जी तक भी पहुंचेगी और उसका हल निकलेगा।

5.04.2018/1435/केएस/डीसी/1

श्री आशीष बुटेल जारी----

अध्यक्ष महोदय, बंदरों को जो वर्मिन डिक्लेयर किया था, उसमें कलिंग ऑफ मंकीज़ अलाउड किया गया था लेकिन देखा यह गया है और खासकर पालमपुर फोरैस्ट डिविज़न में एक भी केस जब से killing of monkeys has been allowed, not even one case has been reported. Only 9 cases, that also by a former Legislator, who killed about 9 monkeys looking at the problems of the people of Paraur. मेरी अडजॉइनिंग कंसिच्युएंसी से आदरणीय जगजीवन पाल जी उस समय विधायक थे। उन्होंने 9 बंदर मारे थे लेकिन वे भी रिपोर्ट नहीं किए गए थे। पांच सौ रुपये प्रति बंदर मारने का प्रावधान किया

गया था। लेकिन अभी तक, जैसे पहले भी चर्चा हुई शायद कोई धार्मिक आस्था या किसी अन्य कारण से लोग आगे नहीं आ रहे हैं। मेरा सुझाव है कि अगर लोग खुद आगे नहीं आ रहे हैं तो क्यों न सरकार, क्योंकि पांच सौ रुपये एक अच्छा अमाउंट है, अगर सरकार बंदर मारने के लिए किसी को हायर भी करती हैं तो बंदरों से शायद राहत मिल सकती है। किसानों के पास गन लाइसैंसिज़ नहीं हैं। शायद सिक्योरिटी की भी समस्या है, तो वह भी आप इशू नहीं कर पा रहे हैं लेकिन अगर आप किसानों को कह रहे हैं कि बंदर मार कर लाओ तो वे पत्थर और गुलेल से तो मरने वाले नहीं है । अगर उनको गन लाइसैंसिज़ नहीं देते तो मुझे लगता है कि वे नहीं मार पाएंगें ।गन लाइसैंसिज़ पर अगर आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो किसी न किसी तरह से तो उपचार कीजिए ताकि मंकी मेनेंस खत्म हो सके। किसी को आप बाहर से हायर कीजिए। अभी माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी बता रहे थे कि कोई टीम बंदर पकड़ने के लिए हायर की गई है लेकिन मैं पालमपुर की बात करूंगा जहां पर मंकी स्टेरलाइजेशन सैंटर खोला गया है। उस सैंटर में स्टेरलाइज़ करने के लिए वहां पर वैटरिनरी ऑफिसर ही नहीं है। वहां पर जो बंदर पकड़ कर लाएगा उस आदमी को सात सौ रुपये देते हैं। स्टेरलाइज़ करवाएगा और बंदर जहां से पकड़ा गया है, उसको वहां पर छोड़कर आएगा। सात सौ रुपये में जो आदमी बंदर पकड़ने के लिए जाता है, अगर उसको बंदर का थोड़ा सा नाखुन भी लग जाए तो रैबिज़ की दवाई उससे कहीं ज्यादा की आती है। आज हालत यह है कि वहां पर बंदर पकड़ने वाले नहीं मिलते ।दूसरे, जब मंकी स्टेरलाइजेशन सैंटर में आप लोग बंदर ले कर आते थे तो पालमपुर में एक द्राटी गांव है, वहां पर भी यह सैंटर खुला

5.04.2018/1435/केएस/डीसी/2

हुआ है। उस एरिया में उन बंदरों की अब इतनी फ्रस्ट्रेशन है, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर आप रैलेटिव पॉपुलेशन का कोई सर्वे करवाएंगें तो सबसे ज्यादा उस गांव के अंदर पॉपुलेशन होगी। अगर बंदर एक बार सैंटर में लाए जा रहे हैं तो हमारा यह भी फ़र्ज बनता हैं कि उनको जहां से लाया गया है, वहीं पर वापिस छोड़ा जाए। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि क्योंकि एक ही ट्रक है जिसमें बंदर लाए जाते हैं। एक ही ट्रांसपोर्ट का मोड है तो मंत्री जी, उसकी लॉग बुक चैक कीजिए कि क्या बंदर जहां से लाए

गए हैं, क्या लॉग बुक ऐसे भी भरी गई है कि वे वापिस वहीं पर छोड़े गए हैं या नहीं। आजकल बड़ा हल्ला है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट या गवर्नमैंट ऑफिस आप कहीं से उठा देंगें तो बड़े दंगे हो जाते हैं लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र से इस मंकी स्टेरलाइजेशन सैंटर को हटा दें। अगर इसको हटा देंगें तो मेरा आपसे वायदा है कि वहां न कोई दंगा होगा न कोई ऐजिटेशन होगी। लोग खुश ही होंगें और आपको दुआ देंगें। इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

5.4.2018/1440/av/डीसी/1

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मान्य सदन में माननीय अनिरुद्ध सिंह जी ने प्राइवेट मैम्बर डे में नियम 101 के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण और सामयिक विषय रखा है। इस विषय को रखने और इस पर इन्होंने जो अपनी बात कही है, मैं उसका स्वागत करता हूं।मैं अपनी बात प्रारम्भ करने से पहले कुछ पंक्तियां सुनाता हूं जो कि *वानर से बंदर हुआ* के बारे में हैं :-

आज मैं वानर से बंदर हुआ, यूं अपने आशियाने से दूर हुआ।

जहां क्षितीज छूते देवदार के वृक्ष, जिनमें विचरण करते अनेकों रिछ॥

सतरंगी किस्म की क्यारियां जहां, अनेकों मित्र जीवों से थी यारियां वहां।
मीठे फलों का न था अभाव, यूं छीना-झपटी न था मेरा स्वभाव॥

आज मैं वानर से बंदर हुआ, यूं अपने आशियाने से दूर हुआ।

छोड़ देता सताना तुम्हें, बस एक वादा निभाना तुम्हें।।

लौटा दो मेरा आशियाना मुझे, शीतल हवाएं वो वृक्षों की हरियाली।
साथ अपनों का मिठास फलों की, कसम राम की वानर बन जाऊं॥

राम सेतु के कारज में लग जाऊं, बंदर से वानर बन जाऊं।

इस संकल्प पर इस मान्य सदन के 13 सदस्यों ने अपनी बात रखी है। मैं अभी सबके नाम तो नहीं कह पाऊंगा लेकिन जितने सदस्यों ने अपनी बात को रखा है, बड़ी अच्छी तरह से रखा है। बहुत अच्छा लगता है, इस सदन में आपने जो अपनी-अपनी बातें कही हैं, कहीं-न-कहीं उन्हीं सब बातों से हमें रास्ता मिलेगा। सोचने वाली बात यह है कि अब हमें जो रास्ता मिलना है उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर सबकी चिन्ता तो यही है कि केवलमात्र बंदर के कारण किसानों/बागवानों को खेती करना

5.4.2018/1440/av/डीसी/2

छोड़ना पड़ रहा है जिसकी वजह से आर्थिक दृष्टि से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरा विषय यह है कि बन्दर इतना उग्र हो गया है कि चलते-चलते किसी को क्या करे, कुछ कह नहीं सकते। पहले वृन्दावन की बात की जाती थी कि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बंदर हो गये हैं। अभी एक मैडिकल रिसर्च में आया है कि वृन्दावन में अधिकतर बंदरों को दमा और चमड़ी इत्यादि के रोग हो रहे हैं। ये बंदर कहीं भी पानी को गंदा कर देते हैं, कई बार पानी की टैंकी के ऊपर चढ़कर पानी पीते हैं। अब उन बीमारियों का असर मनुष्य में भी नजर आने लगा है। इसमें अनेक प्रकार की चीजें हैं और मुझे कुछ विषय आपके ध्यान में लाने हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने पिछली बार एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो भगवान राम के साथ थे वह वानर थे और वानर नाम की एक शक्तिशाली सेना थी जो कि जंगल में रहते थे। बंदर वह नहीं है जिनकी भगवान राम के साथ चलकर युद्ध लड़ने की बात की गई है। तब भी यह कहा जाता है कि मनुष्य और बंदरों के 93 प्रतिशत जीन्स आपस में मिलते हैं। उसके साथ-साथ यह है कि बंदर और मनुष्य का रिश्ता आपस में गहरा है। बंदरों को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त हुआ और इसे अधिनियम की अनुसूची दो में शामिल किया।

5.4.2018/1445/TCV/HK-1

वन मंत्री..... जारी

1950 के दशक में हर साल एक लाख से अधिक बंदर अमेरिका के लिए हम एक्सपोर्ट करते थे, जोकि बायोमैडिकल तथा डिफैंस रिसर्च के लिए जाते थे। एक्सपर्टस ने साल 1907 के सर्वे में ये पाया कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, इसमें बंदरों की संख्या बहुत कम हो गई है। एनिमल एक्टिविस्टों ने इसके खिलाफ़ आवाज उठाई कि इनका एक्सपोर्ट न किया जाये। क्योंकि जब रिसर्च होती है तो इनह्यूमन तरीके से काम किया जाता है और बन्दरों को बड़ा कष्ट दिया जाता है। अप्रैल, 1978 में भारत सरकार ने ये एक्सपोर्ट बन्द कर दिया। इसके बाद एक लाख बन्दरों के स्थान पर 20 हजार बन्दर एक्सपोर्ट करने शुरू किए गये। इसका असर यह हुआ कि एक्सपोर्ट करने के कारण 1980 में 90 प्रतिशत् तक बन्दरों की संख्या घट गई थी। केवलमात्र 10 प्रतिशत् बन्दर बचे थे, जब उनको कोई छोटा-सा पत्थर मारते थे या कुत्ता भौंकता था तो वे बंदर भाग जाते थे। लेकिन वर्ष 2000 में यह निर्णय लिया गया कि अब कोई भी बन्दर एक्सपोर्ट नहीं होगा। उसके बाद इतनी तेज़ गति से बन्दरों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई कि वे हजारों में नहीं लाखों की संख्या में हो गये। इसके बाद ये बन्दर लोगों की खेतीबाड़ी को नुकसान पहुंचाने लगे। एग्रीकल्चर विभाग की 2014 की रिपोर्ट अनुसार 184.28 करोड़ रुपये का नुकसान किसानों का हुआ और हॉर्टिकल्चर विभाग के अनुसार 2013-14 में 150 करोड़ रुपये का किसान की फसल को नुकसान हुआ। इसके साथ हिमाचल प्रदेश में बन्दरों ने जिनको काटा ऐसे 2315 मामले आये जिन पर एक करोड़ 2 लाख 66 हजार 205 रुपये हमने कंपनसेशन दिया। अब स्थिति और भी खराब है। अध्यक्ष महोदय, जब से रैबिज़ के टीके फ्री में लगने लगे, कई बार वह रिपोर्ट वन विभाग को नहीं आती है और लोग हॉस्पिटल में जाकर रैबिज़ का टीका लगा लेते हैं। ऐसे और भी कई केस हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये कॉंटिन्यू प्रोसैस है। हर सरकार ने अच्छा काम किया है और काम करने का भरपूर प्रयास

5.4.2018/1445/TCV/HK-2

किया। सन् 2007 में हिमाचल प्रेदश में इसके लिए sterilization Center प्रोग्राम शुरू किया गया और हिमाचल प्रदेश में इस प्रोग्राम के अंतर्गत् 8 sterilization Center बनाये गये है। इनमें 25 मार्च, 2018 तक 1,40,643 बन्दरों की नसबंदी की गई। जिसके ऊपर 21.29 करोड़ रुपया खर्च किया गया। एक अडल्ट फीमेल (बंदर) 3 और 4 साल में बच्चा देना शुरू करती है और 25 साल बन्दरों की उम्र है। इन प्रयासों से 3.80 लाख बन्दरों का पैदा होना कम हुआ। जो sterilization Center प्रोग्राम है, उसको हमें इतना अच्छा करना पड़ेगा कि

05-04-2018/1450/NS/HK/1

वन मंत्री जारी

अगर अभी हम 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं कर पाये हैं तो हम 80 प्रतिशत करने में कामयाब हों। लेकिन इसको करने में दिक्कत आ रही है। मैं स्वयं बन्दर स्ट्रलाईजेशन सैंटर को देख नहीं पाया हूं। लेकिन मैंने सुना है कि ये काफी एडवांस और अच्छे हैं। लगभग 40,000 बन्दरों की हम नसबन्दी कर सकते हैं। लेकिन यह अभी तक कर नहीं पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि बन्दरों की नसबन्दी करना तो आसान काम है लेकिन बन्दरों को पकड़ना बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैंने विभाग को कहा है कि मंकी कैचर यानि बंदर को पकड़ने के लिए पूरी स्टेट में जबरदस्त कैंपेन हम सब प्रतिनिधियों को मिल करके चलानी चाहिए ताकि बन्दरों को पकड़ा जा सके। हमारे पास 40,000 बन्दरों की नसबंदी करने की क्षमता है। हमें ग्राम पंचायतों तक इस काम को बढ़ाने की आवश्यकता है। जो हमारे नसबंदी केंद्र हैं, इनकी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। पहले हम बंदरों को पकड़ने के लिए 700 रुपये देते थे लेकिन अब हम 1000 रुपया बंदरों को पकड़ने के लिए दे रहे हैं। हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम को तेज़ी से करने की आवश्यकता है। यहां पर बहुत सारे सदस्यों ने कहा है कि हमारे इलाके में पहले कभी बंदर नहीं थे और अब हर तरफ बंदर नज़र आते हैं। इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा। यह आप सबका बहुत अच्छा सुझाव है कि जब हम इन बन्दरों की स्ट्रलाईजेशन करें तो इन बन्दरों को वापिस उसी क्षेत्र में छोड़ा जाये, जहां से लाये हैं ताकि जहां स्र्टलाईजेशन सैंटर है और जहां पर बन्दर नहीं हैं, इनको वहां न छोड़ा

जाये। इसको हम विभाग के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि कोई ऐसी कमी न रहे। बन्दरों को शहरों में रहने की आदत पड़ गई है क्योंकि हम इनको ब्रेड, चिप्स और अच्छा-अच्छा खाना देते हैं, इसके कारण इनकी प्रज़नन शक्ति 21 प्रतिशत तेज़ी से बढ़ रही है। केवल मात्र खाने की आदतों के कारण यह तेज़ी बढ़ रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इनकी उम्र भी बढ़ रही है। जो हमारा स्ट्रलाईजेशन प्रोग्राम चल रहा है, इसके कारण इनकी मृत्यु दर 3.7 प्रतिशत है और यह घट करके 10 प्रतिशत हो गई है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हम स्ट्रलाईजेशन प्रोग्राम पर जोर दे रहे हैं। लेकिन इसमें अभी और जोर देने की आवश्यकता है। मैं बंदरों की संख्या पर नहीं जाउंगा क्योंकि मुझे लगता है कि फिर मेरा जवाब लम्बा हो जायेगा। यहां पर मेरे अन्य मित्र हैं, जिनके और विषय यहां लगे हुए हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेन्द्र मोदी जी का

05-04-2018/1450/NS/HK/2

धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश की 38 तहसीलों को वर्मिन घोषित किया है। अभी फिर से वन विभाग ने केंद्र सरकार को कहा है कि हमारी 53 अन्य तहसीलों और उप तहसीलों को भी वर्मिन घोषित किया जाये। यहां पर माननीय आशीष जी बोल रहे थे कि धार्मिक भावना से मारने का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी यह काम कुछ लोगों ने प्रारम्भ कर दिया है। इन दिनों में प्रदेश की तीन तहसीलों में यह काम शुरू हुआ है। रिपोर्ट आई हैं कि संगड़ाह क्षेत्र में एक किसान ने अपने खेत में चार बन्दरों को मारा है और डी0एफ0ओ0, रेणुका इसको प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। एक मामला कुनिहार वन मण्डल में भी आया है कि किसान ने अपने खेत में आये बन्दरों को मारा है। मैं कहता हूं कि जिनको लगता है कि यह कलिंग वाला काम है और जो कर सकते हैं तथा जिनको यह लगता है कि मेरे पास बन्दूक है और मैं इस काम को कर सकता हूं तो वन विभाग किसी को परेशान करने वाला नहीं है। आखिरकार जो हमारा नुकसान कर रहे हैं, आप इनको मार सकते हैं। अभी हमने 12.02.2018 को भारत सरकार से और निवेदन किया है।

05.04.2018/1455/RKS/AG-1

वन मंत्री... जारी

जो कलिंग वाला काम है, इसमें जो आपके सुझाव है, यदि हमें विशेषज्ञ की कोई टीम मिलती है तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करेंगे। वन विभाग किसान-बागवान की परेशानियों को दूर करने के लिए मदद करेगा। हम सभी सदस्य यहां पर तो चर्चा कर रहे हैं लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को भी शामिल करना पड़ेगा। यहां पर बंदूक देने के बारे में कहा गया। बंदूक के लाइसैंस की फार्मेलिटीज बहुत ज्यादा है। सैंक्चुअरी एरिया में 10 किलोमीटर के दायरे में लाइसैंस नहीं दिया जा सकता। लाइसैंस के लिए लाइसैंस अथॉरिटी को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर इसके नियम ऐसे हैं तो उनका सरलीकरण किया जा सकता है ताकि किसानों को आसानी से लाइसैंस मिल जाए। अभी हमने ऐसे 257 एन.ओ.सी. दिए हैं। 'बंदरों की आदतों में परिवर्तन'-हमने इनके लिए कुछ फीडिंग सैंटर बनाए हैं। 'जंगलों में फलदार पौधे लगाने का काम'- यानी कैंथ, बेर, गरना, जामुन, फेगड़ा, खनोर इस पर भी एक कैम्पेन के रूप में काम किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने अभी एक आदेश दिया था। एक प्लांटेशन मॉडल प्लान इस पर तैयार किया गया है। लेकिन इसका अच्छे से निरीक्षण हो ताकि इसका काम ठीक प्रकार से हो। 'रेस्क्यू सैंटर फॉर लाइफ टाइम केयर'। तारा देवी में एक हजार बंदरों को रखने की बात थी। लेकिन गांव के लोगों ने इसका विरोध किया। हम टूटीकंडी में 100 बंदरों को रखने का एक एक्सपैरिमैंट कर रहे हैं। देखते हैं वह कितना कामयाब होता है। मैं इस माननीय सदन में सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं कि आपने इस बारे में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। आप सभी सदस्यों ने अपनी पीड़ा को अच्छे तरीके से रखा। इसके लिए जो हमें उचित लगेगा, वह हम करेंगे। इसके लिए खेत बाड़ संरक्षण योजना इत्यादि तो है परन्तु इस पर हम सब को मिलकर काम करना चाहिए। बंदरों के एक्सपोर्ट के बारे में भी हमें स्टडी करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में हम क्या कर सकते हैं? इस मामले में हम बड़े खुले मन से चलेंगे ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। हमने ऊना जिला में भी एक रिसर्च प्रारम्भ करवाई है। अभी देखते हैं कि उसका क्या परिणाम आता है? शिमला शहर में भी University of California Davis, America

05.04.2018/1455/RKS/AG-2

द्वारा एक स्टडी की जा रही है। यह सब-का-सब कितना कामयाब होता है, इसकी रिपोर्ट हमारे पास अभी नहीं आई है। हमें वैज्ञानिक आधार पर जो लगता है, चाहे वह कलिंग करने का है, नसबंदी करने का है या कोई और सुझाव है, वह हम करेंगे। मैंने यह प्रयास किया है कि मैं आप सभी की बातों का उत्तर दे सकूं। कमियां तो अनेक रही होंगी लेकिन निश्चित रूप से वन विभाग इस समस्या का समाधान करेगा। लोग इसके लिए हर रोज शिकायत लेकर आते हैं। उनको परेशानी से मुक्त करना हमारा कर्त्तव्य है। इसके लिए और भी सुझाव हो तो उन्हें भी आप दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय , आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी क्या आप माननीय सदस्य, श्री अनिरूद्ध सिंह जी से उनके संकल्प को वापिस लेने के लिए आग्रह करेंगे?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कसुम्पटी विधान सभा के माननीय विधायक, श्री अनिरूद्ध सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने संकल्प को वापिस लेने की कृपा करें।

05.04.2018/1500/बी0एस0/वाई0के0-1

श्री अनिरूद्ध सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने बड़े विस्तार से सबकी बात को सुना और मैं धन्यवादी हूं, सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इसमें सुझाव दिए। मंत्री जी का भी धन्यवादी हूं, कि इन्होंने लम्बा-चौड़ा जवाब दिया। परंतु नीति की कोई बात नहीं की, कि इस पर क्या नीति बनाई है। मैं सिर्फ दो बातें बोलूंगा क्योंकि समय भी थोड़ा कम है और आज सत्र का आखिरी दिन भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सभी ने प्रयास किया है। मैंने पहले भी

बोला, सभी ने प्रयास किया, कई पार्टियां तो बंदर और जानवरों पर ही चल रही है, उन्हीं के ऊपर उनका स्टेंड है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि गलती मानने में कोई छोटा नही होता। नसबंदी का जो प्रोजेक्ट है वह पूर्णतः फेल हो चुका है। चाहे वह कांग्रेस सरकार में रहा हो, चाहे बी.जे.पी. के समय में रहा हो। ये पूरी तरह फेल रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि प्रयास किया है, प्रोजैक्ट फेल भी हो जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि अधिकारी केवल कागजों पर काम करते हैं, मंत्री जी आप जमीन से जुड़े हैं, आपको पता है कि सारी बातें केवल कागजों में है, वास्तव में है नहीं। मेरे आपको दो सुझाव रहेंगे और मैं चाहता हूं इसकी एक्पोर्ट नीति बने, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के धन्यवादी हैं कि उन्होंने इन्हें वर्मिन घोषित किया है। इस पर एक नीति बनाई जाए, जैसा माननीय सिंघा जी ने भी कहा है और दूसरा जो अखबारों में भी आ रहा है कि 700 रुपये पकड़ने के लिए दिए जा रहे हैं और नसबंदी के लिए उनको अलग से दिए जाएंगे। यह कामयाब नहीं रहेगा। हम लोग बातों में रहेंगे और हर विधान सभा में यह प्रश्न उठता है और हम यहां सब बोलते रहेंगे। आप एक ऐसी नीति बनाएं कि हंटर हायर करें, व्यापक स्तर पर इस पर काम करें । आप कह रहे थे कि 1,000 रुपये एक बंदर पर खर्चा आ रहा है। उसके लिए आप टैंडर बुलाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य हो गया, आप सकल्प वापिस ले रहे हैं या नहीं?

05.04.2018/1500/बी0एस0/वाई0के0-2

श्री अनिरूद्ध सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट कृपया मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी। एक ऐसी नीति आप बनाएं की उनको डिसपोज-ऑफ करने की भी उसमें बात हो, हम भी उसमें आपके साथ आएंगे, हंटर भी हम आपको उपलब्ध करेंगे ऐसा कोई आप प्रावधान करें। यह सभी के साथ जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मैं अपने संकल्प को वापिस लेता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्षः सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस लिया जाए?

संकल्प वापिस हुआ।

अब माननीय सुख राम जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे, और माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी व माननीय बिक्रम सिंह जरयाल जी ने भी इसी विषय पर अपना संकल्प प्रस्तुत किया था, वे भी अपनी बात कह सकेंगे।

05.04.2018/1500/बी0एस0/वाई0के0-3

श्री सुख राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 101 के अंतर्गत संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन सरकार से मांग करता है कि प्राथमिक शिक्षा में स्कूलों की बढ़ती संख्या के उपरांत लगातार विद्यार्थियों की घटती संख्या एवं गिरते स्तर पर नीति बनाएं।"

अध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन सरकार से मांग करता है कि प्राथमिक शिक्षा में स्कूलों की बढ़ती संख्या के उपरांत लगातार विद्यार्थियों की घटती संख्या एवं गिरते स्तर पर नीति बनाएं।" इस विषय पर मेरे पास और तीन माननीय सदस्यों के नाम है जिन्होंने संकल्प दिया था और तीन नाम मेरे पास और आए हैं।

5.4.2018/1505/DT/AG/-1

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री सुख राम जी।

श्री सुख राम : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश में 10,722 प्राइमरी विद्यालय वर्तमान में हैं। क्योंकि जब प्रदेश का निर्माण हुआ तो उस समय प्रदेश की भोगौलीक परिस्थितियां बहुत कठिन थी। सड़के नहीं थी। हिमाचल प्रदेश के हर बच्चे को शिक्षा मिले इसलिए बहुत से स्कूल प्रदेश की सरकारों को खोलने पड़े हैं। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के निर्माता

डॉ0 यशवंत सिंह परमार जी का जोकि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, आदरणीय शान्ता कुमार जी, आदरणीय ठाकुर राम लाल जी, आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी, और आदरणीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी का प्रदेश की समस्त जनता की ओर से धन्यावद करना चाहूता हूं। हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को शिक्षा मिले सीमित साधनो के बावजुद भी बहुत स्कूल प्रदेश में खोले गए हैं। परन्तु आज की जो स्थितियां हैं, वह बदल गई है। आज स्कूल बहुत खुले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम सब की चिन्ता एक है। उस समय प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे। सरकारी स्कूलों में ही हिमाचल प्रदेश के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। उस में सभी के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। जब अधिक संख्यां में बच्चे स्कूल में होते हैं तो वहां पर कम्पिटिशन की भावना होती है। उस समय शिक्षा का स्तर भी बेहतर था। आज जैसे-जैसे समय बदला हिमाचल प्रदेश में लगभग 3 हज़ार प्राईवेट शिक्षण संस्थान काम कर रहें है। 10,722 हमारे प्राईमरी विद्यालय हैं। मैं मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश के आम व्यक्ति की इंकम बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। वह अपनी आमदनी का अधिकतर हिस्सा अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए खर्च करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जैसे-जैसे प्राईवेट स्कूलों की संख्यां बढ़ी तो सरकारी स्कूलों में बच्चो की संख्यां लगतार गिरती रही । आज हिमाचल प्रदेश में 10, 722 स्कूलों में 3 लाख दो हज़ार बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं । पिछले 5, 6 सालों में इनकी संख्यां में जो कमी आई है उससे 78 हज़ार बच्चे कम हुए हैं। दूसरी तरफ जो 3 हज़ार प्राइवेट स्कूल हैं इनमें लगभग बच्चों की संख्या 2 लाख 67

5.4.2018/1505/DT/AG/-2

हज़ार है। प्राइवेट स्कूल लगभग 3 हज़ार है और सरकारी स्कूल 10, 722 हैं। बच्चों की संख्या में केवल 65 हज़ार का फर्क है। इसलिए सरकारी स्कूलों में लगातर घटती हुई बच्चों की संख्या हमारे लिए चिन्ता का विषय है। प्राइमरी स्कूलों में घटती हुए बच्चों की संख्या

हम सब के लिए विचारणीय विषय है। हिमाचल प्रदेश में 484 विद्यालय ऐसे हैं, जहां 5 से कम बच्चे हैं।

05/04/2018/1510/RG/AG/1

श्री सुख राम-------जारी

1158 विद्यालय ऐसे हैं जहां 6 से 10 बच्चे हैं, 1837 विद्यालय ऐसे हैं जहां 11 से 15 बच्चे हैं, 1550 स्कूल ऐसे हैं जहां 16 से 20 बच्चे हैं और 5,628 विद्यालय ऐसे हैं जहां 20 से अधिक बच्चे हैं। आज के समय के अनुसार आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारे यहां स्कूलों में लगातार बच्चों की घटती हुई संख्या के कारणों पर हमें जाना चाहिए। हमें शिक्षा की ठोस नीति प्रणाली बनानी पड़ेगी ताकि हिमाचल प्रदेश में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। आज जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें हमने एक से 60 तक दो अध्यापक रखे हैं, 61 से 90 तक तीन, 91 से 120 बच्चों तक चार और 121 से ऊपर चार से छः अध्यापक वहां रहते हैं। आप अन्दाज़ा लगाइए कि जिस स्कूल में मान लो 50 बच्चे हैं और दो अध्यापक हैं, अब उन्होंने दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी देखनी है, कोई बीमार हो जाए, तो वह स्कूल में नहीं आएगा, पांच कक्षाएं हैं, तो एक अध्यापक उनको कैसे पढ़ाएगा? इसलिए हमने जो मापदण्ड तय किए हैं, ठीक है कि शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत यह मापदण्ड तय हुए हैं, परन्तु हिमाचल प्रदेश का परिदृश्य बिल्कुल अलग है। जहां दो बच्चे हैं वहां भी दो अध्यापक और जहां 59 बच्चे हैं वहां भी दो ही अध्यापक हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि शिक्षा का बोझ अध्यापकों के ऊपर है, हमने सर्व शिक्षा अभियान में उनकी डियुटी लगानी है, मिड डे मील में भी लगानी है, वोटर लिस्ट में भी उनकी डियुटी लगती है और विशेष तौर से जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं वे भी अध्यापकों के बीच से ही बनते हैं। इसके अतिरिक्त जब कभी हमारी महिला अध्यपिका मातृत्व अवकाश पर जाती है तब भी उनको ही पढ़ाना होता है। आजकल तो 185 दिन का मातृत्व अवकाश उन्हें मिलता है। इस प्रकार अगर दो अध्यापिकाएं अवकाश पर चली गईं, तो उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती और 185 दिन के लिए वह स्कूल उस अध्यापिका से खाली रहता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर हमने अपनी शिक्षा प्रणाली को

मजबूत करना है, तो हमारे केन्द्रीय मुख्य अध्यापकों को टीचिंग में लगाया जाए। लेकिन हमने इनको नॉन-टीचिंग स्टाफ में शामिल कर दिया। इनकी संख्या हमारे यहां 2095 है और हमारे यहां 10,000 स्कूल हैं। लगभग एक सी.एच.टी. 4 या 5 स्कूलों के ऊपर होता है। मैं चाहता हूं कि इनको नॉन-टीचिंग स्टाफ से निकालकर टीचिंग स्टाफ में रखा जाए ताकि जिस विद्यालय का अध्यापक अवकाश पर जाए, उसके स्थान पर इसको डेपयूट किया जाए। हमने

05/04/2018/1510/RG/AG/2

इन 2095 को नॉन-टीचिंग स्टाफ में डाल दिया, इससे अध्यापक वैसे ही कम कर दिए। इसलिए इनको टीचिंग स्टाफ में रखा जाए ताकि हमारी शिक्षा प्रणाली मजबूत हो सके। अध्यक्ष महोदय, पहले लीव रिजर्व टीचर होता था। बी.पी. ऑफिस में एक या दो टीचर लीव रिज़र्व में रहते थे। कोई अवकाश पर जाता था, तो उनकी जगह उनको डेपयूट किया जाता था। लेकिन हमने वह सिस्टम भी खत्म कर दिया। हमारे पड़ोस में जो उत्तराखण्ड एवं हरियाणा प्रदेश हैं वहां बी.पी.ओज़. को पॉवर्ज दी गई हैं। वहां उप निदेशक को पॉवर दी है कि जिस स्कूल में 5 बच्चे और दो अध्यापक हैं या 7 बच्चे दो अध्यापक हैं, किसी में आपके पास 59 बच्चे हैं और कोई अध्यापक अवकाश पर चला जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको शक्तियां दी गई हैं और उसको निदेशक से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। वह अपने स्तर पर भी उस अध्यापक को उस स्कूल में डेपयूट कर सकता है। हमारे यहां निदेशक कार्यालय से उसकी अनुमति लेनी पड़ती है और तब तक समय बीत जाता है।

05.04.2018/1515/जेके/एजी/1

श्री सुख रामः-------**जारी**-------

इसलिए इस संस्थान को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उनको स्पेशल पॉवर मिलनी चाहिए ताकि अपने लैवल पर स्कूल में टीचर्ज़ रहें। प्राइवेट स्कूलों में क्या है कि वहां पर जितनी क्लासिज़ हैं उतने ही टीचर्ज़ हैं। अगर उनका टीचर नहीं आता है तो वहां का प्रिंसिपल भी उस दिन क्लास में बैठ कर बच्चों को पढ़ाता है। हमारे यहां पर वोटर लिस्ट में

डियूटी लगा दी आपने उसके बाद उसको बी0एल0ओ0 बना दिया, आपने मिड-डे-मील में उसकी डियूटी लगा दी, सर्वशिक्षा अभियान में उसकी डियूटी लगा दी और कोई दूसरा सरकार का कार्यक्रम हो तो उसमें डियूटी लगा दी, कोई आदमी मिलता नहीं है और टीचर्ज़ को लगा दो। कोई नई-नई ट्रेनिंग्ज टीचर्ज़ को देनी होती है। इसलिए आज हिमाचल प्रदेश की एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, वह उत्तरांचल से भी निचले स्तर तक पहुंच गया है। हरियाणा से भी निचले स्तर पर है और पंजाब से तो बहुत निचले स्तर पर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की शिक्षा का स्तर गिरा है। हम एक बच्चे पर खर्चा कितना करते हैं? हमारे पास 3 लाख 2 हजार बच्चे हैं। 10, 722 हमारे पास स्कूल हैं और हमारे पास 25, 245 अध्यापकों की पोस्टें स्वीकृत हैं, उनमें से 23,140 कार्यरत्त हैं। मैं यहां पर सिर्फ टीचर्ज़ बता रहा हूं। बी0पी0ओ0 का स्टाफ अलग है, डिप्टी डायरैक्टर का स्टाफ अलग है और डायरैक्ट्रेट का स्टाफ अलग है। एक बच्चे पर हमारी सरकार एक महीने में एवरेज़ 1200/- रूपये खर्च करती है। उसके बाद भी दूसरी क्लास के बच्चे को 200 तक गिनती नहीं आती। पांचवीं क्लास के बच्चे को कटे अक्षरों की पहचान नहीं है। हम इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते है? अगर हमारी प्राइमरी शिक्षा कमज़ोर है और ऊपर की शिक्षा को मज़बूत करो उससे कुछ बनने वाला नहीं है ये जो 10,722 स्कूल खुले हैं, हम इनको बन्द करने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इनको बन्द न किया जाए परन्तु एक चीज़ जरूर की जाए कि अगर सड़क के इस पार एक स्कूल है और एक उस पार है। वहां पर दो-दो टीचर्ज़ हैं। अगर उन दोनों स्कूलों को इकट्ठा कर दिया जाए तो चार क्लासें बैठेगी। एक क्लास में 25 बच्चे हैं और दूसरी

क्लास में 30 बच्चे हैं। इस तरह से 55 बच्चे होंगे और चार टीचर्ज़ होंगे तो वे बच्चों को पढ़ाएंगे। वे चार-पांच क्लासों को पढ़ाएंगे। इसलिए क्लस्टर में शिक्षा होनी चाहिए। जहां की भोगौलिक परिस्थितियां बिल्कुल ठीक है, जहां बच्चों को पैदल नहीं जाना पड़ता, शहरों में

स्कूल हैं, बस्तियों में स्कूल हैं, उनको क्लस्टर स्कूल में कन्वर्ट किया जाए। जब उनको कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर प्रॉपर टीचर्ज़ रहेंगे तो अच्छी एजुकेशन भी बच्चों को मिलेगी। प्राइवेट स्कूल में जो स्टाफ है, उनको चिन्ता यह है कि अगर बच्चे ज्यादा नहीं आएंगे तो हमारी सर्विस चली जाएगी। बच्चा किस घर में पैदा होता है वे उसका सब हिसाब-किताब रखते हैं। वे तीन साल के बाद, दो साल के बाद प्री-नर्सरी, नर्सरी में उसको ले कर चले जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं जो स्कूल हमारे बन्द हो उनमें आप प्री-नर्सरी और नर्सरी की क्लासें शुरू करें। उन स्कूलों में यदि आप प्री-नर्सरी व नर्सरी की क्लासें शुरू करेंगे वहां पर वे ही टीचर्ज़ अवेलेबल होंगे। आपको कोई नया ढांचा खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। जब बच्चे वहां पर आएंगे, वहां पर उनको प्री-नर्सरी व नर्सरी की एजुकेशन मिलेगी ,आपके विद्यालय में जाएंगे इस तरह से उन विद्यालयों में हमारे बच्चों की संख्या बढ़ेगी। यह बहुत आवश्यक हो गया है। यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमें अपनी नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं जो हमारी ट्रांसफर वाली नीति है, कृपया मेहरबानी करके जब शैक्षणिक सत्र का मिडल टर्म शुरू हो जाता है उसके बाद किसी भी अध्यापक का स्थानांतरण नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चा पेरेंट्स से ज्यादा बात अपने टीचर की मानता है। उसका उस टीचर से लगाव हो जाता है। हम उसको मिड टर्म में बदल देते हैं उससे उसकी शिक्षा पर विपरीत असर पड़ता है। ठीक है कहीं वेकेंट पोस्ट है।

05.04.2018/1520/SS-DC/1

श्री सुख राम क्रमागतः

कोई सेवानिवृत्ति के बाद पोस्ट खाली हो गई या कोई प्रॅमोशन के बाद खाली हो गई तो आप रिक्त पद भरो। परन्तु जो मिड टर्म में हम ट्रांसफर करते हैं उससे हमारी शिक्षा का स्तर बहुत घट जाता है। मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। हम हर वर्ष युक्तिकरण करते हैं। 2015 में युक्तिकरण हुआ नहीं। आप 2016 में क्या, 2017 में भी नहीं कर पाए।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

हर वर्ष मार्च-अप्रैल महीने के बाद जब बच्चों की एडमिशन हो जाए तो 15 दिन के अंदर युक्तिकरण होना चाहिए। बच्चों की संख्या के अनुसार युक्तिकरण करके 15 दिन के अंदर-अंदर उनको ज्वाइन करवाना चाहिए ताकि जब बच्चों की संख्या अधिक हो तो उनको पर्याप्त अध्यापक मिल जाएं। हमारा युक्तिकरण पूरे साल में इम्प्लीमैंट ही नहीं होता। हम उसको इम्प्लीमैंट करते नहीं हैं। इसलिए मैंने आपके समक्ष कुछ बातें रखी हैं। अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। हम टीचरों से खण्ड शिक्षा अधिकारियों की प्रॅमोशन पर लाते हैं। वह कब लाते हैं। किसी के छः महीने होते हैं या किसी का साल होता है। अपने दिमाग से बहुत कम लोग काम करते हैं। जो सुपरिटैंडेंट बैठा होता है उसकी लिखी हुई चिट्ठियों पर साइन करते हैं क्योंकि उनके पास छः महीने का समय होता है। उत्तराखंड में कुछ परसैंट डायरैक्ट रिक्रूटमैंट की जाती है। इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए। जब हैड चलाने वाला अच्छा होगा तो संस्थान भी अच्छा चलेगा। इस तरह की व्यवस्था की जाए।

हम कहते हैं कि हमने प्लस-टू के आदर्श विद्यालय बनाने हैं। आप इन्हें बनाओ, हमें इसमें कोई ऑब्जैक्शन नहीं है। परन्तु कम-से-कम एक निर्वाचन क्षेत्र में चार आदर्श विद्यालय बनाईये। वहां पर स्टाफ पूरा हो। वहां पर कमरे पूरे हों। वैल फर्नीचर हो। मैं प्राईमरी की बात कह रहा हूं। यह काम आप प्राईमरी में करिये। सकैंडरी में करने का उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना प्राईमरी में मिलेगा। जो बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहता है उससे ऑप्शन लीजिए। उसको इंग्लिश में आप विषय दीजिए। जो पहली क्लास से हिन्दी में पढ़ना चाहता है उसको हिन्दी में

05.04.2018/1520/SS-DC/2

पढ़ाईये। आप एक विधान सभा क्षेत्र में वे चार-चार आदर्श विद्यालय स्थापित करिये। जितने प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाएंगे उससे ज्यादा बच्चे आपके स्कूलों में आयेंगे। जब वे विद्यालय स्थापित होंगे, उनमें अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो हिमाचल प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। इसीलिए आज हिमाचल प्रदेश की एजुकेशन का स्तर बहुत निम्न चला गया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश का आम व्यक्ति चिन्तित है। कोई व्यक्ति सरकारी स्कूलों में बच्चों

को पढ़ाना नहीं चाहता। उसका कारण है। हिमाचल में तीन तरह की एजुकेशन हो गई है। एक तो वे व्यक्ति हैं जो हिमाचल प्रदेश से बाहर बच्चों को पढ़ाते हैं। देहरादून, दिल्ली और बड़े-बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं जहां पर 50-50 हजार रुपये की फीस है। दूसरे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं और तीसरे सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। चौथी कैटेगिरी और भी हो सकती है। इसलिए हम यहीं फ़र्क कर देते हैं। कई व्यक्ति तो अपने बच्चों की एडमिशन सरकारी स्कूलों में करवाते हैं, प्राइवेट में हिमाचल प्रदेश में करवाते हैं, नाम यहां दाखिल है लेकिन उनको एजुकेशन देहरादून में मिल रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का बेनिफिट उन्होंने लेना है। हिमाचल प्रदेश के बच्चों के साथ यह डम्मी एडमिशन होती है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करके मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सब को राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश का जो भविष्य है आने वाले बच्चे हैं उनके बारे में गहन चिन्तन करके यहां विचार करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की प्राईमरी शिक्षा को हम किस तरह से गुणवत्ता वाली शिक्षा यहां दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत, जय हिमाचल।

उपाध्यक्षः अब इस अति महत्वपूर्ण चर्चा में बोलने के लिए मैं कर्नल इन्द्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं।

5.04.2018/1525/केएस/एचके/1

श्री इन्द्र सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने संकल्प दिया था वह कुछ अलग था। मेरा संकल्प था कि शारीरिक और बौद्धिक विकास की जो बच्चों में कमी आ रही है, उसको कैसे दूर किया जाए? क्योंकि मेरा संकल्प और जो यह फाइनली संकल्प लिया गया, ये दोनी सीमिलर लाइन्ज़ में हैं, इसलिए आपकी अनुमति से मैं दोनों सब्जैक्ट्स को थोड़ा-थोड़ा कवर करुंगा। जहां आदरणीय सुखराम जी ने छोड़ा, उससे आगे थोड़ी बात करुंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हमारे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास संतुलित तरीके से होना चाहिए लेकिन यह हो नहीं रहा है। हमारे मानसिक और शारीरिक

विकास में काफी गिरावट आई है। इसको दूर करना है अगर शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास संतुलित न रहे तो जो मनुष्य का व्यक्तित्व है, उसमें वह अपनी चरम सीमा तक, पूरी पोटेंशियल तक काम नहीं करता। पहले शरीर ग्रो होता है अगर ठीक ढंग से शरीर ग्रो हो तो बौद्धिक और मानसिक विकास भी ठीक ढंग से ग्रो होता है। इसका मतलब यह है कि जो शारीरिक विकास है वह सारे विकास का बेस है। अगर शरीर ठीक है तो फिर बौद्धिक विकास भी और मानसिक विकास भी होगा। हिमाचल प्रदेश के बच्चों की शारीरिक पोज़िशन के बारे में मैं थोड़े आंकड़ों के माध्यम से अपनी बात रखूंगा। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2015-16 में जो नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे हुआ, उसमें पांच साल के कितने परसेंट बच्चे स्टंटिड हैं, उम्र के हिसाब से जो उनकी सामान्य लम्बाई होनी चाहिए, तो 26.5 परसेंट बच्चे स्टंटिड है। इसी उम्र के बच्चे, जिनकी लम्बाई की तुलना में उनका वज़न नहीं है, दुबले-पतले हैं, 13.7 परसेंट हैं। 21.2 परसेंट बच्चे अंडर वेट है। 53.7 परसेंट बच्चे अनीमिक हैं। यह बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इसको दूर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए तभी हमारे बच्चे स्कूलों में फिट होंगें। यह स्तर इनका क्यों गिरा है? इसका एक कारण तो यह है कि हमारे बच्चों की फूड हैबिट्स बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। वे ज्यादा जंक फूड पसंन्द करते हैं। एक्सर्साइज़ नहीं करते। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं । स्कूल की बस में स्कूल में उतरे, पढ़े और उसी में घर आ गए। घर आ कर मोबाइल पर काम करना शुरू कर दिया । एक कारण यह भी है।

5.04.2018/1525/केएस/एचके/2

कुछ माता-पिता का प्रैशर भी होता है। एक इम्पोर्टैंट इशू है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंट्स को बच्चों को कैसे ब्रिंगअप करना है उसकी कोई फॉर्मल ऐजुकेशन नहीं है। हालांकि this is very important and skilled job. लेकिन ऐसा हो नही रहा है। इस सब का परिणाम यह हो रहा है कि हमारे बच्चे शारीरिक तौर पर कमजोर हो रहे हैं। जो बच्चे हमारे स्टंटिंड हो रहे हैं, वेट नहीं है उनको डिफैंस फोर्सिज़ में, पैरा मिलिटरी फोर्सिज़ में भी जगह नहीं मिल

रही है। जिसकी वजह से बहुत से बच्चे नौकरियों में ट्रेडिशनली जाते रहे हैं, वहां पर वे अनफिट पाए जा रहे हैं हालांकि डिफैंस फोर्सिज़ में उनकी ढाई सैंटीमीटर हाइट भी कम कर दी फिर भी वह संख्या में नहीं मिल रहे है। जब ऐसे कमजोर बच्चे स्कूलों में जाएंगें तो डैफिनेटली उनका जो मैंटल मेकअप है, बौद्धिक और मानसिक विकास है, वह अधूरा रह जाता है इसलिए सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हमारे बच्चों को घरों में किस प्रकार से ब्रिंगअप करना है, what I feel is more important. (...bell rings...) Sir, please give me 15 minutes, I am one of the initiator of this Resolution.

5.4.2018/1530/av/एच के/1

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट)----------जारी

(---घंटी---) मैं अपनी बात को कट-शॉट करता हूं। स्कूलों में बच्चों की कमी क्यों आ रही है? इसका मुख्य कारण यह है कि हम स्कूलों में नर्सरी क्लासिज नहीं चला रहे हैं। पेरैंट्स जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नर्सरी क्लासों में अपने बच्चों को भर्ती करना चाहते हैं जिसके कारण वे प्राईवेट स्कूलों में भेज दिए जाते हैं। कोई बच्चा एक बार जब प्राईवेट स्कूल में चला जाता है तो वह मुड़कर सरकारी स्कूल में नहीं आता। इस प्रकार के सुझाव कई बार दिए जा चुके हैं। मैंने खुद यहां इस मान्य सदन में इस बात को कई बार कहा है, विस्तृत रूप से कहा है और आंकड़े देकर कहा है लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि अबकी बार इस बारे में कुछ काम होगा। हमारी जो टोटल ऐजुकेशन की चेन है इसमें primary education is the biggest link. जो सबसे मजबूत लिंक होना चाहिए वह सबसे कमजोर है। जब हमारी नींव ही कमजोर होगी तो उस पर मजबूत मंजिलें कैसे बन सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। आप स्टूडैंट के अनुपात में टीचर देते हैं जबकि आपको क्लास के अनुपात से टीचर देना चाहिए। अगर पांच क्लासिज हैं तो पांच टीचर दीजिए। हमें याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो चार-पांच किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाते थे। लेकिन हमें पूरा विश्वास होता था कि जब स्कूल में

पहुंचेंगे तो मुझे मेरी क्लास में टीचर मिलेगा। उस समय टीचर्स को इस प्रकार की ड्यूटी भी नहीं दी जाती थी जो आजकल दी जाती है। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि कम-से-कम प्राइमरी टीचर की कोई अतिरिक्त ड्यूटी न लगाई जाए। Don't disturb them. जहां तक हो सके आप हर पंचायत में दो-दो मोडल स्कूल खोलिए। Give them complete infrastructure and complete staff. आने-जाने की व्यवस्था तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दे ही देते हैं जो कि फ्री में है और मेरे ख्याल में यह सबसे बैस्ट रहेगा। इसके अतिरिक्त ट्राइबल एरियाज में आप नवोदय टाइप स्कूल खोलिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने वहां एकलव्य स्कूल खोलने की बात की है। नहीं तो, एक स्कूल में दो बच्चे हैं और उनके लिए वहां पर दो मास्टर या एक मास्टर है। अब उस स्कूल में वे दो बच्चे क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे, मुझे

5.4.2018/1530/av/एच के/2

आप यह बताइए। वे कबड्डी खेलना चाहते हैं, अब बताइए किसके साथ खेलेंगे? वे शरारत करना चाहते हैं किसके साथ करेंगे, क्या वे पानी देने वाली के साथ शरारत करेंगे? बच्चा, बच्चों के बीच में रहकर ग्रो करता है। इस प्रकार की बहुत सारी कमियां हैं और हम ऐक्सपैंशन पर ऐक्सपैंशन किए जा रहे हैं। मैं आपको डाटा देता हूं कि पिछली सरकार ने 1 अप्रैल, 2013 से 31 जनवरी, 2016 तक 150 प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल बना दिए। (---व्यवधान---) एक मिनट, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। (---व्यवधान---) इसीलिए बार-बार बोल रहा हूं लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। प्रदेश में 336 मिडिल स्कूल हाई स्कूल बना दिए, 292 हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिए। (---व्यवधान---) सुनिए, इन 336 स्कूलों में से 327 स्कूलों में जो अपग्रेड करने के लिए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, who is responsible for that? आप अपने मिग्र रिसोर्सिस को स्ट्रैच कर रहे हैं। Instead of consolidating meager resources you were over stretching them. फिर मुझे बोल रहे हैं कि बार-बार बोल रहे हैं। आपने 292 स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिए और उसमें से 271 स्कूलों के लिए कोई मापदण्ड नहीं अपनाए गए। पिछले तीन सालों में आपने 93 प्राइमरी स्कूल खोल दिए, 211 प्राइमरी स्कूल अपग्रेड करके मिडिल

स्कूल बना दिए, 354 हाई स्कूल बना दिए और 282 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिए। इनमें से तीन स्कूल शुरू से ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिए गए यानि उसमें पहली क्लास से कक्षाएं शुरू की गई। आप क्या फोलो कर रहे हैं, what are you doing? You are playing with the system. मैं ऐसा भी समझता हूं कि पढ़ाई की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए we should isolate schools from the politics. स्कूल के कैम्पस में सिवाय ऐनुअल फंक्शन के कोई और फंक्शन नहीं होना चाहिए। There should be no political functions in the schools. लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलती है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है स्कूलों में हर फंक्शन करने शुरू कर दिए जाते हैं। आप किसी भी स्कूल में जाइए वहां पर

5.4.2018/1535/TCV/YK-1

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट) जारी ।

इधर-उधर की सारी प्लेट स्कूल के ग्राउंड में लगी होती है। What is this? स्कूलों में बिल्कुल भी पोलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। There should be no political gathering in the schools campuses. मैं ऐसा समझता हूं। ---(व्यवधान)--- पहली बार बोल रहा हूं ,सर, I understand your position. मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं। आपने रामचरित मानस में पढ़ा होगा-भय बिन होत न प्रीति। जब स्कूल में बच्चों ने पास ही होना है, उनको फेल होने का कोई डर नहीं है, तो वे पढ़ेंगे किस लिए। इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि 5वीं और 8वीं कक्षा में एग्जाम होना चाहिए। हमारे पास पढ़ाई के 4 लेवल है- प्राइमरी, मिडल, हाई और सीनियर सेकैंडरी। मैं समझता हूं कि जहां मिडल और प्राइमरी स्कूल एक ही कैंपस में है, मिडल स्कूल में 15 विद्यार्थी है और 5 टीचर हैं और प्राइमरी स्कूल में 5-10 विद्यार्थी हैं तथा एक टीचर है, उन स्कूलों को मर्ज़ किया जाये। इससे वहां एक अच्छा वातावरण होगा और जो मिडल स्कूल के टीचर है, वे पांचवी तथा चौथी जमात को भी पढ़ा सकते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात पर गौर करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, बोलने के लिए तो बहुत था, लेकिन अगला सब्जैक्ट भी इट्रोडयूस होना है, धन्यवाद।

5.4.2018/1535/TCV/YK-2

उपाध्यक्षः माननीय कर्नल की बेदना को मैं समझ सकता हूं क्योंकि पिछले 5 साल हम भी देखते रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा for the sake of the quality of education in Government schools. मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे समय का ध्यान रखें। अभी 7-8 सदस्यों ने और बोलना है और एक संकल्प अभी और आने को है। श्री विक्रम सिंह जरयाल जी ।

श्री विक्रम सिंह **जरयालः** आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, ये हिमाचल प्रदेश के लिए अति गम्भीर विषय है, चाहे सरकार कोई भी हो। इसमें राजनीति की बात नहीं है। हमारा शिक्षा का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगा। मेरे से पूर्व वक्ता श्री इन्द्र सिंह जी और सुखराम जी ने काफी डिटेल में इस पर चर्चा की है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए एक ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। एक अमेरिका के लेखक, डेविड फॉली ने कहा था- जब बाकी दुनियां पढ़ना-लिखना नहीं जानती थी , तब भारत में हिन्दूओं ने वेद लिख डाले थे। जब दुनियां में शिक्षा कहीं भी नहीं थी, तब भारतवर्ष में गुरूकुल चला करते थे और शिक्षा दी जाती थी। फिर भी हम आज शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं। आज हम सभी की जरूरत है कि एक दूरदृष्टि के साथ एक अच्छे वातावरण में स्कूल की स्थापना हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रैक्चर हो, उनमें पूरे टीचर हों। प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी से क्लासें शुरू हो। क्योंकि जैसे सुखराम जी ने कहा है कि आज हिमाचल प्रदेश में सभी की आमदनी बढ़ गई है और सभी अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों को डाल रहे हैं। यदि हिन्दी स्कूलों में नर्सरी से अग्रेजी शुरू कर दे तो इससे हमारे स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। जो प्राइवेट स्कूल है, उनमें विद्यार्थियों की संख्या घटेगी। एक अच्छा माहौल/वातावरण बनेगा।

05-04-2018/1540/NS/YK/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल -----जारी

मैं एक-दो बातें अपने विधान सभा क्षेत्र की कहना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो कॉलेज हैं। एक कॉलेज वर्ष 1996 में Govt. Degree College, चौवाड़ी खुला था। परन्तु मेरे से पहले जिसने इस विधान सभा क्षेत्र का नेतृत्व किया है, यह वर्ष 1996 का कॉलेज है लेकिन कॉलेज के नाम पर एक ईंच जगह नहीं है। इसके साथ जो कॉलेज खुले थे, आज वे कॉलेज Post Graduate upgrade हो चुके हैं। लेकिन यह अभी तक डिग्री कॉलेज ही है। पिछले पांच सालों में मैंने जब इसकी सारी चीजें देखीं और कागज़ात निकाले तो कम-से-कम 150 लोग इसमें ज़मीन के शेयरहोल्डर्ज़ हैं। आज वे सभी मुआवज़ा लेने के लिए खड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि हमें मुआवज़ा दो। हमने पीछे एक होस्टल का काम शुरू किया तो उन्होंने माननीय कोर्ट में जा करके स्टे ले लिया और काम बंद हो गया। वैसे ही Govt. Degree College, सीयुंता है। आदरणीय अग्निहोत्री जी यहां बैठे हैं। मैडम आशा जी चम्बा जिले से संबंध रखती हैं। इस कॉलेज को girls school में खोल दिया गया है। पिछली बार हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी से मैंने निवेदन भी किया था और कहा था कि आप कॉलेज दे रहे हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। परन्तु इसके लिए अच्छा इन्फ्रास्र्टक्चर, अच्छी जगह भी होनी चाहिए और बज़ट का प्रावधान भी होना चाहिए। जब मैं प्रश्न लगाता था तो कहते हैं no budget, no place कुछ नहीं हैं और इस कॉलेज को भी खोल दिया गया।

आज हमारे हिमाचल प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं, चाहे वे प्राईमरी, मिडल, हाई और +2 हैं और चाहे कॉलेज हैं, ऐसे संस्थान खुल चुके हैं, बिल्डिंगज़ बन चुकी हैं। परन्तु यह जगह संस्थानों के नाम पर नहीं है। मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि वे जिला के जिलाधीश महोदय को आदेश दें कि जो शिक्षा संस्थान खुले हुए हैं, उनकी जगह उनके नाम पर की जाये ताकि कभी हम दो कमरे और शौचालय बनाने के लिए पैसा दें तो जब तक स्कूल के नाम पर जगह नहीं होती तो उस बिल्डिंग का विस्तार नहीं हो सकता है। यहां आदरणीय सुख राम जी ने कहा है कि mostly जो प्राईमरी टीचर्ज़ हैं, वे मिड-डे-मील, construction of school works, election duty,जनगणना, B.L.O., S.S.A. training, seminars और के लिए कम-से-कम उनका साल का आधा समय बाहर गुज़र जाता है। इसी कारण से हमारा शिक्षा का विस्तार नहीं हो रहा है।

05-04-2018/1540/NS/YK/2

उपाध्यक्षः माननीय विधायक जी, आप एक मिनट रुकिये। माननीय ठाकुर राम लाल जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर विषय प्राईमरी स्कूलों का लगा हुआ है और ये कॉलेज़िज और हाई स्कूलों के ऊपर पहुंच गये हैं। माननीय पठानिया जी गालियां निकालेंगे क्योंकि इनका संकल्प रह जायेगा। जो पैरामीटर्ज़ हैं, हम उसके अंदर बोलें। प्राईमरी स्कूलों का संकल्प है और आप पहुंच गये कॉलेजिज के ऊपर।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य यह शिक्षा से जुड़ा हुआ है।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः मैं स्कूलों की बात कर रहा हूं। अगर कोई प्राईमरी स्कूल नज़दीक हैं, जैसे एक कलस्टर हैः boys school and girls school इनको मर्ज़ किया जाये। मैं प्राईमरी स्कूल की बात कर रहा हूं। मान लो नूरपुर का स्कूल है। नूरपुर में साथ ही में boys school and girls school है। इनको मर्ज़ कर दिया जाये तो जो नज़दीक के स्कूल हैं, वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, टीचर्ज़ सभी होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, प्राईमरी स्कूल के टीचर को सात हज़ार रुपया तनख्वाह देते हैं और आज टीचर्ज़ की कमी है। क्यों न हम जो नये नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनको 15,000 रुपये पर अप्वाईंट करें तो नये टीचर्ज़ अप्वाईंट होंगे और अच्छी शिक्षा कम खर्चे पर देंगे। पैसा भी बचेगा और शिक्षा भी अच्छी मिलेगी। इसके साथ आदरणीय नरेन्द्र ठाकुर जी ने बोला था कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होना चाहिए। इसके लिए स्कूलों में अच्छी अकमोडेशन, ग्राऊंडज, लाईब्रेरी हो और अच्छी किताबें होनी चाहिए ताकि उनको पूरा नॉलेज भी मिले ताकि वे कम्पीटीशन में पास हो करके

05.04.2018/1545/RKS/AG-1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल... जारी

HAS, IAS, IPS और इंजीनियर्ज बन सके। आर्मी में, एयर फोर्स में, नेवी में अधिकारी बन सके। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके लिए एक ठोस नीति

बनाई जाए ताकि हमारी शिक्षा में सुधार हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

05.04.2018/1545/RKS/AG-2

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगीः उपाध्यक्ष महोदय, नियम-101 के अंतर्गत जो संकल्प श्री सुख राम जी, श्री इन्द्र सिंह जी और श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी ने यहां रखा है, उस पर अपने विचार रखने के लिए मैं यहां खड़ा हूं। इन तीनों माननीय सदस्यों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात यहां पर रखी है। श्री सुख राम जी ने तो शिक्षा विभाग का पूरा डेटा यहां पर बड़े विस्तार से दिया है। इन्होंने अच्छा रिसर्च किया है। प्रशासनिक कमियों के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन मैं इस पर जाना नहीं चाहता हूं। मैं केवल कुछ बिन्दुओं पर अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकारी स्कूलों में जो संख्या घट रही है, इसका एक कारण अध्यापक न होना भी है। परन्तु इसका मुख्य कारण यह है कि आज हमारी आय बढ़ गई है। हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ें। सबका रूझान अंग्रेजी की तरफ है। हम कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन हकीकत यह है कि अंग्रेजी के बिना आज की तारीख में काम चलने वाला नहीं है। हमें बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। सरकारी स्कूलों के टीचर वैल क्वालीफाइड होते हैं। जैसे जे.बी.टी., एंट्रैंस इग्जाम पास करने के बाद दो साल की ट्रेनिंग करते हैं, टैट क्वालीफाई करते हैं। सरकारी स्कूलों में अच्छे अध्यापक होते हैं। DIET के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होती है। परन्तु इंग्लिश मीडियम न होने से बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। आज प्राइवेट स्कूल मशरूम की तरह खुल गए हैं। सरस्वती विद्या मंदिर में भी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अगर सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी पढ़ाई जाए तो यहां पर भी बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। सरकारी स्कूलों की वर्दी भी बदलनी पड़ेगी। मैंने पीछे भी कहा था कि आपने 'निकर' बदलकर 'पैंट' पहन ली तो इन बच्चों को भी जो सलवार-कमीज़ या दूसरे कपड़े

मिलते हैं, उसकी जगह कोट-पैंट -टाई लगवाइए। हमने किन्नौर में तो यह कई सालों से शुरू किया है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि आपको 'मीडियम' के ऊपर फैसला करना पड़ेगा। आप स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की छूट दीजिए। पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने पहली कक्षा में इंग्लिश का विषय अनिवार्य किया है। इसको आप आगे बढ़ाइए। आप टोटल एजुकेशन इंग्लिश में

05.04.2018/1545/RKS/AG-3

दीजिए। मेरे काफनू पंचायत में एक छोटा सा गांव होमते है। वहां पर दो टीचरों ने बहुत बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाया है। हर साल वहां के बच्चे सैनिक स्कूल में जा रहे हैं। हर साल एकलव्य में जा रहे हैं। हर साल नवोदय में सलैक्ट हो रहे हैं। ऐसे टीचरों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। जो आप बैस्ट टीचर का पुरस्कार देते हैं, वह पुरस्कार आप इन्हें दीजिए, जिन्होंने अच्छा काम किया है। दूसरा, सरकारी स्कूल में क्लास वर्क और होम वर्क नहीं होता परन्तु प्राइवेट स्कूल में होम वर्क और क्लास वर्क पूरा करना पड़ता है। मां-बाप भी घर में साथ बैठकर बच्चों को होम वर्क करवाकर स्कूल भेजते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में यह प्रथा नहीं है। सरकारी स्कूलों में ऐनुअल फंक्शन नहीं मनाया जाता। यह इसलिए नहीं मनाया जाता क्योंकि एक तो बच्चों की संख्या कम है और दूसरा जान-बूझकर भी नहीं मनाते क्योंकि वहां पर कुछ-न-कुछ दिखाना पड़ता है। प्राइमरी स्कूलों में आप हाउस सिस्टम शुरू कीजिए। जो टीचर गैर हाजिर रहते हैं उन पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप स्कूलों में बायो-मैट्रिक्स लगा सकते हैं। हमने जिला किन्नौर में सभी स्कूलों में बायो मैट्रिक्स लगाए हैं। लेकिन हमारे खिलाफ सारे अध्यापक हो गए। हाजरियां बायो मैट्रिक्स लगनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल में जब टूर्नामैंट्स होते हैं तो ग्रास रूट लैवल पर हमारे बच्चे बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं।

05.04.2018/1550/बी0एस0/वाई0के0-1

श्री जगत सिंह नेगी जारी

हाजरियां Biomatric's से लगे उससे भी बढ़िया हो सकता है। प्राइमरी में हमारे टूर्नामेंट होते हैं, बहुत बढ़िया ग्रासरूट लेवल पर हमारे बच्चे बड़ा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। परंतु प्राइमरी में कहीं पर भी शारीरिक अध्यापक नहीं है। इस ओर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं ज्यादा न कहते हुए माननीय पठानिया जी की बात मान लेता हूं। मैं सिर्फ एक ही प्वांइट पर कहना चाहूंगा कि आप अंग्रेजी माध्यम को जो हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनमें शरू करके देख लीजिए इसके परिणाम बहुत बेहतर होंगे धन्यवाद।

05.04.2018/1550/बी0एस0/वाई0के0-2

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री रमेश ध्वाला चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रमेश चन्द **ध्वाला :** मानीय उपाध्यक्ष जी, जो प्राथमिक शिक्षा के बारे में यहां पर संकल्प रखा है मैं भी उसमें हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बात रखी है, मैं भी उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं कि कर्नल साहब ने जो बात कही है वह सही कही है, वरन यह जो स्कूल हैं वह वाईंडअप हो जाएंगे। जितने अध्यापक हैं जिन्हें रोजगार मिला है यह रोजगार सारे का सारा बंद हो जाएगा। इसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे प्राइमरी स्कूलों में तो बच्चों को 5 साल की आयु में प्रवेश दिया जाता है, यह सरकार की नीति है। लेकिन तीन साल होते ही प्राइवेट स्कूल वाले उन्हें उठा करके ले जाते हैं फिर सरकारी स्कूलों में कौन आएगा। इसलिए यह प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी की कक्षाएं चलाई जानी चाहिए और वहां पर जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकरता हैं उनकी क्वालीफिकेशन है उसे देख करके, और उन्हें अधिक सैलरी दे करके वहां पर नर्सरी क्लासें चलाई जाए। आज तो इतनी बुरी हालत है कि सरकारी स्कूल बंद होने के कागार पर हैं। यहां आप देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में गोरखों के बच्चे पढ़ते हैं और हमारे क्षेत्र में चले जाइए वहां पर बिहारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों

में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब भी सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है। क्योंकि वहां पर एक टीचर है वह क्या करेगा वह डाक बनाएगा, खिचड़ी बनाएगा या अन्य काम करेगा। पांचवी क्लास के बच्चे को 100 तक गिनती नहीं आती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लोग अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन कर्तव्य को कोई नहीं समझता है। वहां पर अध्यापक 11.00 बजे चला हुआ है कोई 12.00 बजे चला हुआ है। एक दिन मैं अपने क्षेत्र में गया, मैंने यह बात बजट सत्र में भी रखी थी, कि मैं वहां पर 11.00 बजे गया तो वहां से सेवादार बच्चों को ले करके स्कूल से वापिस जा रही थी, मैंने पूछा अभी आपको कैसे छुट्टि हो गई, तो वे बोली कि अध्यापक नहीं आया, मैंने पूछा कि अध्यापक क्यों नहीं आया, तो बोली कि अध्यापक को बंदरो ने काल लिया है। अब कईओं को बंदर खा रहे हैं, कई घर से नहीं आ रहे हैं, कईओं ने राजनीति करनी है तो इनके ऊपर

05.04.2018/1550/बी0एस0/वाई0के0-3

क्या चेक है? कम से कम आपने ब्लॉक में एक बी.पी.ओ. रखा है, एक और बी.पी.ओ. आप नियुक्त करिए ताकि वे चैकिंग कर सके, 9.00 बजे जा करके स्कूल में देखे कि समय पर अध्यापक आ रहे हैं या नहीं और नोट करें कि मैंने इतने स्कूलों में आज चैकिंग की है। यह सिस्टम पूरा खराब हो चुका है। मैं कहूंगा कि अंग्रेजी माध्यम आप चलाइए । मेरी एक पंचायत में 6 स्कूल हैं, मैंने कहा कि आप इकट्ठे पांच अध्यापक किसी एक स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चों को ज्यादा फायदा होगा। आप इस स्कूल को अंग्रेजी माध्यम से शरू करिए। उसके बाद जो आस-पास के स्कूल हैं वहां से बच्चे आपके स्कूल में आएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि अगर ऐसा कोई स्कूल चले तो उसकी मदद की जाए, कम से कम वे बच्चों को वहां तक बसों द्वारा स्कूल तक पहंचा सके। अगर उन्हें बस की सुविधा हो तो बस से आएं अगर बस की सुविधान न हो तो बच्चों को वहां गाड़ियों द्वारा पहुचाएं।

05/04/2018/1555/**DT/DC/1**

श्री रमेश चन्द **ध्वाला** ....ज़ारी

मै कहूंगा कि शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाये। प्राईमरी और मिडल स्तर की परीक्षा के लिए बोर्ड होना जरूरी है। मैने पहले भी कहा था की Education is backbone of every country. ये बेकबोन ही बच्चों की टूट गई है। पठानिया जी नाराज़ हो रहें हैं नहीं तो चुटकला तो दोबारा सुना देते। मैं यह कहना चाहूंगा की शिक्षा में सुधार कीजिए, हमारी प्राईमरी शिक्षा अस्त-व्यस्त हो चुकि है और जो हमारे स्कूल हैं वह वाईण्ड-अप हो जायेंगे। स्कूलों में जो अध्यापक लगें हुए हैं उनके बच्चे कहां लगेंगे और जो बच्चे जे0बी0टी0 आदि की ट्रनिंग कर रहें हैं वह कहां लगेंगे। यह आज के समय में सोचने का विषय है। इसलिए मैं श्री राकेश पठानिया जी का समर्थन करता हूं।

05/04/2018/1555/**DT/DC/2**

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी चर्चा में भाग लेगें।

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय सदस्यों श्री सुख राम चौधरी जी, श्री (कर्नल) इन्द्र सिंह जी व श्री बिक्रम जरयाल जी ने इस सदन में रखा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अधिक न बोलते हुए सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में ही बात करूंगा। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई स्कूलों की ऐसी स्थिति हो गई है कि कई स्कूलों में तो सीर्फ नेपाली मूल के जो लोग है उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं या फिर हमारे जो बिहार व झारखण्ड के जो यहां मजदूरी करने आते हैं उनके बच्चे पढ़ते है। मै उनके खिलाफ़ नहीं हूं। उन्हें भी शिक्षा ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो यह कहुगा कि इसके लिए हम सभी दोषी है। चलों सभी नहीं होंगे पर मै तो अपने आप को उन लोगों में शामिल करता हूं जिन्होनें अपने बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ायें हैं। आज की तारीख़ में शायद ही कोई ऐसा अध्यापक होगा जो

सरकारी नौकरी में हो और आपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हो। शायद ही कोई हो। 99 प्रतिशत अध्यापक जो हैं वही अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते। और लोग सोचते हैं कि अगर अध्यापक ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे तो हम क्यों पढ़ायें। यह बात भी ध्यान देने योग्य है। जहां तक हमारे सरकारी स्कूलों की बात है, मैं विशेष कर प्राईमरी स्कूलों की बात करूंगा। प्राईमरी स्कूलों में हमारे ट्रेन्ड टीचर होते हैं। बावजूद ट्रेन्ड टीचर के हम लोग एक दूसरे को देखकर अपने बच्चों को निजी स्कूलों में डाल रहें है। प्राईवेट स्कूलों के जो टीचर हैं वह ट्रेन्ड नहीं होते फिर भी हम अपने बच्चों को प्राईवेट स्कूलों में भेज रहें हैं। प्राईवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों से कई गुणा अधिक फीस हम दे रहें हैं। मै माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि प्राईवेट स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर को भी चेक करने की आवश्यकता है। मै प्राईवेट स्कूलों के विरूद्व नहीं हूं। लेकिन प्राईवेट स्कूलों ने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है। हर जगह पैसे की बात की जाती है। इस कारण भी हमारी शिक्षा का स्तर गिर रहा है, यह भी सत्य है। मै श्री सुख राम जी का भी धन्यवाद करता हूं उन्होनें काफी मेहनत कर डाटा इक्टठा कर अपनी बात इस माननीय सदन में रखा है। मै अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं वहां अधिकतर

05/04/2018/1555/**DT/DC/3**

लोग बागवानी पर निर्भर रहते है। आज की तारीख़ में हमारी बागवानी पिछड़ रही है। आज कल बूढे मां बाप को गांव में छोड़ कर आज लोग अपने बच्चें को याह रोहडू या शिमला या फिर चण्डीगढ़ में पढ़ा रहें हैं।

05/04/2018/1600/RG/DC/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा-------जारी

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि आज जो संकल्प यहां लाया गया है इस पर विस्तृत विचार करने की आवश्यकता है। आज प्राथमिक विद्यालयों की

बढ़ती संख्या के उपरांत भी विद्यार्थियों की संख्या लगातार घटती जा रही है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर यही हाल रहा, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे प्राथमिकता विद्यालय बिल्कुल बंद हो जाएंगे। इसलिए इस पर अवश्य विचार किया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

05/04/2018/1600/RG/DC/2

उपाध्यक्ष : अब श्री राकेश सिंघा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश सिंघा : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करुंगा। मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण संकल्प है। जो कर्नल साहब ने कहा है, मैं बिल्कुल सहमत हूं और मैं समझता हूं कि यह ऐजुकेशन ऑलरेडी रेगुलेटिड है, हम रेगुलेशन नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ऐजुकेशन साइंटिफिक है। शिक्षा, जो बच्चे के गुण हैं, उसको तलाशना है और उन गुणों को विकसित करना ही शिक्षा है। जो एन.सी.ई.आर.टी. अपना कार्य नहीं कर रही है। इसलिए टाईम एण्ड स्पेस के साथ पाठ्यक्रम बदला जाए। वह पाठ्यक्रम नहीं हो सकता जो साठ साल पहले था। आज का पाठ्यक्रम इस पर आधारित होगा कि जो हमारी आर्थिक परिस्थिति है उसमें बच्चा किस तरह से बैस्ट तरीके से ऐडजस्ट होगा, वह शिक्षा आपको देनी है। तभी वह सीखने का काम तेज गति से कर सकता है और मेरा मानना यह है कि अंग्रेजी रखो। लेकिन बच्चा सीखेगा अपनी मातृभाषा में। कर्नल साहब शायद आप मुझसे असहमत होंगे। अंग्रेजी चलेगी, उसको चलाओ, लेकिन बच्चे को अपनी मातृभाषा में सिखाओ। हमें यह करना है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन आपने गलत नतीजा निकाला। असल में जो बच्चों में खून की कमी है, उसकी लम्बाई नहीं है, उसका वज़न प्रौपर नहीं है। इसका कारण फास्ट फूड नहीं है। इसका कारण है कि अगर आप हिमाचल प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, तो 60% लोग हैं जिनके पास 6 बीघा या उससे कम जमीन है। मॉ रात को भूखी सोती है और बच्चे को दूध भी पीने को नहीं मिलता। यह कारण है। हमारी हिमाचल प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था उसके लिए दोषी है, हम उसके लिए दोषी हैं और हम उसके विकास के लिए रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसलिए मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं कि इसमें आपस में सहमति बनाकर एक सीरियस वर्क किया जाए, ऐक्सरसाइज़ की जाए, डिबेट की जाए, सेमीनार

किया जाए कि हम कैसे बेहतर हिमाचल बना सकते हैं, लेकिन यह बेहतर तभी बनेगा जब हम प्राथमिक शिक्षा को बेहतर करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बात कहकर मैं समाप्त करुंगा और आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

05/04/2018/1600/RG/DC/3

उपाध्यक्ष : अब श्री सुभाष ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया दो मिनट में समाप्त करिए।

श्री सुभाष ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, आज प्राथमिक शिक्षा की चिन्ता इस सदन में हो रही है। मैं मात्र दो चीजें कहूंगा कि प्राथमिक शिक्षा और हिमाचल के बच्चों की शिक्षा और हमारे प्रदेश का बच्चा कैसी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, हमें यह देखना है। क्योंकि वह हमारा भविष्य है, चाहे वह हमारा जिला या हमारा प्रदेश है। हमारे हिमाचल प्रदेश के भविष्य के निर्माता अध्यापक हैं, वे कौन सी शिक्षा दे रहे हैं और हम अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा इन स्कूलों में दिला रहे हैं? इसलिए यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। जब प्राथमिक शिक्षा का बच्चा छठी कक्षा में जाता है, तो वहां का अध्यापक कहता है कि मैं इसे पहली कक्षा की शिक्षा दूं या छठी कक्षा की शिक्षा दूं? आज शिक्षा का यह स्तर हो गया है। आज प्राथमिक शिक्षा, बच्चों और माता-पिता के लिए सरकारी स्कूलों के प्रति एक अविश्वास हो गया है, उसको मिटाने की कोशिश होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से विषय यहां आ चुके हैं। मैं ज्यादा लम्बा नहीं बोलूंगा,

05.04.2018/1605/जेके/एजी/1

श्री सुभाष ठाकुरः-----**जारी**-------

लेकिन मात्र इतना कहना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा में गुणवत्ता की गिरावट आई है इसलिए इस विषय को गम्भीरता से लें। यह मात्र एक प्राइमरी अध्यापक और बच्चे का विषय नहीं है। यह विषय हिमाचल प्रदेश के आने वाले भविष्य का है इसलिए हमारा हिमाचल प्रदेश कहां जा रहा है? क्या हम कम्पीट कर पाएंगे? अगर कोई चीज़ हमारे काम आती है तो

एकमात्र जीवन में जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, वही है। हमारे माता-पिता जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वे इसीलिए भेजते हैं कि मेरा बेटा आगे जाएगा। मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा, मेरे प्रदेश का नाम रोशन करेगा और मेरे क्षेत्र के नाम को आगे ले जाएगा। वे किन कठिनाइयों से, किस परिश्रम से और किस खून-पीसने की कमाई से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैा? मेरा यह मानना है कि बच्चा जब स्कूल में एन्टर करें तो बच्चे को लगे कि मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं और शिक्षक जब स्कूल में जाए तो उसे लगे कि यह मेरा कर्त्तव्य है। जो बच्चे यहां आए हैं उनके माता-पिता का विश्वास मेरे ऊपर है और जिसे मैं आधुनिक प्रदेश का निर्माता व भविष्य बना रहा हूं, उसके लिए मैं उत्तरदायी हूं। मेरी कोई जिम्मेदारी है। ऐसा माहौल व वातावरण शिक्षा संस्थानों में होना चाहिए। मेरा आपसे यही निवेदन है। पठानिया जी भी देख रहे हैं और बहुत से विषय यहां पर आए हैं अगले सत्र में इन विषयों को रखेंगे। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया , आपका धन्यवाद।

05.04.2018/1605/जेके/एजी/2

उपाध्यक्षः मेरे ख्याल से बहुत हो गया। अब माननीय मंत्री जी ने भी उत्तर देना है। श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी, आप एक मिनट में अपनी बात रखें।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई। बहुत ही अच्छी चर्चा यहां पर चल रही है। मैं यहां पर एक ही बात कहना चाहूंगा। मुख्य मंत्री महोदय कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं, जो प्राइवेट स्कूल के मालिक हैं, वे सरकारी स्कूलों में टीचर है। शिक्षक कैसे चिन्हित किए जाएं, उस बारे में मैं चाहूंगा कि एक पॉलिसी बनाई जाए कि जहां-जहां पर भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, उनके जो मालिक हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं, वे क्या कर रहे हैं। वे नौकरी तो सरकारी स्कूलों में कर रहे है लेकिन वहां से बच्चों का पलायन अपने प्राइवेट स्कूलों के लिए करवाते हैं। कृपया करके पॉलिसी बनाई जाए कि जो भी प्राइवेट स्कूल उस क्षेत्र में चल रहे हैं वहां पर कइयों की पत्नियों के नाम से

स्कूल चल रहे हैं और मास्टर जी खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें कम से कम 25 किलोमीटर के दायरे में भेजा जाना चाहिए। यह पॉलिसी बनाने की जरूरत है, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

05.04.2018/1605/जेके/एजी/3

उपाध्यक्षः अब माननीय शिक्षा मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

शिक्षा मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस सदन के माननीय सदस्यों आदरणीय श्री सुख राम जी, कर्नल इन्द्र सिंह जी ने और बिक्रम जरयाल जी ने प्रदेश में घटती हुई प्राइमरी स्कूलों की संख्या पर चिन्ता व्यक्त करते हुए यह संकल्प लाया है। मैं इन तीनों माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामयिक विषय पर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं इस सदन के समस्त सदस्यों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि सभी सदस्य इस विषय पर चिन्तित है, इसलिए इस विषय पर नियम-101 का संकल्प लाया गया है। 8 माननीय सदस्य इस पर बोले हैं। वास्तव में हिमाचल प्रदेश में बहुत तेज़ी से शिक्षा का प्रचार व प्रसार हुआ है, जैसा कि आदरणीय सुख राम जी बता रहे थे। हमारे प्रथम मुख्य मंत्री, आदरणीय श्री यशवन्त सिंह परमार जी के समय से ही हिमाचल प्रदेश में शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया।

05.04.2018/1610/SS-DC/1

शिक्षा मंत्री क्रमागतः

उसके कारण दूर-दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ। आज पूरे प्रदेश में यह आवश्यकता नहीं है कि किसी को हमें साक्षर करना है।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

आज तो दूर-दराज के क्षेत्रों तक सभी लोग साक्षर हैं। कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जब 1948 में हिमाचल प्रदेश बना था, उस समय जो स्कूलों की संख्या थी, उससे हज़ारों गुणा

आज इसमें वृद्धि हुई है। हम विद्यालयों में मिड-डे मील भी देते हैं। हम विद्यालयों में दो बार मुफ्त वर्दी 'अटल वर्दी योजना' के तहत देते हैं। हम मुफ्त में एन0सी0ई0आर0टी0 की पुस्तकें स्कूलों में देते हैं। हमारे स्कूलों के बच्चों को जहां पर सम्भव हो सके वहां पर यातायात के साधन भी परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। इन सब के बावजूद भी पिछले कुछ समय से देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा है, हमारे जो स्कूल हैं, उनमें बच्चों की एनरोलमैंट प्रतिवर्ष घटती जा रही है। अगर हम पिछले पांच वर्षों का आंकड़ा देखें तो लगभग 20-22 प्रतिशत के बीच में बच्चों की संख्या हिमाचल प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कम हुई है। हालांकि जैसे मैंने शुरू में कहा था, मैंने सुबह एक स्टेटमैंट भी दी है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं इनके कारण ही इन स्कूलों में पढ़े हुए विद्यार्थी आज इस माननीय सदन में विराजमान हैं। जो हिमाचल प्रदेश सरकार का संचालन करते हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कानूनों का निर्माण भी करते हैं। इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए जो हमारे लोग हैं वे प्रदेश व देश के बहुत ऊंचे-ऊंचे स्थानों तक पहुंचे हैं। मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल 'ऑल इंडिया मेडिकल साइंसिज़' है जोकि दिल्ली में है। उसके जो डायरेक्टर हैं वे हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज के एलूमनी हैं। पी0जी0आई0 चंडीगढ़ के जो हमारे डायरेक्टर हैं वे हमारे पच्छाद क्षेत्र से डॉ0 जगत राम हैं। वे भी सरकारी मेडिकल स्कूल में पढ़ करके आज डायरेक्ट के उच्च पद पर सुशोभित हैं। तो हिमाचल प्रदेश के इन सरकारी विद्यालयों से आज तक हम बहुत अच्छे-अच्छे विद्वानों को, जोकि उच्च स्थानों पर पहुंचे हैं, यहां से प्रोड्यूस करते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले चार-पांच वर्षों में एनरोलमैंट क्यों कम हुई है! इसके बारे में सभी माननीय सदस्य चिन्तित हैं और हम भी चिन्तित हैं कि सभी

05.04.2018/1610/SS-DC/2

सुविधाएं होने के बावजूद भी हमारी एनरोलमैंट कम क्यों हुई है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जी0ई0आर0 अभी भी एलीमैंटरी, प्राईमरी और सब की ऑवर ऑल अच्छी है। वह लगभग 36 है। नेशनल एवरेज 25 है, उससे हम ऊपर हैं। लेकिन देश के बहुत सारे राज्य हैं, विशेष करके दक्षिण के राज्य हैं जिनकी जी0ई0आर0 आज भी 56 से ऊपर जाती है। हिमाचल प्रदेश को हम देश का दूसरे नम्बर का सबसे शिक्षित प्रदेश मानते हैं। सबसे अच्छी

शिक्षा में हम बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी एनरोलमैंट क्यों कम हो रही है यह हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी ने ठीक ही कहा है, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूं कि हमारी एस0सी0ई0आर0टी0, सोलन में है। शायद अनेकों वर्षों से वह स्थापित है। लेकिन उसे जो असली काम करना चाहिए था, वह उसने नहीं किया है। आपकी सूचना के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष सरकार बनने के तुरंत बाद हमारे विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने एस0सी0ई0आर0टी0, सोलन को काम सौंपा कि प्राथमिक शिक्षा की एनरोलमैंट क्यों कम हो रही है इस विषय पर सर्वे करो। पूरे प्रदेश की स्टडी करो।

5.04.2018/1615/केएस/वाईके/1

शिक्षा मंत्री जारी---

और मुझे प्रसन्नता है कि एस.सी.ई.आर.टी. से जब उन्हें काम दिया जाता है तो हमारे अध्यापक और हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और उन्होंने रिकॉर्ड टाइम के अंदर पूरे प्रदेश का सर्वे करके रिपोर्ट सौंपी है जिसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं ओर अधिकांश निष्कर्ष वे ही हैं जो आप लोगों ने यहां पर बताए। उनके निष्कर्षों में यह भी है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। जो हमारे प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं, उनमें जब हम वर्दी देखते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, इस कारण से भी सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही है। दूसरा कारण जो यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने बताया कि निजी स्कूलों में तीन साल के बच्चों को नर्सरी में ले लेते हैं। प्री-नर्सरी-नर्सरी, के.जी.-लोअर के.जी, जबकि हमारे स्कूलों में आर.टी.ई. एक्ट के मुताबिक 6 साल में इन्रोल्मैंट होती है। इस कारण जो प्राइवेट स्कूल में नर्सरी से पढ़ता है, बाद में भी वह उसी प्राइवेट स्कूल में चलता है। इस प्रकार से अनेकों कारण जो यहां पर हमारे माननीय सदस्यों ने बताए हैं वे, एस.सी.ई.आर.टी. की स्टडी में पाए गए हैं। माननीय जगत सिंह जी ने जो अंग्रेजी के प्रति रूझान बताया, वह भी एक कारण इसमें गिनाया गया है। आज हमारी जो स्थिति है उसमें हमने जो लर्निंग

आउटकम्ज़ हैं, उन पर सरकारी स्कूलों में विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लर्निंग आउटकम्ज़ के लिए 17 नवम्बर, 2017 को नेशनल एचीवमेंट सर्वे पूरे हिन्दुस्तान में कंडक्ट हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी हुआ । उन दिनों हम सभी लोग तो गिनती कर रहे थे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा क्योंकि चुनाव काउंटिंग और पोलिंग के बीच का समय था। उस सर्वे में हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं पाई गई। लर्निंग आउटकम में जो सर्वे हुआ है, उसमें तीसरी में हिमाचल प्रदेश 17वें स्थान पर है, पांचवी में थोड़ा बढ़ गया और उसमें हम 13वें नम्बर पर आ गए लेकिन आठवीं का जो रिजल्ट आया, उसमें हम 15वें नम्बर पर हैं। यानि आठवीं का बच्चा तीसरी कक्षा के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। यह हमारे लिए बहुत ही चिन्ता का विषय है। पिछली सरकार भी शिक्षा की गुणवत्ता की बात करती थी और इस चिन्ता

5.04.2018/1615/केएस/वाईके/2

को हम आगे बढाते हुए, क्योंकि यह सबका विषय है। किसान अपनी अच्छी फसल के लिए हमेशा बीज पर विचार करता है उसी प्रकार से हमको भी अगर राष्ट्र को उन्नत करना है तो हमको भी अपनी शिक्षा के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो अच्छे नागरिक बनेंगें और अगर अच्छे नागरिक बनेंगें तो राष्ट्र परम वैभव की स्थिति तक पहुंच सकता है।

अध्यक्ष महोदय, हमने पहली बार एक और स्टडी करने का काम एस.सी.ई.आर.टी. को सौंपा था। यह भी प्रसन्नता का विषय है कि उन्होंने उसको भी तुरन्त पूरा किया है और कल ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश की declining elementary school enrolment की रिपोर्ट पूरे कॉजिज़ छानकर दी है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने यहां पर सुझाव भी दिए हैं। बहुत सारी चीजों का सिलेबस जो एस.सी.ई.आर.टी. ने रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर किया है और अब आर.टी.ई. एक्ट के अनुसार ही शिक्षकों की डियूटीज़ हो, आज इस बात की आवश्यकता है। असल में 2010 में आर.टी.ई. एक्ट लागू हो गया तीन साल का इसमें समय

दिया गया था जिसमें इसको लागू करना था लेकिन दुर्भाग्यवश यह लागू नहीं हो पाया इसलिए बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर निहित हैं, उनको हम लागू नहीं कर पाए। वह चाहे स्कूलों को खोलने की बात है, उनमें क्या नॉर्मज़ अडॉप्ट होने चाहिए या हमारे शिक्षकों की योग्यता किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सारी चीजें उसमें दी है। हमने इन सारी चीजों के आधार पर जो सर्वे हुए हैं,

5.4.2018/1620/av/वाईके/1

शिक्षा मंत्री ----------जारी

बहुत सारी चीजें की हैं। माननीय जगत सिंह जी ने वर्दी के आउट-लुक के बारे में बात कही है और इस बार हम वर्दी में बदलाव कर रहे हैं। वह देखने को अच्छी लगे और अच्छी बने, उसको कैबिनेट ने पास कर दिया है। इसकी ई-टैंडरिंग इत्यादि की प्रक्रिया चली हुई है इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हम आपके सुझाव पर पहले ही काम शुरू कर चुके हैं। प्रदेश में 454 स्कूल ऐसे हैं जिसके अध्यापकों ने अपने स्तर पर ही अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दी है। मुझे लगता है ऐसे स्कूल आपके किन्नौर में भी होंगे। कई टीचर्स ने अपने स्तर पर ही कई प्रयोग शुरू किए हैं, इसमें शोघी की एक लड़की चार साल पहले जे0बी0टी0 में सीलैक्ट होती है। शोघी या शिमला के आस-पास के क्षेत्र की लड़की सीलैक्ट हो और वह फागु से आगे जाए, यह बात असम्भव लगती है। लेकिन उसकी अप्वाईंटमैंट कोटखाई में बलधार स्कूल में हुई जहां केवल तीन बच्चे थे। वहां देखकर वह परेशान हो गई कि मैं कहां आ गई। लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा और उस तीन बच्चों वाले स्कूल को वहां के गांव के लोगों से मिल-जुलकर के एक मोडल स्कूल बना दिया तथा वर्तमान में वहां पर 50 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे अध्यापक हैं जिन्होंने अपने स्तर पर ऐसे काम किए हैं। आप जैसे अंग्रेजी स्कूल की बात कर रहे थे तो बड़सर में 90 प्रतिशत अध्यापकों ने अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में भर्ती किए हैं जिस कारण से वहां प्राइमरी स्कूलों में ऐनरोलमैंट एकदम से बढ़ गई। वहां पर अधिकांश अध्यापकों के बच्चे सरकारी

प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर बायोमीट्रिक मशीन लगाने की बात की गई है। इस बार हम 5097 स्कूलों में बायोमीट्रिक मशीनें लगा रहे हैं। ये फेज्ड मैनर में लगानी पड़ेगी क्योंकि इसके लिए धन की उपलब्धता आवश्यक है जिसके आधार पर ये मशीनें लगाई जायेगी। पहले सिरमौर जिला के स्कूलों की रिपोर्ट आया करती थी कि उत्तराखंड और यू0पी0 में इस प्रकार की स्थिति रहती है कि टीचर कोई अप्वाईंट होता है। वह घर में रहता है, केवल एक दिन पे लेने जाता है बाकी वहां पर किसी दूसरे को अप्वाईंट करके चला जाता है और उसको पढ़ाने के लिए

5.4.2018/1620/av/वाईके/2

थोड़ा पैसा देता है। बायोमीट्रिक मशीन से कम-से-कम सुबह-शाम अंगुली लगानी पड़ेगी इसलिए उसका वहां रहना आवश्यक हो जायेगा। हमने इस बार के बजट में एक नई मुख्य मंत्री आवासीय विद्यालय योजना आरम्भ की है। उसमें हम प्रयत्न करेंगे कि उनका संचालन बड़े अच्छे तरीके से हो। उसमें नर्सरी क्लासिज से शुरू किया जाए तथा हिन्दी व अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाई करवाई जाए। इसके अतिरिक्त वहां पर आवास की प्रोपर व्यवस्था के साथ-साथ अच्छे प्ले-ग्राऊंड इत्यादि की सुविधा हो। मैंने सुबह भी यहां पर एक स्टेटमैंट दी थी जो कि एक बहुत ही ओर्डिनरी योजना लगती है मगर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। हम जिस विद्यालय से पढ़े हैं उस विद्यालय से अगर अपने आपको जोड़ेंगे कि मैं बचपन में कहां पढ़ता था और उस स्कूल की मैन्टरिंग करेंगे तो उस स्कूल का रंग-रूप ही नहीं बदलेगा बल्कि मेरे ख्याल से उसकी आउट-कम भी अच्छी रहेगी। मैं अभी रोहड़ू गया हुआ था क्योंकि मैं रोहड़ू के एक बहुत ही रिमोट स्कूल में पढ़ा हुआ हूं जिसका नाम पैखा है। आज भी पैखा में उस स्कूल तक बस नहीं जाती है। वहां पर मुझे जिस टीचर ने उस वक्त पढ़ाया था वह सैखल गांव के रहने वाले हैं। आज उनकी आयु 85 वर्ष है, उनको मालूम पड़ा कि मैं रोहड़ू आने वाला हूं। उन्होंने मुझे चौथी-पांचवी कक्षा में पढ़ाया था, वे स्पेशल मुझे मिलने के लिए वहां रोहड़ू रैस्ट हाउस में पहुंचे। हर टीचर और बाप को अपने बच्चे के आगे बढ़ने की प्रसन्नता होती है इसलिए हम अगर उस स्कूल में

जायेंगे जहां से हमारा सम्बद्ध रहा है तो वहां हम बहुत सारी इम्प्रूवमैंट्स कर सकते हैं। अगर आप वहां पर बैंच भी दे देंगे तो वह भी अच्छा रहेगा या वहां मैन्टरिंग ही करेंगे कि इस स्कूल में क्या-क्या हो सकता है तो उससे भी काफी बदलाव आ सकता है।

5.4.2018/1625/TCV I/AG-1

माननीय शिक्षा मंत्री... जारी

इस प्रकार की अनेकों चीजें हैं, जिससे हमारी शिक्षा में सुधार हो सकता है। माननीय सदस्यों ने जो यहां पर संकल्प लाया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी माननीय सदस्यों को भी एक पत्र लिखा है कि सभी अपने-अपने सुझाव इस विषय में दें। हम आपके सुझाव का सदन में ही नहीं सदन के बाहर भी हमेशा स्वागत करेंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि हमारे पास सुझाव नहीं आते। यहां से बाहर मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा तो ट्रांसफर करवाने वालों की लाईन लगी होती है। हम उनकी ट्रांसफर करें या न करें लेकिन सुबह जब 6.00 बज़े उठते हैं तो भी ट्रांसफर वाले मिलते हैं और जब रात को 10.00 बज़े सोते हैं तो भी ट्रांसफर वाले ही होते हैं। इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। जैसा पहले भी कहा गया, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोई ट्रांसफर एक्ट या पोलिसी लाऊंगा, मैंने तो ये कहा था कि मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर ही बनना चाहता हूं, ट्रांसफर मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। उसकी interpretation मीडिया में कई प्रकार से होती रही है। ट्रांसफर की पोलिसी बने या न बने, वह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हमारी शिक्षा में सुधार हो। जो नाम हिमाचल प्रदेश का आज तक ऊपर है, वह ऊपर ही रहना चाहिए और उससे भी ऊपर जाना चाहिए। हम केरला के बाद भी क्यों रहे, केरला राज्य से ऊपर हम लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? इसके लिए हमारी DIET's हैं। अभी तक इनसे कोई काम नहीं लिया जाता है। एक प्रकार से वह टीचर्ज़ की एडजस्टमैंट के केन्द्र बन गये हैं। इसी प्रकार से SCERT में होता है। जब उनको काम दिया जाएगा तो वे काम करेंगे। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे सरकारी

विद्यालयों के जो अध्यापक है, वे ज्यादा मैरीटोरियस है, उनकी सलैक्शन मैरिट के आधार पर होती है और वे बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। निजी स्कूलों में जो टीचर होते हैं, वे तो सिर्फ टाईम पास करने के लिए होते हैं। लेकिन वहां पर अभिभावक जाते हैं। अगर सरकारी स्कूल में आप चाहें कि अभिभावक आये, तो

5.4.2018/1625/TCV I/AG-2

वे नहीं आते हैं। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रेयर्ज होती है, उसमें हम सरकारी स्कूलों में भी अभिभावकों को बुलाएं। वे स्कूलों के साथ जुड़े। इससे हमारी शिक्षा में सुधार हो सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। 2012 में जब मैं चुनाव जीत गया तो किसी काम से सैंट एडवर्डज़ स्कूल में गया। वहां जॉन वास्को नाम के प्रिंसिपल हुआ करते थे। उन्होंने कहा Oh, congratulations, you have won. I have said that yes I have won. मैंने एडमिशन करवानी थी, इसलिए उनके साथ बात कर ली। Yes, I have defeated one Edwardian. Yes, Yes, Shri Tikender Panwar was Edwardian. I have said that I have also defeated one Cottonion.

Shri Harish Janartha is Cottonoin. He asked what are you. I am Pekhonian. He asked what do you mean by Pekhonian. I have said that Pekha is remote village in Shimla district and I did my 4^{th} and 5^{th} class from that place. मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सरकारी और निजी स्कूलों का कम्पैरिजन होना जरूरी भी है, क्योंकि ईवन लेवल सबको मिलना चाहिए। मैरिट सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब व्यक्ति के पास भी हो सकती है। लेकिन उसको साधन नहीं मिलेते, उसको अच्छा स्कूल नहीं मिलता, उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रैक्चर और वातावरण नहीं मिलता। अगर ये सब चीजें उसको भी मिल जाये तो हो सकता है कि वह कांवेंट से पढ़े हुए विद्यार्थी से ज्यादा अच्छा हो सकता है। आज भी अगर यूनिवर्सिटी में जायें तो अधिकतर छात्राएं जो मैरिट में रहती है, वह ज्यादतर सरकारी स्कूलों में पढ़ी होती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब इसमें सहयोग करें ताकि हम सब मिलकर हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में नम्बर वन राज्य बनाने में सक्षम हो सकें। मैं इतना ही कहकर, सभी

माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस संकल्प को लाया और जिन्होंने इसके संदर्भ में अपने विचार रखे तथा सुझाव दिए, उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मेरा तीनों माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे मेरे उत्तर के बाद अपने संकल्प को वापिस लें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

05-04-2018/1630/NS/AG/1

अध्यक्षः तो क्या माननीय सदस्य श्री सुख राम जी अपना संकल्प वापिस लेंगे?

श्री सुख रामः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से चाहता हूं कि जो सैंट्रल हैड टीचर्ज़ हैं और जो लीव रिज़र्व नॉन-टीचिंग स्टॉफ में काउन्ट होते हैं, उनको टीचिंग स्टॉफ में काउन्ट किया जाये। दूसरा, जब कोई महिला maternity leave पर 180 दिन के लिए जाती है तो इससे पहले उस स्कूल में टीचर का इन्तज़ाम किया जाये। तीसरी बात यह है कि जब युक्तिकरण के माध्यम से 30 अप्रैल तक enrollment है, इसके बाद हर वर्ष 15 मई तक युक्तिकरण होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इन तीन बातों का मुझे आश्वासन मिले, तब मैं अपना संकल्प वापिस लूंगा।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। हमारे स्कूलों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो वहां पर नहीं हैं। वहां पर टीचर्ज़ की भी कमी है। विभिन्न स्तरों पर टीचर्ज़ की भर्त्ती पर खास करके माननीय न्यायालयों में रोक लगी हुई है। जो हमारा H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur में है, उनको हमने recognition भेज रखी है। पिछली सरकार द्वारा मेरिट के आधार जे0बी0टी0 के 700 पदों पर जो भर्त्ती की गई थी, हम उन्हीं को भर्त्ती करना चाहते थे। लेकिन न्यायालय ने उस पर रोक लगा रखी है। इसलिए हम बैच वाईज़ भर्त्ती करने जा रहे हैं और जो अंपग हैं तथा जो एक्स-सर्विसमैन हैं, हम उनकी भर्त्तियां भी कर रहे हैं। शीघ्र ही जब भर्तियां हो जायेंगी तो हम सारा युक्तिकरण भी कर देंगे। इसके समय में थोड़ा-बहुत आगे पीछे हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमने इस पर बहुत सारी एक्सरसाईज़ की है। हम कोशिश करेंगे कि माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार इन बातों को पूरा कर सकें। मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे अपना संकल्प वापिस लें।

अध्यक्षः तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस लिया जाये?

संकल्प वापिस हुआ

अब माननीय श्री राकेश पठानिया जी, अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

05-04-2018/1630/NS/AG/2

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं, "This House may discuss the illegal mining in the State and recommends to the Government to form a policy."

अध्यक्षः यह संकल्प अभी सभा में प्रस्तुत हो गया है और इसमें बोलने वालों की संख्या काफी है । अगर सदन की अनुमति हो तो अगले प्राईवेट मैंबर डे के लिए इसको carry किया जाये। यह संकल्प श्री राकेश पठानिया जी का अगले प्राईवेट मैंबर डे के लिए जायेगा।

माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान जी अब आप अपना प्रस्ताव रखें।

श्री हर्षवर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रस्ताव है, यह सदन केंद्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र की शिलाई, संगडाह, कमरऊ व राजगढ तहसीलों तथा आजबोझ क्षेत्र की नघेता, अम्बोआ, डाण्डा-पागर, शिवा, बनौर, डाण्डा, काला अम्ब तथा भडाना पंचायतों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 342(1)(2) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए ।

अध्यक्षः इसमें जो अभी तक परिपाटी सदन की है, वह यह है कि एक प्रस्ताव अंतिम समय में इंट्रोड्यूस किया जाता रहा है और इसी के ऊपर चर्चा अगली बार होती है। जो शेष प्रस्ताव रहते हैं, वे सब ड्रोप हो जाते हैं। इन्हें नये सिरे से देने का प्रावधान है और आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं। अगर यह नई परिपाटी कभी शुरू हो जाएगी तो इसको भी फिर मान्यता देंगे।

<u>सत्र का समापन</u>

अब सत्र का समापन होने जा रहा है, बज़ट सत्र समाप्ति की ओर है। अगर इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं।

05.04.2018/1635/RKS/DC-1

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, नई सरकार बनने के पश्चात् यह पहला बजट सत्र था। यह बजट सत्र समापन की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री अमित शाह जी और प्रदेश के तमाम पार्टी नेताओं के आशीर्वाद से मुझे इस सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिला। विधान सभा के अंदर मैं वर्षों से हूं। लेकिन उसके बावजूद भी यह मेरे लिए नई जिम्मेवारी थी। इस जिम्मेवारी के निर्वहन की एक बहुत बड़ी परख विधान सभा सत्र में होती है जोकि बजट सत्र के रूप में पूरा होने जा रही है। मुझे इस बात की खुशी है यह बजट सत्र बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न होने जा रहा है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने अध्यक्ष होने के नाते सभी माननीय विधायकों के हितों को संरक्षण किया, उन्हें बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी माननीय विधायकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने इस सत्र को यहां तक पहुंचाने में बहुत ही रचनात्मक सहयोग दिया। यह एक लोकतंत्र है और स्वाभाविक रूप से कुछ विषयों पर तल्खी हो जाती है। इसके बिना आनंद भी नहीं आता है। यह मैं तब महसूस कर रहा था जब हमारे मित्र सदन से बाहर चले गए। मैंने उनको कहा कि आप यहीं पर बैठो क्योंकि आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता है। मजा तब आता है जब बात आमने-सामने होती है। बीच में ऐसे दौर आए जहां एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करते हुए सब लोगों ने अपनी-अपनी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप इस माननीय सदन में कही। मुझे इस बात की खुशी है कि सत्र चलाने में सबका बहुत योगदान रहा। विशेष तौर से जो 23 नये विधायक चुनकर

आए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। जिन्होंने पहली बार बजट की प्रस्तुती इस माननीय सदन में देखी और देखने के बाद उसका हिस्सा बने एवं चर्चा में भाग लिया। चर्चा में भाग लेते वक्त मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं। मुझे ऐसा लगा कि जिस प्रकार से हमारे सीनियर मैम्बर्ज अपनी बात को रखने की क्षमता रखते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने भी अपनी बात को इस माननीय सदन में रखा। मुझे लगता है कि बजट में जो इस बार चर्चा

05.04.2018/1635/RKS/DC-2

हुई, वह लम्बी हुई है। दोनों तरफ के 49 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। इन माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं। अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषयों को इन्होंने इस माननीय सदन में उठाया है। इसके साथ-साथ जो जनहित व प्रदेश हित के महत्वपूर्ण विषय है, उनके लिए यह उपयुक्त स्थान है।

05.04.2018/1640/बी0एस0/एच.के0-1

माननीय मुख्य मंत्री जारी

चर्चा के लिए, समाधान के लिए, जिस रूप में उनको उठाने की आवश्यकता थी, उन्हें उठाने की सब लोगों ने कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय विधायकों को जो नए आए हैं उनको तो बधाई देता हूं और उसके साथ-साथ हमारे यहां पर वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं उन्होंने यहां पर भरपूर सहयोग चर्चा में दिया और चर्चा के साथ-साथ अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए इस माननीय सदन में जो हमारी एक व्यवस्था है उस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए योगदान दिया है। अध्यक्ष महोदय, बजट मेरी रूचि का विषय कभी नहीं रहा है। मैं मजाक में कह भी रहा था ये हिसाब-किताब मेरा बचपन से ही कमजोर रहा है। लेकिन उसके बावजूद अध्यक्ष महोदय, इस बजट को बनाने के लिए जहां सभी समाज के बहुत सारे वर्गों ने हमको सुझाव दिए उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं , धन्यवाद करता हूं और उनके साथ-साथ जो हमारे अधिकारी इस बजट की तैयारी में

लगे उनका मानना था कि इस बजट में कुछ हट करके होना चाहिए। उस दृष्टि से योगदान उन कर्मचारियों/ अधिकारियों का रहा उनका भी में धन्यवाद करता हूं और उनको भी मैं बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोद, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण बिल यहां पर पारित हुए और उसके पारण में भी सबका सहयोग मिला, उसके लिए भी में धन्यवाद करता हूं, साथ में मैं विशेष तौर से इस सत्र के संचालन से संबंधित जितने भी कर्मचारियों ने काम किया, क्योंकि इन दिनों में बहुत ज्यादा कार्य का भार रहता है और खासतौर से विधान सभा सचिवालय के जो हमारे कर्मचारी/अधिकारी जिनके लिए यह कार्य कठिन चुनौति होती है और रात दिन उनको मेहनत करनी पड़ती है, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी भूमिका को निभाया है।

अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र का जो हमारा चौथा स्तंभ, मीडिया है,उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से विधान सभा के अंदर की जो कार्यवाही और इसके साथ-साथ सरकार और विपक्ष का भी पक्ष रखा है। इस बात से आदरणीय मुकेश जी भी खुश होंगे कि आपका पक्ष भी अच्छी तरह से रखा गया है। लोकतंत्र में यही खासियत है कि एक तरफ की बात नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ की बाते आनी चाहिए और दोनो तरफ की बात उसमें आई है। मुख्य रूप से आई

है, उसके लिए में पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि इस तरफ से मैं भी नया हूं और उस तरफ से माननीय अग्निहोत्री जी भी नए हैं। लेकिन इन्होंने भी बड़े जोर से आपनी भूमिका जो निभानी थी वह निभाई । मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि कहते हैं कि

"निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय,
बिन पानी,साबुन बिन, निर्मल करे सुभाय।"

यह बहुत लाज़मी है और बहुत जरूरी है । लोकतंत्र में एक पक्ष हमेशा कहीं भी उचित नहीं होता है। बहुत सारे विषयों पर इन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और उसके लिए मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं । अध्यक्ष महोदय, मेरी बात अधूरी रह जाएगी, इस माननीय सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, आज उन्हें किसी कार्यक्रम में जाना पड़ा।

05.04.2018/1645/डी0टी0/डी0सी0-1

माननीय मुख्य मंत्री जारी

लेकिन उसके बावजूद भी जितनी बैठकें हमारी नहीं हुई, उससे ज्यादा बैठकें उन्होंने इस माननीय सदन में की है। मुझे लगता है कि यह सारी चीजें हैं जो हमें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। विधान सभा में जब हम चुन करके आते हैं, सबसे पहला जो हमारा विधान सभा का सत्र होता है तो हमारा शीर्ष कार्य विधान सभा के सत्र में हिस्सा लेना होना चाहिए। उस दृष्टि से हमारा सब लोगों का उन्होंने मार्गदर्शन किया है। हाउस की कार्यवाही में जहां-जहां उन्हें उचित लगा उन्होंने अपनी बात भी कही। लेकिन उनकी उपस्थिति इस माननीय सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उस दृष्टि से मैं माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने इस माननीय सदन का संचालन किया है। प्यार से प्रेम से जो आपके स्वभाव में है सबको साथ चलाना, इस भूमिका को आपने निभाया और मैं वर्षों से इस माननीय सदन में देख रहा हूं कि ऐसी परिस्थिति हो जाती थी जब अध्यक्ष के पद पर बैठने के बावजूद भी गर्मी का माहौल हो जाता था लेकिन आपने बहुत सयम रखा और सयम के साथ-साथ एक अच्छी इस पद की प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए आपने कोई कमी नहीं छोड़ी।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपाध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करता हूं इन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका अदा की है, हालांकि इनके लिए यह काम ज्यादा रूचिकर नहीं है । ये छोटी उम्र के हैं, नौजवान हैं और पिछले पांच सालों में जो इनकी भूमिका इस माननीय सदन में रही है उस भूमिका से वंचित हो गए है। मेरे साथ ये सारी बातें बताते रहते हैं। लेकिन तय हुआ कि इनको विधान सभा के इस दायित्व को बिठाना और इन्होंने उस जिम्मेवारी को सहज रूप से स्वीकार करते हुए उस भूमिका को जो इनके स्वभाव के अनुरूप कठिन लग रही थी उसको भी निभाया इसलिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं।

05.04.2018/1645/डी0टी0/डी0सी0-2

अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों और माननीय मत्रियों का धन्यववाद करता हूं । कुछ माननीय मंत्री पहले भी इस माननीय सदन में तो कई बार चुनकरके आए परंतु मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल हुए हैं। जब प्रश्न काल होता है चर्चा का जवाब होता है तो बेहतरीन ढंग से सभी माननीय मंत्रियों ने उसका उत्तर दिया है, उत्तर देने की कोशिश की है।

साथ ही सी.पी.एम. के भी हमारे मित्र आरणीय सिंघा जी है, भले ही अकेले हैं लेकिन अपनी बुलंद आवाज से अपनी बात उठाते हैं। ऐसा लगता नहीं कि ये अकेले हैं। इन्होंने भी बहुत रचनात्मक सहयोग इस सारी चर्चा को दिया। अध्यक्ष महोदय में सब के लिए अगले सत्र तक शुभ कामनाएं देता हूं । हमारे निर्दलीय सहयोगी, आदरणीय राणा जी और होशयार सिंह जी यहां पर बैठे हैं, इन्होंने अपना पक्ष भी रखा सरकार का पक्ष भी रखा। विकास इनके क्षेत्र में ही होना चाहिए, प्रदेश में भी होना चाहिए। इन सारे पक्षों में सारी रचनात्मक भूमिका में इन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह सत्र समापन की ओर जा रहा मैं सभी माननीय सदस्यों को शुभ कामनाएं देता हूं । आज हम जाएंगे और अपने विधान सभा क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे और उसके बाद

जब अगले सत्र में इकट्ठा होंगे तब तक मैं आपको शुभ कामनाएं देता हूं आपका अध्यक्ष महोदय बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिन्द ।

05.04.2018/1645/डी0टी0/डी0सी0-3

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। सत्र के अंतिम क्षण हैं और इस सत्र के दौनान बहुत विचार-विमर्श हुए। पक्ष और विपक्ष एक गाड़ी के दो पहिए हैं।

05/04/2018/1650/RG/HK/1
श्री मुकेश अग्निहोत्री-------जारी

जहां दो दल होंगे, वहां कुछ टकराव तो होंगे ही और कुछ नोंकझोंक भी होगी। सत्र के दौरान कुछ बातें और चर्चाएं हुई। जैसा सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आपके बगैर हमारा दिल नहीं लगता, तो हमारा भी यह है कि जब हम बाहर जाते हैं, तो हमारी रूह भी आपमें ही रहती है।

अध्यक्ष महोदय, इस बार महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं था, तो कुछ चर्चाओं के लिए ज्यादा समय मिल गया और बजट पर लम्बी चर्चा हुई। कटौती प्रस्तावों, प्राइवेट मेम्बर रेजोलूशन्ज इत्यादि पर भी चर्चा हुई और कई विधेयक भी पारित हुए। विपक्ष के नाते हमने यह प्रयास किया कि चर्चाएं हों। लोकतंत्र में विरोध जताने के अपने तरीके हैं, इसमें बहिर्गमन भी होता है, लोग वैल में भी आते हैं और आपके आसन तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन यह पहला सत्र है जब आपने देखा होगा कि हमारा वैल बिल्कुल ख़ामोश रहा और ऐसा 5-7 सालों के पश्चात ही हुआ होगा कि विपक्ष अंदर नहीं आया। लोकतंत्र में ये तो तरीके हैं और इसकी कोई गारन्टी नहीं दे सकता। लेकिन हमारी कोशिश थी कि सत्र चले और चर्चाएं हों। क्योंकि लोगों ने हमें यहां भेजा है और लोग उम्मीद करते हैं कि जो हमारे प्रतिनिधि गए हैं वे विधान सभा में कैसा प्रदर्शन करते हैं। इसलिए हमने चर्चा को तरज़ीह दी।

अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग सामाजिक जीवन में हैं और सामाजिक जीवन में एक-दूसरे का सम्मान करना भी हमारी जिम्मेवारी है। विधायकों के नाते, मंत्रियों के नाते मुख्य मंत्री जी का हम लोग सम्मान करते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली से सरकार बनी है जिसमें हमें विपक्ष की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी मिली है। इसलिए आप भी विरोधियों को अपना दुश्मन मानकर मत चलना। जब मुद्दों पर आधारित बातें आती हैं, तो हम आपका विरोध जरूर करते हैं। आपकी अपनी विचारधारा है, नीतियां या अपने कार्यक्रम हैं। जहां हमें लगता है कि हमें आपको रोकना है, तो हम वहां अपनी बात कहते हैं। लेकिन यह एम.एल.एज़. का इन्स्टीटियुशन है, हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक-दूसरे का सम्मान और इज्ज़त करनी है। हमारे 23 नए सदस्य आए हैं और लगभग एक तिहाई विधान सभा बदल गई। नए साथियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे नए साथी कम-से-कम सीनियर्ज की इज्जत तो कर रहे हैं।

05/04/2018/1650/RG/HK/2

क्योंकि इस इन्स्टीटियुशन में सबसे ज्यादा गिरावट है। लेकिन यह बहुत अच्छा सत्र रहा। अध्यक्ष महोदय, आज आप हल्के से क्षुब्ध हो गए थे। हमारी मन्शा आपको कभी आहत करने की नहीं है और विपक्ष के नाते हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि सदन के आसन का आपके आसन का सम्मान किया जाए और आपका सम्मान किया जाए। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इस सदन का संचालन किया और अपने अनुभव को पूरे हार्ट एण्ड सोल लगाकर इस सदन का संचालन किया। हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे उपाध्यक्ष महोदय बिल्कुल नौजवान चेहरा हैं। इन्होंने भी आपकी अनुपस्थिति में बहुत अच्छे तरीके से सदन का संचालन किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की तरफ से भी बधाई देना चाहूंगा। जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इनका पहला सत्र था और 7-8 माननीय मंत्री भी नए हैं, उन सबने अपने विभागों का अच्छा संचालन करने का प्रयास किया। हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप प्रदेश को विकास के पथ पर आगे लेकर जाएं।

05.04.2018/1655/जेके/एजी/1

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः--------जारी--------

लेकिन आपको जिन लोगों ने इस सत्र के दौरान सहयोग दिया, अधिकारियों ने, विधान सभा स्टाफ ने, खासतौर से सचिवालय का और पूरे प्रदेश में कर्मचारियों का क्योंकि कर्मचारियों की छुट्टियां सत्र के दौरान रद्द हो जाती है और यह बहुत ही मेहनत का काम होता है इसलिए मैं उन सब को बधाई देना चाहता हूं जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने इसमें काम किया। खासतौर से हमारे मीडिया के साथी लोग क्योंकि जितने दिन हम यहां पर बैठे, वे भी यहां पर रहें और उन्होंने जो भी हमने कहा, उसको जनता तक पहुचांने की कोशिश की और हमारे पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी जिनका मार्गदर्शन इस सदन को भी मिला और विपक्ष के लोगों को तो मिलना ही था, उनके भी हम आभारी हैं। एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की तरफ से जहां सदन के नेता को बधाई देता हूं, वहीं मैं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बखूबी हाऊस का संचालन किया। अंत में मैं यही कहूंगा कि विपक्ष के नाते जो हमारी भूमिका है, उससे बहुत ज्यादा आहत मत हुआ करो। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

05.04.2018/1655/जेके/एजी/2

अध्यक्षः आज बजट सत्र समाप्ति की ओर अग्रसर है। इस सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें आयोजित हुई। जिसमें अनुपूरक बजट का पारण हुआ तथा दिनांक 9 मार्च, 2018 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट अनुमान 2018 प्रस्तुत किए गए। इन बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा 5 दिन, 12 मार्च से 16 मार्च, 2018 तक हुई। इसमें कुल 47 सदस्यों ने भाग लिया। 16 घण्टे 49 मिनट तक यह चर्चा चली। तत्पश्चात माननीय मुख्य मंत्री जी ने चर्चा का उत्तर दिया। बजट की 4 अनुदान मांगों पर प्रतिपक्ष ने अपने-अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए एवं चर्चा की और चर्चा के उपरांत माननीय मुख्य मंत्री/ माननीय मंत्रिगणों ने अपनी-अपनी मांगों से सम्बन्धित उत्तर दिए एवं मांगें पारित हुई। तदोपरांत 29 मार्च, 2018 को 3.00 बजे गिलोटिन द्वारा सभी मांगें पूर्ण रूप से पारित हुई और विनियोग विधेयक पर

विचार-विमर्श एवं पारण हुआ। प्रत्येक मांग पर प्रतिपक्ष की ओर से 15 से 16 सदस्यों ने भाग लिया तथा चर्चा 11 घण्टे 20 मिनट चली। सत्र में जनहित के अनेक विषयों पर प्रश्नों एवं अन्य सूचनाओं के माध्यम से चर्चा हुई व सुझाव दिये गये जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। सत्र के दौरान माननीय सदस्यों ने विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से प्रदेश हित के अनेक विषयों पर बहुमूल्य सुझाव दिये। इस सत्र के दौरान कुल 720 तारांकित प्रश्न और 129 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। नियम-62 के अंतर्गत 6 विषयों पर चर्चा की गई। नियम-130 के अंतर्गत एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई तथा विशेष उल्लेख के माध्यम से लोक महत्व के विषयों की सरकार द्वारा वस्तुस्थिति बताई गई। नियम-101 के अंतर्गत प्राइवेट मैम्बर डे में दो विषय पूरी तरह से पूर्ण हुए और तीसरा विषय इंट्रोड्यूस हुआ। 8 सरकारी विधेयक भी सभा में पुरःस्थापित तथा सार्थक चर्चा के उपरांत पारित हुए। नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 4 विषय सभा में उठाए गए तथा सरकार द्वारा वस्तुस्थिति की सूचना सभा को व माननीय सदस्यों को दी गई। सभा की समितियों ने 48 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत एवं उपस्थापित किए इसके अतिरिक्त मंत्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित दस्तावेजों को भी सभा पटल पर रखा और अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर वक्तव्य दिए। सत्र के दौरान मेरा भरसक प्रयास रहा कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले।

05.04.2018/1700/SS-DC/1

अध्यक्ष क्रमागतः

मैं नेता सदन, माननीय मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी का; कांग्रेस विधायक दल के नेता, माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का; माननीय पूर्व मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी का; माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सुरेश भारद्वाज जी का; सभी माननीय मंत्रिगणों का तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय की गहराई से अभिनन्दन और धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सदन को चलाने के लिए मुझे भरपूर सहयोग दिया। मेरे सहयोगी, माननीय उपाध्यक्ष, श्री हंस राज जी और सभापति तालिका के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं जिन्होंने सदन को चलाने में मुझे सहयोग दिया। अपने सचिवालय के सचिव, समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों-कर्मचारियों के

सहयोग के लिए भी मैं उनका आभारी हूं, जिन्होंने सत्र को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए, दिन-रात काम किया और पूर्ण सहयोग करके सत्र को सफल बनाया। मैं प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के अपने साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को प्रदेश के जन-जन पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष तौर पर माननीय सदन के सभी सदस्यों जिन्होंने अनेकानेक विषयों को यहां पर उठाया, अनेक प्रकार के नियमों के अन्तर्गत अपने विषयों को यहां पर रखा, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। एक महत्वपूर्ण बात और है, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वे पहली बार प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं, अलबत्ता पांच बार से इस सदन के सदस्य हैं। वही स्थिति मेरी भी है। मैं इस सदन में पांच बार यानी 20 वर्ष हूं परन्तु अध्यक्ष के नाते इस दायित्व का निर्वहन मैं पहली बार कर रहा हूं। अनेक कमियां भी मेरे द्वारा रही होंगी। किसी भी माननीय सदस्य को मेरी किसी कमी के कारण दुःख पहुंचा हो तो मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में अपनी कार्यशैली को और बेहतर करते हुए सदन के संचालन में अपना सहयोग करूं। मेरा इतना ही कहना है कि ये सदन माननीय सदस्यों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए और हिमाचल की जनता के विषयों को सदन में ला करके सरकार तक पहुंचाने के लिए बना है। उसके अंदर हमारा जो रोल है, वह सभी को इस विषय में नियमों की परिधि में रहते हुए समय उपलब्ध करवाना है। कई बार समय की कमी रहती है। कई बार माननीय सदस्यों की अपेक्षा अधिक रहती है और उसमें अनेक बार हमको इस आसन की शक्तियों का उपयोग करते हुए

05.04.2018/1700/SS-DC/2

माननीय सदस्यों, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्यों को कहना पड़ता है कि वे अपनी बात को समाप्त करें। इसका अर्थ केवल और केवल नियमों की परिधि के अंदर सदन को बांधना रहता है। उसमें कोई भी आहत हो तो मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में मुझे प्रभु अधिक शक्ति प्रदान करे ताकि मैं सदन का संचालन और बेहतर तरीके से कर सकूं। इससे पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करूं, मैं सभा में उपस्थित सभी से निवेदन करूंगा कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(राष्ट्रीय गीत गाया गया।)

अब इस माननीय सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004 सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 5 अप्रैल, 2018 सचिव ।